खण्ड-304, अंक-9
गुरूवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1895
(3 मई, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 304 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बृहस्पतिवार 3 मई, 1973

उपस्थित सदस्य—360

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी०ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल, बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृणानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के०एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर,

चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, "कृष्ण", श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
दवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेत राम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री

भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राम मूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री

राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय जहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री

सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सेवा राम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार 3 मई, 1973

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय इन्टर कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़, की इन्टर व हाई स्कूल परीक्षा, 1972 के कुछ छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किया जाना

**1—श्री होरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय इन्टर कालेज, लोहाघाट, जिला पिथौरागढ़. की इन्टर परीक्षा, 1972 का 18 छात्रों का परीक्षाफल तथा इसी कालेज के आठ छात्रों का 1972 का हाई स्कूल परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह परीक्षाफल अभी तक घोषित न करने का क्या कारण है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

राजकीय इन्टर कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़ परीक्षा केन्द्र के इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1972 के 22 परीक्षार्थियों तथा हाई स्कूल परीक्षा के 16 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के संदेह में रोका गया था। उनमें से इन्टरमीडिएट के 9 परीक्षार्थियों को संदेह का लाभ देकर उनके परीक्षाफल घोषित कर दिये गये तथा शेष 13 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल आवश्यक जांच के बाद निरस्त कर दिये गये। हाई स्कूल के सभी 16 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल निरस्त कर दिये गये। निर्णय की सूचना परिषद् द्वारा सम्बन्धित केन्द्र को दी जा चुकी है।

श्री होरासिंह बोरा—

जिन 9 परीक्षार्थियों को संदेह का लाभ दिया गया उनके परीक्षाफल कब घोषित किये गये और हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल निरस्त किये गये हैं उसकी सूचना कब भेजी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

9 परीक्षार्थियों को दोष मुक्त कर देने की सूचना केन्द्र को 25 जनवरी, 1973 को दे दी गयी है । जांच के बाद इन्टरमीडिएट के 11 परीक्षार्थियों का 1972 का परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया तथा इनके साथ उन्हें 1973 की परीक्षा में प्रवेश से भी वंचित कर दिया गया । इसकी सूचना सम्बन्धित केन्द्र को 26 फरवरी, 1973 को दे दी गयी । दो परीक्षार्थी जांच के समय उपस्थित नहीं हुये, अतः उन्हें डाक से दोषारोपित किया गया और इसकी सूचना केन्द्र को 8 अप्रैल, 1973 को भेज दी गयी । इन दो परीक्षार्थियों में से एक की 1972 की परीक्षा निरस्त कर दी गई तथा एक की 1972 की परीक्षा निरस्त करने के साथ-साथ उसे 1973 की परीक्षा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया ।

हाई स्कूल के 16 परीक्षार्थियों में से 15 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की सूचना 26 फरवरी, 1972 को भेजी गई तथा एक परीक्षार्थी जो जांच के समय उपस्थित नहीं हुआ, उसके सम्बन्ध में निर्णय की सूचना 8 अप्रैल, 1972 को भेज दी गयी ।

श्री हीरा सिंह बोरा---

जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट होता है यह परीक्षाफल एक साल के बाद घोषित किये जा रहे हैं । तो हमेशा से ऐसी परम्परा पड़ गयी है कि एक-एक साल तक परीक्षाफल रोके जाते हैं और उसके बाद किसी को सन्देह का लाभ दे कर छोड़ दिया जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में एक-एक वर्ष तक छात्रों के परीक्षाफल नही रोके जायेंगे और उन पर निर्णय दो, तीन महीने के अन्दर ले लिया जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, बहुत संख्या में अनुचित साधनों के प्रयोग के केसेज होते हैं और उनकी हर तरह जांच कमेटियों द्वारा स्क्रुटिनी, उनके बारे में विचार, आरोप-पत्र एक लम्बी प्रक्रिया है । प्रयास यही किया जाता है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाय और पिछले साल और इस साल के केसेज के बारे में भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की पूरी कोशिश की गयी है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल जनवरी में घोषित कर दिये गये उन छात्रों को 1973 में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की होने वाली परीक्षा में प्रवेश के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिनका इस तरह से परीक्षाफ ल रोका जाता है उनके बारे में यह प्राविधान रहता है कि वे चाहे अपना नाम लिखा कर पढ़ें या व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन-पत्र भर लें और जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर वह आगे कार्यवाही करेंगे । जिनको संदेह का लाभ हो गया है उनके प्रवेश के बारे में इस समय तो कोई सूचना नहीं दे सकता हूं । सम्भवतः इस साल उनका प्रवेश सम्भव नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो संदेह पर निरस्त किये गये परीक्षाफल और उन्होंने अपने उत्तर के सिलसिले में यह भी वर्णन किया है कि उसका तरीका भी बन गया है कमेटियों द्वारा तो एक आध तो आप बतायें कि किस जुर्म से वह निरस्त किये गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जिन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में अनुचित साधन प्रयोग करने का प्रमाण पर्याप्त रूप से मिल जाता है तभी उनका परीक्षा फल निरस्त किया जाता है । अगर जरा भी संदेह होता है तो संदेह का लाभ अधिक से अधिक उसे दिया जाता है ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी द्वारा हर साल यह आश्वासन दिया जाता है कि नकल करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय जल्द से जल्द लिया जायेगा, किन्तु एक एक साल खराब हो जाता है तो नीति सम्बन्धी मैं आश्वासन मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसी समिति गठित करेंगे जो यह सुझाव दे कि इस प्रकार के नकल के केसेज में कैसे उनको शीघ्र निपटाया जा सकता है तथा किस प्रकार नकल करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय सदस्य तो परिचित होंगे कि इसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि इस तरह की दुर्घटनायें कम से कम हों और ऐसे मामलों को शीघ्र से शीघ्र निबटाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

प्रदेश में 50-60 हजार केसेज हर साल नकल के पकड़े जाते हैं। तो क्या सरकार कोई मोबाइल कोर्ट जैसी कोई चीज बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी जैसे कि दो तीन जिलों की एक कमेटी बना दी जाय जो वहीं परीक्षा केन्द्रों पर ही अपने दो तीन जिलों के केसेज को निपटा लिया करें ? इससे तुरन्त निर्णय भी हो जायगा और एवीडेन्स आदि लेने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जहां 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों के केस होते हैं तो जांच समिति आम तौर से परीक्षा केन्द्रों पर ही जाकर निर्णय लेती है। वैसे रीजन वाइज कमेटियां बनाने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जिन लड़कों के परीक्षाफल रोक लिये जाते हैं और बाद को वे पास कर दिये जाते हैं तो इससे एक साल तो उनका बेकार चला जाता है और वे इन्टर की परीक्षा में नहीं बैठ पाते। तो क्या आप ऐसा कोई इन्तजाम करेंगे जिससे कि उनका साल बेकार न जाये और वे इन्टर की परीक्षा में बैठ सकें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिनके केसेज में निर्णय नहीं हो पाता उनको रेगुलर या व्यक्तिगत रूप से इन्टर का फार्म भरने की छूट रहती है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी इस किस्म का कोई विधेयक लायेंगे जिससे नकल करने वालों को सजा तो दी ही जा सके उनकी हमदर्दी में जो काम की हिमायत करने वाले लोग हों, उनके लिये भी कोई न कोई प्राविधान किया जाये, ताकि नकल करने वालों और प्रोत्साहन देने वालों की प्रवृत्ति ज्यादा न बढ़े ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

यह नकल करने की बीमारी बहुत बढ़ रही है और प्रायः इसको रोकने में हिंसा की घटनायें भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी हैं, इसको देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि इस मनोवृत्ति और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये जिस विषय का पर्चा हो, उस विषय की किताबें कंसल्ट करके जवाब देने की छूट दे दी जाये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

परीक्षा व्यवस्था में और परीक्षा प्रणाली में किस तरह की आवश्यकता है और किस तरह का चेंज अपेक्षित है, उस पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विचार हो रहा है । यह ऐसा प्रश्न है, जिस पर प्रदेश कोई अपने ढंग से निर्णय नहीं ले सकता है । इसलिये अखिल भारतीय यह प्रश्न है, जिस पर केन्द्रीय मंत्रालय में इस पर विचार हो रहा है ।

थाना हसनगंज, लखनऊ, के पुलिस कर्मचारियों द्वारा मैनेजर, लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ व कुछ अन्य व्यक्तियों की पिटाई

**२—श्री वंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ) तथा श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि दिनांक 7-4-73 को हसनगंज, थाना लखनऊ के पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के स्थानापन्न मैनेजर, उसके पिता एवं कुछ सम्भ्रांत व्यक्तियों की खूब पिटाई की जिससे उनके गंभीर चोटें आई जिसके फलस्वरूप वहां की जनता ने उक्त थाने पर प्रदर्शन किया तथा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी किया गया जिसमें अनेक व्यक्तियों को भी गहरी चोटें आई । यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तुरन्त दंडित करेगी और घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-4-73 को थाना हसनगंज, लखनऊ पर टेलीफून द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुदा सदन के पास अमुक व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है । इस सूचना के आधार पर थाने से एक हेड कान्सटेबिल व कुछ कान्सटेबिल मौके पर गये । वहां दो पार्टियों में मार-पीट हो रही थी । इन पुलिस कर्मचारियों ने दोनों पार्टियों के लोगों को धारा 151 जा० फौ० तथा 160 भा० दं० वि० में गिरफ्तार किया । जब वे गिरफ्तार लोगों को लेकर थाने आ रहे थे तो गोकरन नाथ रोड पर कुछ भीड़ ने उनको घेर लिया और मारपीट की । पुलिस कर्मचारियों ने अपने बचाव में बल प्रयोग किया और किसी प्रकार गिरफ्तार व्यक्तियों को लेकर थाने पहुंचे । उनके पीछे पीछे काफी भीड़ नारा लगाते हुए थाने पहुंची और वहां पथराव किया किन्तु अन्ततः स्थिति को किसी प्रकार काबू में किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया है । इस घटना में पुलिस कर्मचारियों, गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों, जिनमें सहकारी दुग्ध संघ के मैनेजर भी थे, तथा कुछ अन्य चोटें को आईं ।

इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा 147/332/336/337 भा० दं० वि० का एक मुकदमा कायम किया गया है और चार अन्य केस भी कायम हुए हैं ।

इस घटना के बारे में एक राजपत्रित अधिकारी ने जांच की है । उनकी जांच से कोई पुलिस कर्मचारी इस घटना के सम्बन्ध में दोषी नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई । सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की शासन आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने यह पढ़ कर सुनाया हसनगंज थाना के बारे में। तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल लगो है, ये झूठी बातें हैं, पुलिस अधिकारियों की बनाई हुई हैं। पुलिस के ये लोग मैनेजर के मकान पर सादी वर्दी में गये थे और उनके बाप तथा बच्चों को मारा, क्यों मारा ? जब यह जा रहे थे तब वहां रास्ते में जिन लोगों ने बचाया, उनको भी पीटना शुरू किया। ये सादी वर्दी में थे, कोई भी पुलिस का सिपाही ऐसा नहीं था, जो वर्दी में होता। उन्हें थाने में भी ले जाकर मारा गया। जब थाने में भीड़ पहुंची तथा एस0 एस0 पी0 और मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं तो उनको उसी वक्त छोड़ा गया। तो कौन सी धारा उस वक्त लिखी थी? कोई रिपोर्ट नहीं थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनके मकान पर पुलिस कसे और क्यों गई? उन्हें क्यों मारा गया ? और कौन सी धारा के अनुसार, रिपोर्ट किसने तथा कब लिखवाई थी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

थाने में 4–4–73 को फोन गया कि सुदा-सदन के पास जहां गुरु प्रसाद, अन्य तथा वर्मा बन्धु रहते हैं और गुरुप्रसाद जी के यहां किराये पर रहते हैं, दूसरी तरफ एक विशेष वर्ग के लोगों का समूह रहता है, उन दोनों का मकान के बारे में झगड़ा था। सुबह वर्मा के लड़के ने ढेला फेंका था। दोनों में वाद-विवाद हुआ और आपस में मारपीट होने लगी। इसकी सूचना जैसे पुलिस थाने में पहुंची दो कांस्टेबिल पहुंचे और उन्होंने उन लोगों को दफा 151 जाब्ता फौजदारी के अन्दर थाना ले जाना चाहा। उसी समय भीड़ ने रोका और मजहमत करने की कोशिश की।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि घटना स्थल पर जहां पर मारपीट बतलायी जाती है कितने आदमी थे और कौन-कौन गिरफ्तार किये गये ?

श्री गोस्वामी. राधाकृष्ण—

जिस समय यह लोग थाने ले जाये गये, उन लोगों को थाने पर ले जा कर उनको वहीं पर छोड़ा गया है और वर्मा बन्धु के साथ-साथ गुरु प्रसाद जी को थाने ले जाने के प्रयास हो रहे थे।

श्री जयराम वर्मा—

मैंने निश्चित रूप से पूछा कि कितने आदमी थे और किन-किन को गिरफ्तार किया गया घटना स्थल पर, यह बात सारी किस तरह से बनायी गयी इसी से पता चल जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

गुरु प्रसाद श्रीवास्तव तथा दूसरे पक्ष के श्रीराम वर्मा और उमाशंकर वर्मा, इन लोगों को थान लिय जा रहे थे।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह बात सही नहीं है कि दुग्धशाला के मैनेजर को रास्ते में गिरफ्तार किया गया, मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया? जब उनके पिता को मारते हुए ले आये, वह रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि क्यों पीट रहे हैं, इस नाराजगी में पुलिस ने उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब वहां आपस में मारपीट हो रही थी इसकी सूचना थाने में पहुंची, जब थाने से पुलिस पहुंची, वहां पर मारपीट की घटना करने वालों को पकड़ कर ले चले। माननीय सदस्य को जैसी सूचना है कि रास्ते में पकड़े गये, उसकी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जब मारपीट वहां बता रहे हैं कि हो रही थी तो उस स्थान पर कोई गवाह रखे गये और दूसरे अगर आप इसको सच समझते हैं कि सच्चाई के साथ रिपोर्ट भेजी गयी है तो खुफिया इन्क्वायरी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मकान का मामूली सा झगड़ा है। इधर से गुरु प्रसाद जी की एफ० आई० आर० है, उधर से वर्मा बन्धु की भी एफ० आई० आर० है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है, वही पर्याप्त है। इसमें सी० आई० डी० को इनवाल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों को चोट लगी है उनका डाक्टरी मुआयना किया गया है, वह चोट कहां-कहां और कितनी है और किस हथियार के द्वारा वह चोट की गयी मालूम पड़ती है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिन को चोट लगी हैं, चाहे पुलिस वाले या साधारण जनता के लोग, इनको सब को ब्लंट आब्जेक्ट से सिम्पिल इंजरीज हैं, कोई सीरियस टाइप की ऐसी इंजरी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मन्त्री जी ने कहा कि पहले झगड़ा दो पार्टियों के बीच था और 151 की गिरफ्तारी की गयी और जब दोनों पार्टीज के लोगों को पुलिस लेजा रही थी तो भीड़ ने मजहमत की जिससे 332 का मुकदमा पुलिस ने कायम किया तो 332 का मुकदमा दोनों पार्टी के लोगों पर कायम किया गया अथवा एक विशेष पार्टी के लोगों पर ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब भीड़ ने मजहमत की तो जिन पर सन्देह हुआ मजहमत का, उन पर 332 का मुकदमा कायम हुआ है।

श्री जयराम वर्मा—

पुलिस उनको ले जा रही थी और लोगों ने पुलिस को घेर लिया यह सही नहीं है। पुलिस उनको मारते हुए ले जा रही थी क्योंकि वे प्रतिष्ठित आदमी थे और रास्ते में लोग मिले तो लोगों ने पुलिस से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो ? ऐसा कहने पर पुलिस ने उन लोगों को भी मारने की कोशिश की और उनको धमकाया तब लोगों ने मजहमत की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह आरोप सत्य नहीं पाया गया।

जूनियर हाई स्कूल, मिर्जापुर के कक्षा 8 के 400 छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित न करना

** 3—श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के जूनियर हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा के कक्षा 8 के 400 छात्रों को परीक्षा में बैठने का प्रवेश-पत्र इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि 1 जुलाई, 1973 को उनकी उम्र 12 वर्ष पूरी नहीं हो रही है?

क्या यह सही है कि ये छात्र 1972-73 के पूरे सत्र में कक्षाओं में उपस्थित रह कर पढ़ते रहे, फीस भी देते रहे और 8 माह परीक्षा फार्म भी उनसे भरवा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन छात्रों के भविष्य के लिये उम्र में छूट देकर शीघ्र इसकी अप्रैल से होने वाली परीक्षा के पूर्व परीक्षा देने अनुमति की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शासन ने उन सभी अभ्यर्थियों को जिनकी आयु जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1973 के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से कम है, आयु सीमा के प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया है ।

श्री विजय बहादुर सिंह—

यह समस्या न्यूनतम आयु के छूट की 73-74 के लिये ही नहीं होगी बल्कि 74 व 75 की परीक्षा के लिये भी होगी तो क्या शिक्षा मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि 74 और 75 में जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिये भी अभी से न्यूनतम आयु में छूट देने की घोषणा कर देंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस वर्ष की परीक्षा के लिये ही यह छूट दी गयी है और अब उसका प्रभाव देखेंगे । छठीं क्लास में जिन्होंने प्रवेश लिया है प्रधानाचार्य ने इस बात पर ध्यान दिया है कि क्या परिस्थिति होगी, उसके आधार पर विद्यार्थियों के हितों को देख कर शासन अपना निर्णय समय पर लेगा ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

कक्षा 8 के विद्यार्थियों को छूट दे दी गयी है लेकिन हाई स्कूल में जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनको रोका गया है लेकिन जो विद्यार्थी हाई कोर्ट के आदेश से परीक्षा में बैठ गये हैं क्या उनके परीक्षाफल को सरकार घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह प्रश्न जूनियर हाई स्कूल परीक्षा से सम्बन्धित है न कि हाई स्कूल परीक्षा से ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

8वीं कक्षा के लिये 12 वर्ष की आयु के प्रतिबन्ध में छूट दे दी गयी है और सरकार इस पर आगे की परीक्षाओं पर विचार करेगी । क्या सरकार की जानकारी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है जिसमें उसने कहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा के लिये जो 14 साल की आयु की कैद है वह संविधान की धारा 14 के मातहत डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न करती है इसलिये उसे रद्द कर दिया, उसके आधार पर सरकार को आगे परीक्षाओं में छूट देनी होगी ? यदि यह जानकारी सरकार को है तो सरकार अभी से इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर देती ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर कोई प्रतिबन्ध हाई स्कूल की परीक्षा के लिये नहीं रह गया है लेकिन अपील भी की गयी है उसके बारे में भी प्रक्रिया चल रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार 8वीं कक्षा की परीक्षा पर से उम्र का प्रतिबन्ध हटा दिया गया है लेकिन 5वीं कक्षा की परीक्षा पर प्रतिबन्ध ज्यों का त्यों है तो क्या सरकार इस 5वीं कक्षा के प्रतिबन्ध को भी हटाने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह प्रतिबन्ध तो एक विशेष आवश्यकता को देखते हुए हटाया गया था। जब तक लोगों को इसका समुचित ज्ञान न हो जाय और प्रधानाचार्य उसकी जानकारी लोगों को न दे दें तब तक सुविधा देने की बात है लेकिन जब प्रक्रिया पूरे तौर से पूरी हो जायगी तब मैं नहीं समझता कि किसी सुविधा की आवश्यकता है।

श्री रामगोपाल संड—

हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में सरकार को मालूम है और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है उस पर शासन विचार कर रहा है एसा मन्त्री जी ने कहा। मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थी 12 वर्ष की उम्र में 8वीं कक्षा में प्रवेश पा कर उत्तीर्ण कर सकते हैं तो वे मेधावी लड़के होते हैं और हाई स्कूल भी पास कर सकते हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 5वीं, 8वीं या 10वीं कक्षा में कोई आयु-सीमा निर्धारित न की जाय और इसके लिये एक उच्च स्तरीय शिक्षा समिति का गठन किया जाय जोकि अपना प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में दें उसके बाद ही शासन आयु-सीमा पर निर्णय लें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो यह आयु सीमा निर्धारित की गई है वह बहुत ही सोच समझ कर, विशेषज्ञों तथा साइकोलाजिस्ट की राय से ही निश्चित की गई है। ऐसी परिस्थिति में इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि 14 वर्ष की उम्र हाई स्कूल के लिये जरूरी नहीं है। इस प्रकार जब दसवीं कक्षा में छूट मिल जाती है तो 8वीं कक्षा के लिये अपने आप छूट होनी चाहिये क्योंकि जो मेधावी लड़के हैं उनको नुक्सान होता है। तो क्या आप इसकी व्यवस्था कराने का प्रबन्ध करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य तो बहुत पुराने शिक्षाविद् हैं। 12 वर्ष की आयु में 10 वीं कक्षा की परीक्षा देना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए 14 वर्ष की आयु इसके लिये निश्चित की गई है और इस उम्र तक हाई स्कूल में पहुंचना आवश्यक है।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के साक्षात्कार समिति के गठन में अनियमितता

**4—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1973 में पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के पद के लिये निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार जिस समिति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है उस में लगभग सभी हिन्दी भाषी व्यक्ति एक विशेष जाति के ही रक्खे गये हैं और इस समिति के गठन में अल्प-संख्यक तथा पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं और इनका चयन संबंधित समिति में किस आधार पर किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के साक्षात्कार के लिये जिस समिति का गठन किया गया है, उसमें कौन व्यक्ति किस जाति विशेष का है इसका पूर्ण विवरण शासन के पास नहीं है क्योंकि नियमानुसार अब यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक व्यक्ति की जाति का विवरण रखा जाय।

इस समिति के सभी सदस्य विभिन्न विभागों के ज्येष्ठ अधिकारी हैं और उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर सहानुभूति रखेंगे । वैसे संविधान में अल्प संख्यक तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं है । समिति के निम्नांकित सदस्य हैं, जो अनुभव एवं योग्यता के आधार पर नियुक्त किये गये :—

(1) श्री महेश दत्त दीक्षित, डी0 आई0 जी0, सी0 आई0 डी0, अध्यक्ष ।
(2) श्री ए0 एन0 कौल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।
(3) श्री एस0 के0 विश्वास, जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ।
(4) श्री हरिद्वारी लाल शर्मा, उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
(5) श्री ले0 के0 डी0 एस0 कलाकोटि ।

इनमें से पहले तीन को गृह विभाग द्वारा नियुक्त किया गया । श्री हरिद्वारी लाल शर्मा का नामांकन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया तथा ले0 के0 डी0 एस0 कलाकोटि का नामांकन सेनाधिकारियों द्वारा किया गया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 55 प्रतिशत पिछड़े वर्ग और 10 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोगों को इस समिति के गठन में प्रतिनिधित्व दिया गया अथवा नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस कमेटी में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व देने का सवाल नहीं है । विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो सक्षम हैं, योग्य हैं उन्हीं को उसमें नियुक्त किया जाता है । कुछ दूसरे विभाग के लोग हैं जो कि नामांकन करते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो श्रीमहेश लाल दीक्षित, डी0 आई0 जी0, श्री कौल, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्वास इसमें रखे गये हैं इस प्रकार समिति में 4 ब्राह्मण हैं, कौल साहब हैं, दीक्षित हैं, शर्मा हैं, और एक लेफ्टिनेन्ट हैं । एक श्री विश्वास हैं जिनको कि आपने बाद में उसमें रखा है । ये व्यक्ति कनिष्ठ भी हैं । क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि किस आधार पर कनिष्ठ व्यक्तियों को रखा गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी साहब जो जाति-बिरादरी की हमेशा शिकायत करते हैं और उसी चीज को बार-बार दुहराते हैं । हमारे प्रशासन में कोई यह नहीं जानता कि किस जाति के व्यक्ति की नियुक्ति कहीं की गई है । सभी जानते हैं कि दीक्षित जी एक कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं जिनका प्रदेश के अन्दर कर्मठता और सचरित्रता के आधार पर अपना एक स्टेटस है, वे सी० आई० डी० में हैं इसलिये उनको इसमें रखा गया है । इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग रखे गये हैं, शिक्षा विभाग के जो हैं उनका गृह-विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है । कलाकोटि भी एक योग्य व्यक्ति हैं । सब की नियुक्ति विद्वता और योग्यता के आधार पर ही की गयी है । ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि कौन ब्राह्मण है, या कौन दूसरे कौम का है, यह माननीय सदस्य ही कह सकते हैं ।

श्री बलवीर सिंह--

क्या यह बात सही है कि जो पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल होते हैं, परम्परा यह रही है कि वही इसके चेयरमैन हुआ करते हैं, तो क्या इस दफा इस परम्परा को निभाया गया है? यदि नहीं, तो किस कारण से उस परम्परा को तोड़ा गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

परम्परा तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। परम्परा है कि एक कमेटी का गठन होता है और उसी के आधार पर कमेटी गठित हुई। माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये कि अगर वहां के प्रिंसिपल की यहां नियुक्ति की जाती तो श्री चतुर्वेदी ही यहां आते लेकिन जब वे चले गये तो दूसरे आये और कमेटी गठित हुई। डी० आई० जी० चतुर्वेदी आते तब भी माननीय सदस्य यही प्रश्न उठाते।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री हरिद्वारी लाल शर्मा, जिनके लिये कहा गया कि वे मुख्य मन्त्री जी के रिश्तेदार हैं, वे ब्राह्मण नहीं बल्कि विश्वकर्मा यानी लोहार जाति के हैं ?

मुख्यमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, कौन किस जाति-बिरादरी का है, यह तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन आजकल सभी शर्मा बन जाते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंन्ट में पिछड़ी जाति का या मुसलमान कोई नहीं है जिसको इस कमेटी में चुना जाता? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, जाति-बिरादरी और सम्प्रदाय के आदमियों को समझ कर चयन समिति में नहीं रखा जाता। विद्वता और योग्यता के आधार पर ही उनको चयन समिति में रखा जाता है। मुसलमान भाइयों को भी अब पुलिस में लेने का आदेश जारी हो चुका है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तक पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को पुलिस विभाग में रखने का प्रश्न है, सरकार का कोई परिपत्र चयन समिति के अध्यक्ष को जारी हो चुका है? यदि आपने उस परिपत्र को समिति के पास नहीं भेजा है तो अब भी उसको भेजने का कष्ट करेंगे कि अब पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को वरीयता दी जायगी और उनके प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह आदेश दे दिया गया है विभाग को। केवल पुलिस विभाग को ही नहीं बल्कि और विभागों को भी दिया गया है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सेलेक्शन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और उनको इतना प्रश्रय दिया जाय जिससे वे सर्विस में लिये जा सकें।

(श्री विश्वनाथ कपूर का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, यह जो एजेंडा छपा हुआ है इसका भी ध्यान रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । मैंने श्री विश्वनाथ कपूर का नाम लिया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अभी जो समिति गठित हुई है उसके पास यह सूचना नहीं गई है । विभाग को सूचना दी गई है तो क्या मन्त्री जी समिति को भेजेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो विभाग की ही समिति है । यदि विभाग को सूचना गई है तो समिति को जरूर जायेगी । नहीं गई होगी तो हम देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजपत्रित अधिकारियों को 60 वर्ष आयु के बाद भी सवा वृद्धि या पुनः नियुक्ति

*1—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में 60 वर्ष के आयु पूरी करने के पश्चात् राजपत्रित अधिकारियों को पुनः 60 वर्ष के आयु के उपरान्त भी सेवा वृद्धि या पुनः नियुक्ति किया है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को तथा क्या शासन अपनी नीति स्पष्ट करेगी कि शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ते हुए देखते हुए भी भविष्य में सेवा निवृत्ति के उपरान्त कोई सेवा वृद्धि या पुनः नियुक्ति नहीं करेगी ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

गत दो वर्षों (दिनांक 1 मार्च, 1971 से 1 मार्च, 1973 तक) में 60 वर्ष की आयु के बाद केवल एक राजपत्रित अधिकारी को सेवा वृत्ति दी गई है तथा कुछ अधिकारियों को पुर्नानियुक्त किया गया जिनकी सूची संलग्न है । इसमें विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों की सूचना सम्मिलित नहीं है ।

शासन की सामान्य नीति यह है कि केवल बहुत असामान्य अथवा विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करन क बाद किसी भी राज्य कर्मचारी की पुर्नानियुक्ति अथवा सेवा वृद्धि स्वीकार न की जाय । इसी नीति का अनुसरण भविष्य में किया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1112 पर)

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, 26 व्यक्तियों की सूचना दी गई है । 6 रेवेन्यू आफिसर्स हैं और लेबर कोर्ट के आफिसर्स हैं और एक पी० ए० साहब हैं । मैं जानना चाहता था कि जो उत्तर दिया गया है कि बहुत असामान्य और विशेष परिस्थिति को छोड़ कर नहीं करते हैं तो इसका क्या आधार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक तो ऐसा होता है कि जिस काम के लिये आदमी चाहिये वह उपलब्ध नहीं होता तो जो उपलब्ध होता है उसी को समय द दिया जाता है और फिर चयन कर लिया जाता है । दूसरी यह कि जो तकनीकी लोग हैं, अगर दूसरे व्यक्ति नहीं मिलते ह तो उनको अवसर दे दिया जाता है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं जानना चाहता हूं कि लेबर आफिसर्स और रेवेन्यू आफिसर्स कौन से तकनीकी आदमी हैं और क्या पी० एस० सी० से पूछा गया था कि ऐसे आदमी नहीं मिल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पी० एस० सी० से पूछने की क्या आवश्यकता थी ? कोई नया चयन नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन दे दिया गया है और जनहित में है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मन्त्री जी ने कहा है कि इसमें विधान सभा और विधान परिषद् की लिस्ट नहीं है तो इसमें क्या मसलहत है? उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है या नहीं या कोई मसलहत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मसलहत कुछ नहीं है । अगर आप सवाल करेंगे तो यह लिस्ट भी आ जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप जानते ही हैं कि वह स्वतंत्र है, इससे संबंधित नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 28 को देखलें कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो । इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि विधान सभा या विधान परिषद् के अधिकारियों के संबंध में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं । क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विधान सभा और विधान परिषद् क अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया गया है? यदि हां, तो कितने दिनों का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो अलग से प्रश्न कर दिया गया, प्रश्न करेंगे तो उसके बारे में भी लिस्ट दे देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि कुछ तकनीकी व्यक्तियों को समय-समय पर जनहित में एक्सटेंशन दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि जितने लोगों को एक्सटेंशन दिया गया है या जिन की पुर्नानियुक्ति की गई है या सेवा अवधि बढ़ाई गई है उन 26 व्यक्तियों में से कौन-कौन लोग ऐसे ह जो तकनीकी हैं और उनके स्थान पर क्या नई नियुक्ति करने का कोई प्रयास किया गया और क्या उस में कोई नया आदमी उन स्थानों के लिये नहीं मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें कुछ एक आध डाक्टर वगैरा हैं जो तकनीकी आदमी होते हैं, कार्य की दृष्टि से अगर आवश्यक समझा जाता है तो दे दिया जाता है.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

सिविल सर्जन बनारस को दिया है जब कि डाक्टर मारे-मारे फिर रहे हैं, उन की भी आपने सेवा अवधि बढ़ाई है.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो बहस की बात है, तकनीकी लोगों को दिया गया है लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो तकनीकी भी नहीं हैं और कार्य हित में और जन हित में यदि आवश्यकता उन की महसूस होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी को सेवावृद्धि यथासम्भव न दी जाय, आवश्यकतानुसार कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह ---

पहले रिटायरमेन्ट एज 55 थी, 55 से वह बढ़ा कर 58 की गई और फिर आप 60 तक पहुंचा रहे हैं, इस लिस्ट को देखने से पता लगता है कि आप 3-3 साल के लिये नई नियुक्ति कर रहे हैं जो कोई टेक्निकल भी नहीं हैं और ऐसे लोग तमाम मिल सकते हैं, आप जूनियर लोगों को प्रोमोट नहीं करेंगे और कब्र में जाने वालों को बैक करेंगे । क्या आप कोई निश्चित सिद्धांत बनायेंगे कि केवल इन्हीं स्थितियों में एक्सटेंशन या पुर्नियुक्ति होगी अन्य में नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह तो निवेदन किया है उन्होंने, हम अवश्य उन के इस निवेदन पर विचार करेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या यह सही है कि सेशन जज, कानपुर, का जो एक्सटेंशन है वह सर्टिफिकेट की बिना पर नहीं बल्कि कुंडली या जन्म-पत्र के आधार पर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कोई आधार रहा होगा तभी दिया गया होगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

कोई आधार आपने बनाया है या किसी का सर्टिफिकेट के आधार पर और किसी का कुन्डली के आधार पर एक्सटेंशन कर देते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस लिस्ट में कानपुर के किसी जज का नाम नहीं है, कोई दिया गया होगा तो मालूम नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्री पी० एन० मैथानी, श्रम आयोग के वैयक्तिक सहायक को 28-2-73 के बाद की अवधि के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और सिविल सर्जन, श्री मिश्रा, के बारे में जो बताया गया है उस विषय में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दोनों सज्जन काम कर रहे हैं या नहीं और हैं तो विचाराधीन क्यों है? क्या कोई सिविल सर्जन का पी० ए० नहीं मिल रहा है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

श्री मैथानी तो श्रम आयोग में हैं, यह अलग से काम कर रहे हैं, उनका थोड़े दिन का कार्यकाल सम्भवतः रह गया है उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जहां तक सिविल सर्जन की बात है वह एक अनुभवी, योग्य और कुशल व्यक्ति हैं, उन को थोड़े समय का एक्सटेंशन दिया गया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि जिन लोगों के बारे में लिखा गया है कि एक्सटेन्शन देने का मामला विचाराधीन है कि दिया जाय या न दिया जाय, वे अब भी काम कर रहे हैं और किस लिये उनके मामले विचाराधीन हैं ? क्या सरकार उनको एक्सटेंशन देगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इस समय वे कार्य कर रहे हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 60 वर्ष के ऊपर भी एक्सटेंशन दिया है। जब रिटायरमेन्ट की एज 55 वर्ष है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि 55 वर्ष के बाद एक्सटेन्शन न दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

साधारण नीति तो यही है कि एक्सटेन्शन न दिया जाय लेकिन जहां बहुत आवश्यक होता है उनकी पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है और खास कारणों से एक्सटेन्शन भी दिया जाता है।

श्री रामगोपाल संड—

एक श्री सितावर शरण, एडीशनल डायरेक्टर एजूकेशन हैं, वे 60 वर्ष की आयु के हैं, क्या उनको भी एक्सटेन्शन दिया गया है या नहीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस प्रश्न से उसका सम्बन्ध तो है नहीं।

श्री रामगोपाल संड—

मेरी प्रार्थना है कि जब विभाग में अन्य यंग आदमी भरे पड़े हैं तो क्यों एक्सटेन्शन दे दिया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीपराकछार, देवरिया के नव-निर्वाचित व्यवस्थापक का कत्ल

*2—श्री बांके लाल (जिला देवरिया), श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया), श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) तथा कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीपराकछार, जिला देवरिया, के नवनिर्वाचित व्यवस्थापक श्री राघव सिंह का कत्ल प्रबन्धकीय विवाद को लेकर दिनांक 20 फरवरी, 1973 को गोली मार कर कर दिया गया ? क्या यह सही है कि मृतक ने दिनांक 17 जनवरी, 1973 को जिलाधिकारी, देवरिया को पत्र लिख कर अपने सुरक्षा की मांग की थी? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दिनांक 20/21-2-73 की रात में श्री राघव सिंह (निवासी, ग्राम पिपराकछार, देवरिया) व्यवस्थापक, पिपराकछार विद्यालय देवरिया की गोली मार कर हत्या किये जाने, की सूचना थाना रुद्रपुर पर 21-2-73 को प्राप्त हुई। इस सूचना के अनुसार नामांकित अभियुक्तों में से एक से मृतक का स्कूल का झगड़ा और मुकदमें बाजी चल रही थी।

हत्या की सूचना के आधार पर थाना रुद्रपुर पर धारा 147/148/302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के उपरान्त सभी नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया जहां मुकदमा विचाराधीन है।

मृतक का सुरक्षा सम्बन्धी दिनांक 17-1-73 का कोई पत्र जिलाधिकारी देवरिया को प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता।

श्री बांकेलाल---

क्या यह बात सही है कि 17-1-73 को श्री राघव सिंह ने जिलाधिकारी को अपनी सुरक्षा सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र दिया था और जिलाधिकारी ने उस प्रार्थना-पत्र को रजिस्टर में दर्ज कराके पुलिस कप्तान, देवरिया, को भेज दिया? तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह बात सही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार जिलाधीश द्वारा कोई सुरक्षा का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बांकेलाल---

श्रीमन्, उस प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि हमारे पास है जो श्री राघव सिंह ने कलेक्टर दी और उन्होंने अपने रजिस्टर में दर्ज कराकर पुलिस कप्तान के यहां भिजवायी । क्या इस बात की मन्त्री जी जांच करायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसकी जांच तो करवा लूंगा लेकिन मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

माननीय मन्त्री जी जांच तो करायेंगे ही लेकिन अगर यह बात सही पायी गयी कि यह प्रार्थना-पत्र दिया गया था और उस बात की पुष्टि में कलेक्टर के कार्यालय में रिकार्ड भी मौजूद हुए तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ मन्त्री जी कोई कार्यवाही करायेंगे कि उसने सरकार को गलत सूचना दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इसमें अगर मगर का सवाल नहीं है। अगर यह सही पाया गया कि झूठी खबर दी गयी तो उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही होगी और होनी भी चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्री राघवसिंह जो विद्यालय के व्यवस्थापक थे उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी थी जैसे एस० पी० आदि को कि विद्यालय में इस-इस प्रकार का झगड़ा चल रहा है और उनके जान माल को खतरा है ? क्या सरकार के पास भी इसकी सूचना है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, श्री राघवसिंह अध्यापक नहीं प्रबन्धक हैं । जो प्रश्न है, ऐसी कोई सूचना देने की जानकारी नहीं है और न इसके बारे में सूचना प्राप्त है ।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन कत्ल हुआ, उस दिन वहां के थानेदार जानबूझ कर अनुपस्थित हो गये थे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न सूचना है कि वे जानबूझ कर अनुपस्थित हो गये थे ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट थाने में दर्ज है, उसमें किन-किन लोगों के नाम हैं ? क्या वे पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए या उन्होंने स्वयं अदालत में आत्म-समर्पण कर दिया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिन लोगों के नाम एफ० आई० आर० में हैं, वे सारे लोग अदालत में हाजिर हो गये । इसलिये गिरफ्तार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तारीख को ये लोग अदालत में हाजिर हुए और घटना की रिपोर्ट कब हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, अभियुक्त शंकर सिंह, वकील सिंह, हरदेव सिंह, अचम्भित सिंह, दूधनाथ सोनार और हरिश्चन्द्र सोनार, ने 24-2-73 को और मोती केवट ने 6-3-73 को आत्मसमर्पण किया और न्यायालय से ये लोग जेल भेज दिये गये ।

श्री बांकेलाल---

क्या यह बात सही है कि माननीय हाई कोर्ट नें 24-10-72 को यह निर्णय दिया था कि कालेज के मैनेजमेन्ट का प्रबन्ध प्रिंसिपल देखे लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री राघव सिंह को सुपुर्द किया था, जो इस कत्ल का कारण हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या यह सही है कि उसी हल्के में रहने वाले एक लेखपाल के खिलाफ भी एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, अगर हां, तो क्या लेखपाल को मुअत्तल किया गया है या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उस लेखपाल का नाम बता दें तो देख लें । एफ० आई० आर० में तो कई नाम हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

शंकर सिंह शायद नाम है उसका ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

शंकर सिंह तो नाम है, लेकिन अब वह लेखपाल है, कानूनगो है, तहसीलदार है, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या यह सही है कि राघव सिंह ने इन्हीं लोगों के खिलाफ एक आवेदन पत्र दिया जिसमें यह कहा था कि मोती केवट नाम का एक सातिर आदमी एक ग्रुप बना रहा है और उनके जान-माल का खतरा है । तो उस लेखपाल के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही पहले की गयी और नहीं तो क्यों?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की सूचना राघव सिंह ने शासन को न दी है और न इसकी जानकारी है और न कोई रिकार्ड है । लेकिन जिन लोगों के नाम एफ० आई० आर० में है, वे सब जेल भेज दिये गये हैं । अगर कहें तो इसकी जानकारी कर लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या यह सही है कि 107/117 की कार्यवाही इन लोगों पर इस सिलसिले में पहले से चल रही थी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस घटना के बारे में जो प्रश्न किये हैं, उससे संबंधित सारी चीजें दे रहा हूं। लेकिन इसके पहले 107/17 इन पर चला कि नहीं, या इसके पहले इन लोगों से दुश्मनी थी कि नहीं, यह जब सूचना देंगे तो सारी छानबीन करा लेंगे।

हाई स्कूल, देवकली, शाहजहांपुर के अध्यापक, श्री शुक्ल की गोली मार कर हत्या

*3---श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवकली हाई स्कूल के अध्यापक तथा पुवायां, जिला शाहजहांपुर इन्टरमीडिएट की परीक्षा केन्द्र के एक परीक्षा निरीक्षक, श्री श्यामबिहारी लाल को गोली मार कर हत्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कर दी गई? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा क्या सरकार उनके परिवार को क्षतिपूर्ति देने को तैयार है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली के अध्यापक, श्री श्यामबिहारी लाल शुक्ल की दिनांक 3 अप्रैल, 1973 को प्रातः काल जूनियर हाई स्कूल, पुवायां, जिला शाहजहांपुर के प्रांगण में गोली मार कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने विवेचना आरम्भ की तथा दिनांक 3-4-73 को ही दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। श्री शुक्ला की विधवा को जिला परिषद् निधि से रु0 1501.00 की अनुकम्पा भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मृतक के परिवार को अध्यापक कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल कपूर---

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्यामबिहारी लाल जो पुवायां के कालेज का निरीक्षण करने के लिये गये थे उन्होंने वहां पर 29 तारीख को कुछ लड़कों को पकड़ने का प्रयास किया तो क्या इसलिये उनकी हत्या कर दी गई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

उन्होंने तो नहीं पकड़ा, दूसरे अध्यापक ने पकड़ा था लेकिन शुबहा उनके ऊपर था कि इन्होंने पकड़वाया।

श्री मोहनलाल कपूर---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल इस प्रकार से नकल करने वालों को पकड़ने के बाद अध्यापकों, जो निरीक्षण करते हैं, उनको मार दिया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों के परिवारों को जिस तरह आप राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देते हैं, उनको भी पेंशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह बड़ी दुखद स्थिति है कि शिक्षा संस्थाओं में ऐसी घटनायें हो रही हैं कि अध्यापकों पर वार कर दिया जाता है और कभी कभी उनके प्राण भी चले जाते हैं। इसको रोकने के लिये पूरा प्रयास किया जाता है और पुलिस की देख-रेख में रखे जाते हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कई जगहों में ऐसा करना पड़ा । पेंशन देने की बात तो नहीं कह सकते लेकिन सहायता दी जाती है । आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लेंगे ।

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[15वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

मुहर्रम के दिन दंगा के सम्बन्ध में चेयरमैन, नगरपालिका, गोंडा व उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग

*5—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17 मार्च, 1973 को गोंडा नागरिकों की ओर से नगरपालिका के चेयरमैन तथा उनके ड्राइवर को मुहर्रम के दिन दंगा कराने के संबंध में तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग का प्रस्ताव डी० आई० जी० फैजाबाद को दिया गया ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोंडा के नागरिकों की ओर से, चेयरमैन, नगरपालिका गोंडा तथा उनके ड्राइवर को मोहर्रम के दिन दंगा कराने के संबंध में तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग लेकर एक प्रस्ताव गोंडा के कुछ प्रमुख नागरिकों ने उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 17-2-73 को दिया था । प्राप्त सूचना के अनुसार उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद ने उन लोगों को मौखिक रूप से बता दिया था कि किसी दल विशेष के दबाव में किसी की गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं की जायगी तथा मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी जा रही है और अग्रिम कार्यवाही उपलब्ध होने वाले साक्ष्य के आधार पर की जायेगी । दिनांक 14-2-73 को मोहर्रम के अवसर पर गोंडा में हुई घटना के संबंध में थाने पर अंकित मुकदमों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जो जांच आयोग के नियुक्त हो जाने के कारण स्थगित कर दी गई है ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्राइमरी पाठशाला, पिथौरागढ़,के अध्यापकों के वेतन का भुगतान न किया जाना

*1—श्री हीरा सिंह बोरा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिठौरागढ़ में प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को माह नवम्बर, 1972 से अभी तक वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिसम्बर, 1972 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है । बाकी महीनों के वेतन भुगतान हेतु भी व्यवस्था की जा रही है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न सं० 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*2—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[14वें गुरुवार के लिये ता०प्र०सं० 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों का स्थायीकरण

*3—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक तथा अध्यापिकायें हैं जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई है और उनको कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उनको अभी तक स्थायी नहीं किया है? इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है । पूरे प्रदेश से सूचना मांगी गई है । अभी तक कतिपय जिलों से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । समस्त सूचना एकत्र करने में अभी समय लगेगा ।

शिक्षा विभाग के लिपिकों एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का स्थायीकरण

*4—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के कार्यालय में कितने ऐसे लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनको कार्य करते हुये 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु उनको स्थायी नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है। पूरे प्रदेश से सूचना मांगी गई है । अभी तक कतिपय जिलों से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । समस्त सूचना एकत्र करने में अभी समय लगेगा।

गोरखपुर के राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों की पदोन्नति

*5—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कौन-कौन राजकीय आदर्श विद्यालय चल रहे हैं? क्या ऐसे विद्यालय दीक्षा विद्यालयों से संबंधित है? यदि हां, तो क्या ऐसे आदर्श विद्यालयों के जे०टी०सी० या सी०टी० अध्यापकों की पदोन्नति क्रमशः सी०टी० या एल० टी० में 5 वर्ष शिक्षण के आधार पर हुई है? यदि हां, तो कितने लोगों की पदोन्नति हुई और इसका सारा विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

(1) राजकीय आदर्श विद्यालय, गोरखपुर ।

(2) राजकीय आदर्श विद्यालय, पिपराइच (गोरखपुर)

(3) राजकीय आदर्श विद्यालय, बांसगांव (गोरखपुर)

जी हां ।

जी हां ।

केवल एक अध्यापक श्री काशीनाथ पांडे, राजकीय आदर्श विद्यालय, गोरखपुर की पदोन्नति जे०टी०सी० ग्रेड से सी०टी० ग्रेड में की गई है।

नेशनल इन्टर कालेज, हरैया, बस्ती में गबन

*6---श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद,) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेशनल इंटर कालेज, हरैया, जिला बस्ती में लाखों रुपये गबन हुआ है ? यदि हां, तो 1971-72 तथा 1972-73 में कब-कब आडिट हुआ ? दोनों वर्षों में कितने लाख रुपये का गबन एवं अनियमिततायें प्रकाश में आई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, वर्ष 1971-72 में 24-11-71 से 27-11-71 तक संस्था का विशिष्ट आडिट हुआ । 9159-47 रुपये का गबन एवं 1,22,793·07 रुपये की अनियमिततायें प्रकाश में आईं । वर्ष 1972-73 का आडिट अभी नहीं हुआ है ।

श्री बूजपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ में गबन

*7---श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के श्री बूजपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेरही-कप्तानगंज के वर्ष 1963-64 लगायत 1967-68 के हिसाब का विभागीय स्पेशल आडिट जांच में एक लाख रुपये से अधिक गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, संबंधित व्यक्ति को निलम्बित किया गया परन्तु बाद में प्रबन्धाधिकरण द्वारा आरोप वापस ले लिये गये । दिनांक 16-3-72 से उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने दिया जा रहा है ।

*8---श्री रामकुंवर सिंह---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को आडीटर्स ने गबन कराने का दोषी माना है, उसी व्यक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने विद्यालय का प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के धन को आपरेट करने का अधिकार दे दिया है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने प्रधानाचार्य निरीक्षक को संस्था के धन को आपरेट करने के आदेश दे दिये थे परन्तु शासन ने संबंधित विद्यालय निरीक्षक को संस्था के धन को अकेले ही संचालित करने के आदेश भेज दिये हैं ।

प्राइमरी स्कूल के बच्चों की फीस वसूली में भेद-भाव

*9---श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश की उन प्रारम्भिक पाठशालाओं में बच्चों से शिक्षा शुल्क ली जाती है जो माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न है जब कि अन्य प्राइमरी स्कूल में यह शुल्क नहीं ली जाती है और क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के बहुत से प्राइमरी स्कूलों में लगभग इंटर कक्षाओं के बराबर शुल्क ली जाती है । यदि हां, तो क्या सरकार इस विषमता को शीघ्र ही दूर करने का उपाय करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, इस असमानता को दूर करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

बिजनौर के बेसिक शिक्षकों के वेतन का जिलाधिकारी द्वारा भुगतान

*10—श्रीमती राजेंद्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के लगभग तीन हजार बेसिक शिक्षकों का वेतन 3 मास दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी, फरवरी, 1973 का 14 मार्च, 1974 ई० को जिलाधिकारी, बिजनौर ने वितरण किया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिलाधिकारी ने वेतन वितरण नहीं किया । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन देना

*11—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के संबंध में कोई ज्ञापन राज्य सरकार को दिया है? यदि हां, तो वह क्या है और उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । ज्ञापन प्रपत्र संलग्नक में है । अगस्त, 72 के पूर्व के बकाये को भुगतान कर देने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1114-1115 पर)

सचिवालय के अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठतानुसार सूची

*12—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

विधान सभा सत्र 1972 के 3रे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 57 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सूची अनप्लेस्ड सहायकों की दी गई है क्या वह अपूर्ण है। क्या सरकार एक दूसरी सूची जिसमें सन् 1970 तक के समस्त सहायकों के नाम जो सहायकों की ज्येष्ठता के आधार पर तैयार किया गया हो, देने की कृपा करेगी और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सचिवालय के कुल कितने अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक इस समय डेपुटेशन पर अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं और कब से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । उक्त प्रश्न के उत्तर में दी गई सूची से कुछ नाम सहवन छूट गये थे । अनप्लेस्ड सहायकों की ज्येष्ठता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। सन् 1965 के पश्चात् नियुक्त ऐसे अनप्लेस्ड सहायकों की सूची 'अ' जो अब भी सेवा में हैं, अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार कर ली गई है जिसमें उनकी अनुमानित ज्येष्ठता में भी दिखला दी गई है । संलग्न सूची 'ब' में ऐसे अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक, जो प्रति-नियुक्ति आदि पर हैं, के संबंध में सूचना †अंकित है।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों का बिना परीक्षा के स्थायीकरण

*13—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सचिवालय के लिये भविष्य में विभागीय प्रवर वर्ग सहायकों की परीक्षायें नहीं हुआ करेंगी बल्कि अवर वर्ग सहायक को

---

†छापी नहीं गयी।

वरिष्ठता के आधार पर प्रवर वर्ग सहायक के स्थान पर स्थायी नियुक्ति दे दिया जायगा ? यदि हां, तो इसका प्रभाव अनप्लेस्ड सहायकों पर क्या पड़ेगा ? क्या विशेष क्वालीफ इंग परीक्षा पास 1957 और अनप्लेस्ड सहायकों के बीच आपसी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय के स्थायी अवर वर्ग सहायकों तथा 'सब-आर्डिनेट काडर' के अन्य स्थायी कर्मचारियों को बिना प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवर वर्ग सहायक के पदों में स्थायी नियुक्ति देने के संबंध में शासन द्वारा अभी विचार किया जा रहा है । अभी यह बताना संभव नहीं है कि अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 1957 की विशेष क्वालीफाइंग परीक्षा पास अवर वर्ग सहायकों तथा अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का प्रश्न भी विचाराधीन है और अंतिम रूप से निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा।

*14—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[14वें गुरुवार के लिये प्र०सं० 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कड़सरवा बुजुर्ग, देवरिया में फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन भुगतान कराना

*15—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़सरवा बुजुर्ग जिला देवरिया में अप्रैल, 1971 से दिसम्बर, 1972 के बीच फर्जी अध्यापकों एवं चपरासियों के नाम पर सेन्ट्रल बैंक, भाटपार रानी से वतन लेने के शिकायती पत्र में उक्त अवधि में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् इलाहाबाद के विद्यालय-भवनों का निर्माण

*16—श्री राम किशोर शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यादेश सं0 22, 12/15(5)/72, दिनांक 25 मार्च, 1972 के द्वारा जिला परिषद् इलाहाबाद को 9,77,500 रु0 की धनराशि विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये स्वीकार किया था और जिला परिषद इलाहाबाद ने भवनहीन 115 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 8,500 रु0 प्रति भवन के हिसाब से मंजूर कर टेण्डर मांगा था ? यदि हां, तो 115 भवन कब तक बन कर तैयार होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। जिला परिषद इलाहाबाद द्वारा इस संबंध में टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे। ये भवन केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के माध्यम से यथाशीघ्र बनाये जाने का प्रस्ताव है।

*17—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[14 वें गुरुवार के लिये प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जूनियर हाई स्कूल, बालपुर, गोंडा के अध्यापकों का बकाया वेतन

*18—श्री राम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, बालपुर, जिला गोंडा के कितने और कौन कौन अध्यापकों का दिनांक 1 फरवरी, 1967 से 30 जून, 1970 तक का वेतन बकाया है और जिला परिषद अध्यक्ष के आदेश संख्या मेमो/जी0 सी0 टी0—69—70, दिनांक 20 मार्च, 1970 के अनुसार क्या वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जूनियर हाई स्कूल बालपुर जिला गोंडा के तीन अध्यापक सर्वश्री रामानुज त्रिपाठी, लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी एवं समयदीन पाण्डेय का 1—2—67 से 30—6—70 तक का वेतन बकाया है ।

अध्यक्ष जिला परिषद का सन्दर्भगत आदेश श्री रामानुज त्रिपाठी को निलम्बन काल में वेतन का 1/3 दिये जाने के लिये है। भुगतान क्यों नहीं हो रहा है इसकी छानबीन कराई जा रही है ।

प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज, उरई द्वारा गोलमाल

*19—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, उरई के खिलाफ वर्ष 1971—72 व 1972—73 में विज्ञान साज-सज्जा व पुस्तकीय अनुदान को गोल माल करने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? उक्त वर्षों में कालेज के लिये कितनी धनराशि की फर्नीचर खरीदी गई तथा क्रय के पहिले किन-किन फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*20—श्री त्रिवेणी सहाय—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त) ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*21—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का कोई मांग-पत्र तथा कोई छपी हुई नोटिस 1 मार्च, 1973 से 15 मार्च, 1973 के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। 29 मार्च, 1973 को प्राप्त हुआ था। इसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।† इस मांग पत्र पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति की आख्या मांगी गई है।

†छापी नहीं गयी

गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिपिकों एवं चपरासियों का स्थायीकरण व वेतन-क्रम

*22—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितने ऐसे लिपिक और चपरासी हैं जिनकी सेवायें अभी तक स्थायी नहीं हुई हैं उनके नाम क्या हैं, कितने दिनों से वह विश्वविद्यालय में नियुक्त हैं, उनके वेतन-मान की धनराशि कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

[सूचना संलग्न † तालिका में प्रस्तुत है ।

श्री राम शर्मा, ग्राम करौरा, पहासू, बुलन्दशहर की हत्या का प्रयास

*23—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 18 नवम्बर, 1972 को श्रीराम शर्मा, निवासी ग्राम करौरा, थाना पहासू, जनपद बुलन्दशहर पर उसी गांव के कुछ लोगों ने जान से मार डालने हेतु हमला किया और इस सम्बन्ध में कथित श्री राम शर्मा के लड़के श्री गंगा सहाय ने थाना पहासू में दफा 325, 502 और 223 आई0 पी0 सी0 के अन्दर एक रिपोर्ट दर्ज कराई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गंगा शरण पुत्र श्री राम निवासी ग्राम करौरा ने थाना पहासू, बुलन्दशहर पर दिनांक 19-11-72 को नामजद अभियुक्तों द्वारा वादी के पिता को मारने-पीटने की सूचना दी । इस संबंध मे धारा 325/323/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई । अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । वाद न्यायालय के विचाराधीन है ।

(3 मई, 1973 के निर्धारित तारांकित प्रश्न)

राज्य में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों की सरकार स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब-कब तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

भारत सरकार से वर्ष 1969 में प्रदेश के तीन स्थानों यथा रसड़ा (बलिया), कायमगंज (फर्रुखाबाद) तथा हरदुआगंज (अलीगढ़) में सहकारी चीनी मिल की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर आशय-पत्र प्राप्त हुए । उनकी स्थापना संबंधी कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, प्लाट एवं मशीनरी के आदेश देने की कार्यवाही, वित्तीय क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने से संबंधित कार्यवाही तथा गन्ना विकास कार्यक्रम प्रगति पर है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

पुनः वर्ष 1972–73 में भारत सरकार से प्रदेश के चार स्थानों यथा आजमगढ़, चन्दौली (वाराणसी) सुल्तानपुर तथा अनूपशहर (बुलन्दशहर) में सहकारी चीनी मिल की स्थापना संबंधी आशय-पत्र प्राप्त हुये हैं। इनकी समितियों की उपविधियों को पंजीकृत किया जा रहा है और भूमि चयन समितियों का गठन कर लिया गया है। जिलाधिकारियों को आशय-पत्र की शर्तों को शीघ्र पूरा करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। उक्त चीनी मिलों पर होने वाला व्यय कृषकों द्वारा एकत्र अंश पूंजी एवं राज्य सरकार द्वारा विनियोजित अंशपूंजी से तथा औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वहन किया जायगा।

बदायूं जनपद में एक सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की वास्तु कला डिग्री कोर्स का आरम्भ

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में वास्त कला डिग्री कोर्स के लिये वर्ष 1965–66 में करीब 78,000 रु0 स्वीकृत किये थे? यदि हां, तो अब तक उक्त विद्यालय में उक्त डिग्री कोर्स प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त महाविद्यालय में कोई डिग्री कोर्स 1969–70 में नया चालू किया गया? यदि हां, तो कौन? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

जी नहीं।

1969–70 में महाविद्यालय में कोई नया डिग्री कोर्स चालू नहीं किया गया क्योंकि इस की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[24 वें गुरुवार के लिए ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रादेशिक शिक्षा दल का शिक्षा विभाग में विलीनीकरण

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रादेशिक शिक्षा दल को समाप्त करके शिक्षा विभाग में विलीन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उसमें कार्यरत 18 कमांडेण्ट्स को उनके वर्तमान पी0 ई0 एस0 ग्रेड में ही विलीन किया जा रहा है परन्तु सहायक कमांडेण्ट्स के विषय में सरकार कोई दूसरा निर्णय ले रही है जिसमें वे राजपत्रित कर्मचारी के स्तर से वंचित हो जायेंगे? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन ने प्रदेशीय शिक्षा दल को समाप्त कर दिया है। इस लिये योजना को शिक्षा विभाग में विलीन करने का प्रश्न नहीं उठता। योजना के अन्तर्गत कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के सामान्य सम्वर्ग में संविलीन करने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायता एवं मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तें

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहायता एवं मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते सरकारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के समान हैं परन्तु इन सहायता एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कोई सेवा शर्तें नहीं है? क्या सरकार इन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये सरकारी संस्थाओं के समान सेवा शर्तें बनायेगी तथा क्या सरकार इन्हें भी अपने नियंत्रण में लेने पर विचार करेगी विशेष कर इस कारण कि लगभग पूरा व्यय इन संस्थाओं का सरकार ही वहन कर रही है?

प्राविधिक शिक्षा एवं लघ उद्योग मंत्री (डाक्टर राम जी लाल सहायक)—

सहायता एवं मान्यता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा मंहगाई भत्ते सरकारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के समान हैं। अभी सरकारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बने हैं। इन नियमों के बन जाने के बाद इनके आधार पर सहायता एवं मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के सेवा नियमों को बनाने पर विचार किया जायेगा।

इन संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

ग्राम सभा रसबेना, जैतीपुर, शाहजहांपुर के प्राइमरी स्कूल के कुछ फेल विद्यार्थियों को पास करना

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा रसेबन में जो प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने 5 वीं कक्षा में फेल शुदा कई लड़कों को पास होने के सर्टीफिकेट देकर फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली में जूनियर हाई स्कूल में इस वर्ष दाखिल करा दिया और इसकी जांच सब डिप्टी इंसपेक्टर स्कूल, विकास क्षेत्र जैतीपुर ने सितम्बर 1972 में की और रसेबन के प्रधान अध्यापक के बयान भी लिये? यदि हां, तो आज तक यह मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, दो छात्रों को इस तरह के गलत सार्टिफिकेट देने के मामले सामने आये हैं। जांच अभी जारी है। पूरे तथ्य ज्ञात होने पर अग्रिम यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

उप-विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक की पदोन्नति

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित निरीक्षण शाखा की सेवा नियमावली के अनुसार उप विद्यालय निरीक्षक (सामान्य) उर्दू माध्यम स्कूलों के उप विद्यालय निरीक्षक तथा संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षकों को एक ही कैडर में रखे जाने पर भी प्रथम दो उप विद्यालय निरीक्षकों को विभागीय पदोन्नति दी जाती है, किन्तु संस्कृत

पाठशालाओं के सहायक निरीक्षकों को विभागीय पदोन्नति नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत सेवा नियमावली के अनुसार सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं के पद अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) निरीक्षण शाखा के सामान्य संवर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, बल्कि उसमें उनकी अपनी एक अलग इकाई (यूनिट) है। अतः समान्य संवर्ग में उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाती है।

अब संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षकों को निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं के पद पर पदोन्नति देने हेतु, शासनादेश जारी कर दिये गये हैं।

माडल स्कूल वर्ग बी० तथा सी० के प्रधानाचार्यों को हाउस एलाउन्स

*9—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के माडल स्कूलों के क्लास बी० और सी० के हेड मास्टरों को कहां-कहां किस तरह से हाउस रेंट दिया जाता है और क्या कुछ ऐसे हेड मास्टर भी इन स्कूलों के हैं जिनको रहने के लिये जगह लगभग 10 प्रतिशत तनख्वाह काटने के बाद दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है क्या यह सिर्फ रुद्रपुर के जिला नैनीताल के ही स्कूल में अकेले लागू है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय दीक्षा विद्यालयों से संलग्न आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यपकों को जहां सरकारी आवास गृह की व्यवस्था नहीं है निःशुल्क आवास के बदले उनके वेतन का 10% मकान किराया भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता उसी दशा में देय होता है जब कि आदर्श विद्यालय के साथ छात्रावास संलग्न हो तथा उस छात्रावास में पर्याप्त संख्या में छात्र रहते हों जिनकी निगरानी करने के लिये प्रधानाध्यापक पास में रहता हो।

राजकीय आदर्श विद्यालय, ताडीखेत (अल्मोड़ा) तथा रुद्रपुर (नैनीताल) के प्रधानाध्यापकों को उनके वेतन का 10% (मकान का किराया) काटकर भुगतान किया जाता है क्योंकि इन आदर्श विद्यालयों के साथ छात्रावास नहीं है और प्रधानाध्यापकों को निःशुल्क आवास की सुविधा देय नहीं है।

उ० प्र० सिविल जुडिशियल (मुन्सिफ)सेवा नियमावली में संशोधन

*10—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल जुडिशियल (मुंसिफ) सेवा नियमावली सन् 1951 को संशोधित कर 31-1-72 से लागू कर दिया जो उत्तर प्रदेश सरकारी गजट, दिनांक 12-2-72 के भाग 1-क में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन नियुक्त विभाग उसका पालन न करके जिला मैजिस्ट्रेट के मुंसिफों का चयन करने जा रहा है? यदि हां तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

संशोधित कथित नियमावली 3-6-72 के सरकारी गजट में अधिसूचित हुई थी तथा उसी दिनांक से प्रवृत्त है। मुन्सिफों की आगामी परीक्षा इसी नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जा रही है।

प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना खोलने हेतु लाइसेन्स

*11--श्री राम गोपाल संड---

क्या शासन ने प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर का कोई कारखाना खोलने का लाइसेन्स किसी निजी संस्थान को दिया है ? यदि हां तो इस कारखाने को कब चालू किया जायगा तथा इसमें कितने ट्रैक्टरों का प्रति वर्ष निर्माण होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां ।

प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना लगाने हेतु भारत सरकार ने मे० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई को एक लाइसेंस 10-10-72 को प्रदान किया है। कारखाना कब चालू किया जायगा इसकी सूचना निश्चित रूप से इस फर्म ने अभी नहीं दी है परन्तु इसकी उत्पादन क्षमता 12000 ट्रैक्टर्स प्रति वर्ष होगी।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी, इलाहाबाद के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*12---श्री राम गोपाल संड---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी, जिला इलाहाबाद के लगभग 2000 श्रमिक पिछले 15-12-72 से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, शासन हड़ताल समाप्त कराने तथा उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा कराने के लिये क्या कर रही है ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी---)

मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, जिला इलाहाबाद में श्रमिकों ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 से हड़ताल प्रारम्भ की थी जिसमें प्रमुख मांग वर्ष 1971-72 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में थी। यह हड़ताल दिनांक 22 जनवरी, 1973 को श्रम विभाग के अधिकारियों के प्रयास से हुए समझौता के फलस्वरूप समाप्त हो गई और दिनांक 27 जनवरी, 1973 से प्रतिष्ठान में कार्य सामान्य रूप से चलने लगा।

ग्राम ऊंचागांव, जलेसर, एटा में गोलीकाण्ड

*13---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि ग्राम ऊंचागांव थाना जलेसर जिला एटा में दिनांक 14 सितम्बर, 1972 तथा 21 नवम्बर, 1972, 22 नवम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर, 1972 को बदमाशों द्वारा ग्रामवासियों के ऊपर किये गये नृशंस गोली काण्ड की रिपोट थाना जलेसर, जिला एटा में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट में किस-किस अभियुक्त का नाम अंकित किया गया है और सरकार ने इस गम्भीर मामले में दिनांक 24 जनवरी, 1973 तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के अनुसार बदमाशों द्वारा ग्राम ऊंचागांव, थाना जलेसर, जिला एटा में दिनांक 14 सितम्बर, 1972, 21 नवम्बर, 1972 तथा 22 नवम्बर, 1972 को गोली काण्ड की कोई घटना घटित नहीं हुई। दिनांक 1 जनवरी, 1973 को वादी श्री गंगासिंह द्वारा 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की थाना जलेसर पर अंकित कराई गई कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 को उनके तथा उनके साथियों पर अभियुक्तों

ने फायर किये जिससे वादी के सर में एक छर्रा लगा। इस पर धारा 147-148-307 भा० द० वि० के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया तथा वादी का डाक्टरी मुआयना कराया गया जिससे वादी को साधारण चोट आना पायी गयी। विवेचना के बाद अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट में अंकित 10 अभियुक्तों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1116 पर)

श्री मोहनलाल पालीवाल, ग्राम गनेशपुर, जलेसर, एटा के लापता होने की रिपोर्ट

*14—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि श्री मोहन लाल पालीवाल, पुत्र श्री गोविन्द राम पालीवाल, निवासी ग्राम गनेशपुर, थाना एवं तहसील जलेसर, जिला एटा की हत्या दिनांक 26 फरवरी, 1972 को करदी गई थी जिसकी रिपोर्ट उपरोक्त थाने में दिनांक 27 फरवरी, 1972 को लापता करार देकर कराई गई थी? यदि हां, तो 10 जनवरी, 1973 तक इस मामले में किस-किस को गिरफ्तार करके चालान किया गया? क्या सरकार उक्त हत्याकान्ड की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना अनुसार श्री मोहन लाल पालीवाल पुत्र श्री गोविन्द राम पालीवाल निवासी ग्राम गनेशपुर, जिला एटा के दिनांक 26 दिसम्बर, 1971 से लापता होने के बारे में एक रिपोर्ट दिनांक 27 फरवरी, 1972 को उनके बहनोई श्री फतहचन्द पालीवाल द्वारा थाना जलेसर पर अंकित करायी गयी श्री। दिनांक 10 जनवरी, 1973 तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि दिनांक 26 फरवरी, 1972 को श्री मोहन लाल पालीवाल की हत्या होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराये जाने की अभी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों की बेकारी

*15—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1973 तक कितने इंजीनियर तथा ओवरसियर बेकार थे और उनकी बेकारी को दूर करने के लिये क्या सरकार कोई योजनायें बना रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फरवरी, 1973 को बेरोजगार इंजीनियरों तथा ओवरसियरों की संकलित सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रशिक्षण एवं सेवायोजना कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सेवायोजना कार्यालयों की जीवित पंजिकाओं पर 31 दिसम्बर, 1972 को कुल 1850 इंजीनियरिंग में डिग्री तथा 5705 इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार थे।

शिक्षित तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश ने फरवरी तथा अप्रैल 73 में लगभग 32 करोड़ रुपए के परिव्यय की परियोजनायें बनाकर योजना आयोग के स्वीकृतार्थ भेजी थी। इन योजनाओं पर 19 अप्रैल, 1973 को लखनऊ में केन्द्रीय राज्य योजना मन्त्री के साथ विचार विमर्श हो चुका है। योजना आयोग ने प्रदेश के लिए सिर्फ 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किये। इसको व उनकी अन्य आख्याओं को दृष्टि में रखकर इन परियोजनाओं को पुनरीक्षित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में वर्ष 1973-74 में बेरोजगार इंजीनियरों तथा ओवरसियरों को भी पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा।

चीनी मिल, मसौढ़ा, फैजाबाद के क्रय-केन्द्र की दरें

*16—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल मसौढ़ा, जिला फैजाबाद में कुल कितने क्रय केन्द्र हैं और कितने-कितने मील की दूरी पर खोले गये हैं, किस किस गन्ना क्रय केन्द्र से गन्ने की ढुलाई किस दर से किसानों के गन्ने के दाम से कटौती की जा रही है ? क्या यह सही है कि विभिन्न क्रय केन्द्रों पर विभिन्न दर से कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित चीनी मिल से सम्बद्ध सीजन 1972-73 के लिए कुल 25 गन्ना क्रय केन्द्र हैं, जिनके नाम, मिल से उनकी दूरी तथा उनपर गन्ने की ढुलाई की दर, जिसके अनुसार किसानों के गन्ने के दाम से कटौती की गयी, का विवरण संलग्न* तालिका 'क' में दर्शाया गया है ।

यह सही है कि मिल द्वारा विभिन्न क्रय केन्द्रों पर विभिन्न दरों से गन्नेकी ढुलाई की कटौती की जा रही है। इसका कारण सड़क की दशा, दूरी आदि बताई जाती है ।

*17—श्री सुखपाल पांडेय—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी मिर्जापुर हेतु पत्थर खोदने के कार्य की ठेकेदारी

*18—श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री अवधेश प्रताप मल्ल (जिला देवरिया)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क, जिला मिर्जापुर के धुर्मा खदान में जनवरी, 1972 से लेकर दिसम्बर 1972 तक किन-किन ठेकेदारों को किस-किस मात्रा में पत्थर खोदने का कार्य दिया गया था उनमें से किस मात्रा म किस-किस ठेकेदार ने काम किया है, जिन ठेकेदारों ने काम की मात्रा ठेके की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं किया है क्या उन ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही (जुर्माना) न करके उल्टे इस वर्ष सन् 1973 में अधिक दरों पर उन्हें दुबारा काम अधिक मात्रा में दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर के धुर्मा खदान में जनवरी 1972 से दिसम्बर, 1972 तक के लिए निम्नलिखित ठेकेदारों को उनके सामने अंकित मात्रा में प्रतिदिन चूने के पत्थर खोदने का कार्य दिया गया था। (एक माह में केवल 25 दिन ही कार्य दिवस माना गया है):—

1—मेसर्स कैमूर माइन्स	.. ..	250 मैट्रिक टन प्रतिदिन
2—मेसर्स ओम प्रकाश एन्ड कं0	.. ..	150 मैट्रिक टन प्रति दिन।
3—मेसर्स सहयोगी उद्योग संघ	.. ..	200 मैट्रिक टन प्रतिदिन
4—मेसर्स रामकिशोर एन्ड कं0	.. ..	200 मैट्रिक टन प्रतिदिन
5—मेसर्स पी0 के0 सिंह एन्ड कं0	..	200 मैट्रिक टन प्रतिदिन

उपरोक्त कार्य 3 रु0 38 पैसे प्रति टन (जिसमें लोड एन्ड लिफ्ट तथा हैन्डलिंग शामिल नहीं है) की दर से दिया गया।

---

*छापी नहीं गयी ।

उपरोक्त ठेकेदारों ने अपने ठेके की अवधि में पृष्ठ 2 के विवरणानुसार कार्य किया है । कालम 4 में कार्य की मात्रा में कमी या अधिकता दी हुई है ।

ठेकेदार का नाम	कितनी मात्रा में ठेकेदार को पत्थर खोदना था	मात्रा जिसकी खुदाई ठेकेदार ने किया	प्रकार्य की मात्रा में कमी या अधिकता
	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन	मै0 टन
1--मेसर्स कैमूर माइन्स ..	75,000	87,647.189	12,647.189 अधिक
2--मेसर्स ओम प्रकाश ऐंड कम्पनी ..	45,000	36,460.467	8,539.533 कय
3--मेसर्स सहयोगी उद्योग संघ	60,000	37,701.374	22,298.626 कम
4--मेसर्स राम किशोर एन्ड कम्पनी ..	60,000	32,962.848	27,037.152 कम
5--मेसर्स पी0 के0 सिंह कम्पनी ..	60,000	6,725.465	53,274.535 कम

उपरोक्त जिन ठेकेदारों ने काम की मात्रा पूरा नहीं किया है उनके विरुद्ध ठेके की श र्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । उक्त ठेकेदारों में से केवल सर्वश्री राम किशोर एन्ड कम्पनी तथा सहयोगी उद्योग संघ को ही इस वर्ष सन् 1973 में दुबारा कार्य निम्नलिखित दरों पर दिया गया है :--

(1) रु0 5.25 पैसे प्रति मैट्रिक टन जहां टन लाइन की सुविधा उपलब्ध है ।

(2) रु0 5.75 पैसे प्रति मैट्रिक टन जहां टन लाइन ,की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इन दोनों दरों में लोड एवं लिफ्ट हैंडलिंग चार्जेज शामिल हैं ।

इस वर्ष निविदा दाताओं ने श्रम तथा कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों में महंगाई के कारण निविदा में बहुत ऊंची दरें दी थीं । निगोसियेशन के समय दर कम करने के लिए निविदा दाताओं पर काफी दबाव डाला गया फलस्वरूप उपरोक्त सीमा तक ही दरों में कमी कराई जा सकी ।

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री और डाला के लिये टामस डफ फर्म, कलकत्ता को 80 लाख बोरों का आर्डर

*19--श्री राम करन सिंह तथा श्री अवधेश प्रताप मल्ल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता की टामस डफ नामक फर्म पर वर्ष 1972-73 के लिये 80 लाख बोरी का आर्डर बहुत महंगे दाम पर बिना किसी टेण्डर के राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क और डाला के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जितना माल उक्त फर्म में दोनों राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री को दिया है उससे 4 लाख रुपये की हानि हुई है ? उसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सीमेन्ट की नई बोरियों की आपूर्ति के लिये कलकत्ता की मेसर्स टामस डफ कम्पनी को वर्ष 1972–73 में 48 लाख बोरियों की आपूर्ति का क्रयादेश दिया गया था। उन्हें जुलाई 72 से दिसम्बर 72 तक 4 लाख बोरे प्रतिमास चुर्क को और 4 लाख प्रतिमास डाला को देने थे—यह आदेश अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से कुछ अधिक मूल्य पर दिया गया था।

अन्य आपूर्ति कर्त्ताओं द्वारा टेण्डर में कम दाम देने और उसके अनुसार आपूर्ति आदेश प्राप्त कर लेने के बाद माल न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि नये बोरों का एकदम अभाव हो गया था। सीमेंट पैक करने की प्रक्रिया बन्द करनी पड़ सकती थी। नये बोरों की कमी की पुराने बोरों का अधिक इस्तमाल कर पूरा करने की चेष्टा की गयी परन्तु नियमानुसार पुराने बोरों का प्रयोग भी सीमेन्ट कन्ट्रोल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमा तक ही किया जा सकता है। अतः विचौलियों के स्थान पर टामस डफ पर, जो स्वयं बोरा निर्माता हैं और जिनके साथ पिछले वर्षों में किये गये अनुबन्धों का अच्छा अनुभव था, क्रयादेश प्रसारित किया गया जो विचौलियों के भाव से कुछ अधिक दाम पर था परन्तु उस समय की अभाव की स्थिति को देखते हुये, जो भारत सरकार द्वारा जूट के बोरों का भारी मात्रा में डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत रिक्वीजीशन कर लेने के कारण पैदा हो गयी थी, यह बड़ा हुआ मूल्य अनुचित न था। इस प्रकार संकट की स्थिति में बोरों की आपूर्ति जारी रही और सीमेंट पैकिंग बन्द करने की स्थिति नहीं आने पाई जिससे फैक्ट्री को सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

यह सही नहीं है कि इस फर्म से बोरे क्रय करने के कारण चार लाख रुपये की हानि हुई।

वर्तमान निदेशक, ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

*20—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निनेशक, ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर ने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को बिना रोजगार दफ्तर से सूची मंगाये उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र में नियुक्ति कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की और हरिजन कोटा भी न पूरा करने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशक, ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायतें

*21—श्री रूप नाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक, ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर के विरुद्ध पिछले दो-तीन वर्षों में अनेक गंभीर आरोप लगाये गये हैं जिनमें मार-पीट जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निदेशक, ईख अनुसंधान केन्द्र, शाहजहांपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर वह सभी शिकायतें, एक को छोड़कर, निराधार पाई गई थीं। जिस एक आरोप पर उक्त अधिकारी को दोषी पाया गया था, उसके लिये उन्हें शासन द्वारा उचित दंड दे दिया गया है। बाद की प्राप्त शिकायतें या तो अस्पष्ट थीं अथवा लगभग वही थीं जिन पर जांच हो चुकी थी। अतः इन पर कोई आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

*22—श्री विश्वनाथ कपूर, श्री हरीसिंह विष्ट तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

ग्राम सपहा, तुरपट्टी, देवरिया में डकैती तथा श्री चन्द्रिका पांडे की गोली से मृत्यु

*23—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 24, 25 फरवरी, 1973 की रात में ग्राम सपहा, थाना तुरपट्टी, जिला देवरिया में डकैती पड़ी और ग्रामीणों द्वारा डकैतों का मुकबला करते हुए चन्द्रिका पाण्डेय नाम के व्यक्ति की डाकुओं की गोली से मत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक की वृद्धा माता को पेंशन देने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । मृतक की माता को असाधारण पेंशन देने के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध आरोप

*24—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध घूस लेने का आरोप जन प्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा दिनांक 1-1-72 से 15-3-73 के बीच किया गया है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*25—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध शिक्षा उप निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर ने अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं नियम के विरुद्ध काम करने के सिलसिले में राज्य सरकार को 1 जनवरी, 1972 से 28 फरवरी, 73 के बीच लिखा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या शिक्षा उप निदश-शक, सप्तम मंडल, गोरखपुर की रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फल तथा शराब कम्पनियों के श्रमिकों हेतु अन्तरिम सहायता का शासनादेश

*26—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1972 में कोई इस प्रकार का शासनादेश हुआ था कि फल तथा शराब कम्पनियों में काम करने वाले श्रमिकों को 32.20 रुपया अंतरिम वेतन बढ़ोत्तरी दी जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आदेश का पालन मोहन मेकिन व मोहन गोल्ड वाटर ब्र० लि०, लखनऊ नहीं कर रही है और क्यों तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां, शासकीय अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1970 द्वारा आसवनी-तथा ब्रिवरीज में नियोजित श्रमिकों के वेतन में 32.20 की अन्तरिम वृद्धि-की गई है ।

मेसर्स मोहन मीकिन ब्रिवरीज लिमिटेड, लखनऊ ने उक्त अधिसूचना जारी होने के पहिले दिनांक 25 मई, 1970 को एक आपस का समझौता करके अपने श्रमिकों के वेतन में 30.00 रु० की वृद्धि कर दी थी। उक्त आदेश के अन्तर्गत 32.20 रु० की बढ़ोत्तरी तथा समझौता द्वारा दी गई वृद्धि 30.00 रु० के अन्तर का भुगतान भी कर्मचारियों को कर दिया है।

मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लिमिटेड, डालीगंज, लखनऊ ने अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 1972 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। अतः इस प्रतिष्ठान में अधिसूचना के अनुसार श्रमिकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठान के विरुठ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

श्री छेदा, ग्राम इच्छापुर मजरा देवकली, चांदपुर, फतेहपुर के कत्ल की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*27--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छेदा, पुत्र शंकर, ग्राम इच्छापुर मजरा देवकली, थाना चांदपुर, जिला फतेहपुर का इस आशय का शिकायती, पत्र कि उसके लड़के संतोष कुमार का कत्ल दिनांक 1-11-72 को कर दिया गया था, नामजद रिपोर्ट लिखाने के बावजूद पुलिस ने मुलजिमानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, दिनांक 28-3-73 को किसी विधायक के पत्र के साथ सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो घटना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आशय का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री छेदा निवासी ग्राम इच्छापुर ने अपने पुत्र संतोष कुमार की कथित हत्या कर दिये जाने के संबंध में दिनांक 6-11-72 को को एक लिखित नामजद रिपोर्ट थाना चांदपुर फतेहपुर में दी जिसके आधार पर धारा 147/148/149/302/201/120 बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना की गई। विवेचना से मामला हत्या का न पाये जाने के कारण मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

*28—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

[15 वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं के हड़ताल में तोड़-फोड़ की घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग

*29—श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या शासन को राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष श्री आर० के० त्रिवेदी का कोई पत्र अभी हाल में इस आशय का कि विद्युत् परिषद् के अभियन्ताओं की हड़ताल के दौरान कथित तोड़फोड़ की घटनाओं के सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र क्या है तथा शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। राज्य विद्युत् परिषद् की हड़ताल के दौरान ऐसे मामलों में, जिनमें तोड़-फोड़ का संदेह किया गया, अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच कराई जा रही है। इसलिए न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

*30—श्री कल्पनाथ सिंह—

[15 वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

प्रदेश के हाई स्कूल व इन्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों का वेतनमान

*31—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनेक हाई स्कूल व इन्टर कालिजों के साथ लगने वाली प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों का कोई वेतन मान निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों का वेतन निर्धारित कर अन्य अध्यापकों की भांति इन्हें भी संयुक्त खाते से वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बालिकाओं के हाई-स्कूलों तथा इन्टर कालेजों से नियमतः सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं को अध्यापिकाओं के वेतनमान पहले से ही निर्धारित हैं और उन्हें भी संयुक्त खाते से वेतन का भुगतान होता है। बालकों के विद्यालयों से प्राइमरी कक्षायें सम्बद्ध नहीं होती है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर नियुक्तियां

*32—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सृजित अर्थ संख्याधिकारी पदों में कुल कितने पद हैं और सरकार ने उन पदों पर नियुक्त करने के लिये कितने प्रतिशत प्रभाग से व कितने प्रतिशत बाहर से अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया है तथा सरकार कब तक इन पदों पर नियुक्तियां करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। अर्थ एवं संख्या अधिकारी के कुल 51 पद सृजित किये गये हैं। स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार 50 प्रतिशत नियुक्ति सीधी भरती से तथा शेष 50 प्रतिशत पदोन्नति से की जायेगी। इन पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी।

अर्थ एवं संख्या विभाग में ज्येष्ठ संख्यान्वेषकों के पदों पर नियुक्तियां

*33—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में वर्ष 1965 में हुए ज्येष्ठ संख्यान्वेषकों के साक्षात्कार को स्वीकृत (अप्रूव्ड) न मानने के लिये नियुक्ति एवं कानून विभाग से परामर्श करने के उपरान्त ही इस विभाग के संख्या सहायकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया गया है तथा सरकार ने सेलेक्ट सूची में रक्खे गये संख्या सहायकों की स्थिति के बारे में कौन सी नीति निर्धारित की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। ज्येष्ठार्थ संख्यान्वेशषक के पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में थे। अतः इन पदों पर चयन उनके ही माध्यम से हुआ और उनकी ही संस्तुति अंतिम थी। जो व्यक्ति नहीं चुने गये उनके अभ्यावेदन अस्वीकृत करने में किसी अन्य विभाग के परामर्श की आवश्यकता नहीं पाई गई और न कोई सेलेक्ट सूची ही बनी। रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं। अतः रिजर्व सूची के व्यक्तियों में किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई। इसके लिये किसी नीति के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

राम कोट गन्ना कांटा, सीतापुर के बन्द होने से किसानों को क्षति

*34--श्री अवधेश सिन्हा (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामकोट गन्ना कांटा जिला सीतापुर 16 मार्च, 73 से 31 मार्च, 1973 के बीच बन्द रहा, यदि हां तो कितने दिन और इस बीच किसानों का जो गन्ना नहीं खरीदा गया उससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां । सर्वश्री लक्ष्मी जी शुगर मिल, महोली (जिला सीतापुर) का रामकोट गन्ना क्रय केन्द्र निर्दिष्ट अवधि में कुल 11 दिन बन्द रहा। इस बीच किसानों का जो गन्ना नहीं खरीदा गया उसकी पूर्ति 200 क्विंटल प्रति दिन गन्ना इन्डेन्ट में और वृद्धि कर के की गयी। इस केन्द्र का सम्पूर्ण पेराई के लिये उपलब्ध गन्ना समाप्त हो चुका है और केन्द्र दिनांक 20 अप्रैल, 1973 को बन्द हो चुका है।

उप सचिव, उद्योग विभाग तथा राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध, महामन्त्री उत्तर प्रदेश समाजवादी मंच का मुख्य मन्त्री को प्रेषित शिकायती-पत्र

*35--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री काशी विश्वनाथ चतुर्वेदी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश समाजवादी मंच द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 12-1-73 में संयुक्त अधीक्षक, राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ, उपसचिव उद्योग विभाग और इसी राजकीय प्रेस के कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित मामलों पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

जी हां, ऐसा एक दिनांक रहित पत्र जनवरी 1973 में प्राप्त हुआ था । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

*36--श्री बंशोधर पांडेय तथा श्री निहाला सिंह--

[15वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*37--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

[15वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*38--श्री गिरजा शंकर तिवारी--

[15वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*39--श्रीमती मसाली देवी--

[15वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

लखनऊ में कार्यरत जुडीशियल आफिसर का स्थानान्तरण

*40--श्री हरिनाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कितने और कौन-कौन जूडीशियल आफिसर लखनऊ जनपद में कार्यरत हैं तथा उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तीन वर्षों से अधिक समय से केवल एक ही जुडीशियल आफिसर, बी० डी० केसरी, लखनऊ जनपद में दिनांक 22 जुलाई, 1969 से कार्यरत है। इस अधिकारी के बच्चों की बीमारी के कारण तथा अन्य कारणों से उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन वर्ष के उपरान्त लखनऊ में रखना उचित समझा।

*41—42—श्री राम दुलारे मिश्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद के पुलिस स्टेशनों पर जीप व टेलीफोन की व्यवस्था

1—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के किन-किन पुलिस स्टेशनों पर जीप एवं टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है? इनकी व्यवस्था न करने के क्या कारण है तथा सरकार इनकी व्यवस्था कब तक कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फर्रुखाबाद जिले के निम्नलिखित 10 थानों को अभी तक जीप नहीं दी जा सकी है।

(1) कमाल गंज
(2) सोरिख
(3) थटिया
(4) इन्दरगढ़
(5) कम्पिल
(6) नवाब गंज
(7) सम्साबाद
(8) गुरसहाय गंज
(9) मऊ दरवाजा
(10) ताल ग्राम

उक्त जिले के निम्नलिखित 8 थानों पर इस समय टेलीफोन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है—

(1) कम्पिल
(2) मऊ दरवाजा
(3) ताल ग्राम
(4) सौरिख
(5) थटिया
(6) इन्दरगढ़
(7) राजेपुर
(8) नवाबगंज

धनाभाव के कारण उपर्युक्त थानों पर जीपें अभी तक नहीं दी जा सकीं, जैसे ही संसाधन उपलब्ध हो जायंगे शेष थानों पर भी जीप दे दी जायेगी।

उपर्युक्त 8 थानों में से थाना कम्पिल पर टेलीफोन लगाय जाने का प्रस्ताव वर्ष 1973—74 की नई मांगों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा बजट पारित होने के पश्चात् उक्त थाने में टलीफोन लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। थाना मऊ दरवाजा तथा ताल ग्राम के समीप टेलीफोन ऐक्सचेंज होने की सूचना अभी हाल में प्राप्त हुई है। इन थानों पर टलीफोन लगाये जाने के प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। शेष अन्य थानों पर अभी टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे ही इन थानों पर एक्सचेंज की सुविधा भारतीय डाक तार विभाग द्वारा प्रदान कर दी जायेगी, टेलीफोन लगाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बिजनौर चीनी मिल के लिये ईंधन का क्रय

1--श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)--तथा श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर चीनी मिल के शासकीय प्रबन्ध में सन् 1971-72 तथा 1972-73 के सीजन में कितना ईंधन कहां से खरीदा गया और उसका मार्केट में भाव क्या था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बिजनौर चीनी मिल का संचालन 1971-72 मौसम में सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक (कलेक्टर बिजनौर) ने किया एवं 1972-73 मौसम में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर ने किया ।

वर्ष 1971-72 में 12409-60 क्विंटल तथा वर्ष 1972-73 में 29824-54 क्विंटल लकड़ी खरीदी गई । यह खरीद थोक भाव से कोटद्वार, धामपुर तथा नजीबाबाद के थोक विक्रेताओं से की गई। वर्ष 1971-72 में खरीदी गई लकड़ी का औसत भाव 9-71 रुपया प्रति क्विंटल तथा 72-73 में खरीदी गई लकड़ी का औसत भाव 11-02 रुपया प्रति क्विंटल रहा ।

3--श्री गिरजाशंकर तिवारी तथा श्री चिरंजी लाल--

क्या यह सही है कि बिजनौर शहर के ईंधन के भाव से अधिक मूल्य से ईंधन खरीदा गया है जिससे कि मिल को भारी हानि उठानी पड़ी थी? यदि हां तो क्या इसकी जांच पड़ताल कराई गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह सही नहीं है कि खरीदी गई लकड़ी का भाव बिजनौर शहर में ईंधन के भाव से अधिक था । वर्ष 1972-73 में बिजनौर शहर में लकड़ी का भाव 12 रुपय प्रति क्विंटल से लेकर 15 रुपये प्रति क्विंटल रहा जबकि बिजनौर शुगर मिल में खरीदी गई लकड़ी का औसत भाव 11.02 रुपया प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार वर्ष 1971-72 में बिजनौर शुगर मिल में खरीदी गई लकड़ी का भाव शहर की लकड़ी के भाव स कम था । अतः लकड़ी की खरीद से मिल को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई ।

माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न बेसिक शिक्षकों की मांगों पर निर्णय

4--श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार प्रश्नकर्ता के दिनांक 8 मार्च, 1973 के नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 75 के उत्तर क संबंध में बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न बेसिक शिक्षकों की मांगें क्या हैं और अभी तक उनके निणय में सरकार के सामने क्या कठिनाई रही तथा सरकार इस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मांगें संलग्नक में दी हुयी हैं । मांगें बहुत व्यापक महत्व की हैं । फिर भी यथा-शीघ्र निर्णय लिया जावेगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1117 पर)

श्री लेखराज, ग्राम मोहनपुर, देहरादून के शव की जांच

5--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले के ग्राम मोहनपुर में उसी ग्राम के नवयुवक लेखराज का शव दिनांक 9-2-73 को एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया ?

क्या सरकार ने मृत्यु के कारणों की विशेष रूप से यह हत्या किसने और क्यों की इस विषय में जांच की ? जांच के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जिला देहरादून के ग्राम मोहनपुर निवासी श्री लेखराज का शव एक पेड़ से लटके होने की सूचना दिनांक 9-2-73 को थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी। जांच-पड़ताल से यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्म हत्या का पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी, एटा की प्रबन्ध समिति की अनियमितताये एवं अवैधानिक कार्य

6---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

वर्तमान सत्र 1972-73 के 6ठें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5 मार्च, 1972 को हुई बैठक की अध्यक्षता कोषाध्यक्ष श्री धानपाल सिंह द्वारा की गई थी उसमें कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किये गये थे और उन्हें क्या अवैध घोषित कर दिया गया और श्री पातीराम, राजबीर सिंह, प्रेमपाल सिंह का अनुमानतः तीन हजार से ऊपर वेतन अब तक अदा न करने के कौन-कौन से कारण हैं? क्या सरकार ऐसे अनियमित व अवैधानिक कार्य करने वाले विद्यालयों की सहायता (अनुदान) समाप्त करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

7---श्री नेतराम सिंह तथा श्री राम निहोर राय---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

16 मार्च 1973 को प्रधान मन्त्री के लखनऊ आगमन पर व्यय

8---श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दिनांक 16 मार्च, 1973 को प्रधान मंत्री, भारत के लखनऊ आगमन पर पुलिस व सादी वर्दी में गुप्तचर विभाग के कितने-कितने लोग प्रबन्ध के लिये लगाये गये थे और इन लोगों पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ है ?

9---दिनांक 16 मार्च, 1973 को भारत सरकार के प्रधान मंत्री के लखनऊ आगमन पर उनके सभी कार्यक्रम में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश का कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सूचना देना जनहित में न होगा ।

दिनांक 23 अक्टूबर, 72 की रात्रि को नरेश हरिजन, ग्राम कादीपुर, मुहम्मदाबाद, आजमगढ़ की चल-अचल सम्पत्ति को उसी गांव के निवासियों द्वारा नष्ट करना

10---श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

विधान सभा के दिनांक 8-3-73 के उपवेशन के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 74 (नत्थी-घ) के प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नरेश

हरिजन की औरत द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना में अभियुक्त कौन-कौन हैं और प्रथम सूचना में अंकित घटना का विवरण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नरेश हरिजन की पत्नी श्रीमती मंगरी निवासिनी ग्राम कादीपुर थाना मुहम्मदाबाद आजमगढ़ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर 23-10-72 को दी गई लिखित रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें वांछित सूचना उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1118 पर)

बरेली डिवीजन के माध्यमिक एवं हाई स्कूलों द्वारा मान्यता-प्राप्ति हेतु प्रार्थनापत्र एवं उनका निस्तारण

11—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-72 से 15-3-73 तक बरेली डिवीजन के किन-किन माध्यमिक एवं हाई स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से किन-किन को शासन द्वारा मान्यता दी गई और जिन्हें नहीं मिली उन्हें न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 जुलाई, 1972 से 15 मार्च, 1973 तक कुल 155 मान्यता के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 2 आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि 30 नवम्बर, 1972 के पश्चात् प्राप्त हुए थे । जिन विद्यालयों से ये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनकी सूची संलग्न तालिका (परिशिष्ट 'क' तथा 'ख') में दी गई है। अभी बरेली डिवीजन के विद्यालयों के मान्यता संबंधी विषयों पर परिषद की मान्यता समिति विचार नहीं कर सकी है अतः किसी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता। परिषद कार्यालय स्तर पर ही अब तक 6 विद्यालयों के मान्यता संबंधी विषय अस्वीकृत किये गये हैं । इनके नाम तथा जिन कारणों से इन विद्यालयों के मान्यता संबंधी विषय अस्वीकृत किये गये उनका उल्लेख संलग्न तालिका के परिशिष्ट 'ग' में किया गया है।

मुरादाबाद के हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों द्वारा आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र तथा उनका निस्तारण

12—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से 15 मार्च, 1973 तक जिला मुरादाबाद के किन-किन हाई स्कूलों एवं इंटर कालेजों के प्रार्थना-पत्र राजकीय आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान प्राप्त करने हेतु शासन को प्राप्त हुए और उनमें से किन-किन स्कूलों को कौन-कौन सा अनुदान कितनी-कितनी धनराशि का स्वीकृत किया गया और जो प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये उनका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

*छापी नहीं गयी ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की योजना

13—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से बड़े उद्योग लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है और उस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकार द्वारा दो बड़े उद्योग :—

(1) भारत इलेक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद में, तथा

(2) आइल रिफाइनरी, मथुरा में लगाने का निर्णय लिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम द्वारा मेसर्स सिलवानिया ऐंड लक्ष्मन लि0, नई दिल्ली के सहयोग से बुलन्दशहर जिले में जी0 एल0 एस0 लैम्प्स प्लांट की स्थापना का भी निर्णय हो चुका है ।

थाना सराय इनायत व थरवई, इलाहाबाद में दि० 1-4-71 से 15-3-73 के मध्य हुई घटनाओं का विवरण

14—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना सराय इनायत व थरवई, जिला इलाहाबाद में दिनांक 1-4-71 से 15-3-73 तक कितनी घटनायें डकैती, राहजनी, कत्ल और बल्वा की हुईं, उनमें से कितने मामले अदालत भेजे गये और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'च' पृष्ठ पर 1119)

15—श्री नौनिहाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा 161 फायर आर्म्स लाइसेन्सों को रद्द करने का आधार

16—श्री सूबेदार सिंह—

दिनांक 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन 161 व्यक्तियों के लाइसेन्स फायर आर्म्स जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ने अस्वीकृत किये हैं उनके विरुद्ध पृथक-पृथक क्या-क्या आरोप हैं और उन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई थी और इस अवधि में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने कितने और किन-किन निलम्बित फायर आर्म्स लाइसेन्सों को रेस्टोर किया तथा किन-किन परिस्थितियों में ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

8 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 11 दिसम्बर, 1972 तक फायर आर्म्स के 161 लाइसेन्स निलम्बित किये जिसमें से 65 लाइसेन्स बाद में निरस्त किये गये। लाइसेन्स मुख्यतया सम्बन्धित व्यक्ति के सुपात्र न होने,

फायर आर्म्स हैंडिल न कर सकने, दुश्चरित्र व्यक्तियों को पनाह देने अथवा स्वयं प्रार्थी के दुश्चरित्र होने के कारण ही निलम्बित/निरस्त किये गये। उपरोक्त सभी लाइसेन्स पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर निलम्बित/निरस्त किये गये थे। प्रसंगगत अवधि में जिलाधिकारी ने किसी निलम्बित लाइसेन्स को रेस्टोर नहीं किया।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्रों के आधार पर रायफल, पिस्तौल व रिवाल्वर के लाइसेन्सों की स्वीकृति

17—श्री सूबेदार सिंह—

क्या दिनांक 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को रायफल, पिस्तौल और रिवाल्वर के लाइसेन्स जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा स्वीकृत किये गये हैं उन लोगों ने कितने-कितने रुपए के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्रों को क्रय किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिन व्यक्तियों को रायफल, पिस्तौल और रिवाल्वर के लाइसेन्स जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा स्वीकृत किये गये हैं उनमें से केवल एक व्यक्ति श्री कृष्णपाल सिंह, पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी ग्राम असगरपुर, थाना शमसाबाद ने 250.00 रुपए के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र क्रय किया।

कुछ महिलाओं को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये फायर आर्म्स के लाइसेन्सों का विवरण

18—श्री सूबेदार सिंह—

दिनांक 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वीकृत आवेदन-पत्रों की सूची में क्रम संख्या 6, 7, 23, 73 पर अंकित जिन महिलाओं को फायर आर्म्स के लाइसेन्स स्वीकार किये गये हैं उनकी आयु क्या है और इस बात की जानकारी क्या जिलाधिकारी महोदय ने किसी अधिकारी से कराई थी कि ये फायर आर्म्स हैंडिल करने में समर्थ हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के सन्दर्भ में स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची के क्रम सं0 6, 7, 23, 73 पर अंकित महिला लाइसेन्सियों की आयु क्रमशः 38 वर्ष, 35 वर्ष 23 वर्ष व 54 वर्ष है। क्रम संख्या 6 पर अंकित श्रीमती आई0 ए0 डेविड के पति सेना में तैनात थे। उनकी मृत्यु पर उनके कमांडिंग आफिसर ने उनकी विधवा को लाइसेन्स देने की संस्तुति की थी। उक्त संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेन्स स्वीकार किया। क्रम संख्या 7 पर अंकित श्रीमती मालती वर्मा के पति भी सेना में मेजर के पद पर तैनात थे। उनकी मृत्यु के बाद जिलाधिकारी ने उनकी विधवा को लाइसेन्स के लिए उपयुक्त समझ कर लाइसेन्स प्रदान किया। क्रम संख्या 23 पर अंकित श्रीमती सुषमा के पति पुलिस विभाग में सहायक इन्सपेक्टर के पद पर तैनात थे। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर श्रीमती सुषमा को लाइसेन्स स्वीकार किया गया। क्रम संख्या 73 पर अंकित श्रीमती बुधवती को भी पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर लाइसेन्स स्वीकार किया गया। जिलाधिकारी ने अपने को सन्तुष्ट कर लिया था कि आवेदक महिलायें फायर आर्म्स हैंडिल करने में समर्थ हैं।

फायर आर्म्स के लाइसेन्स की स्वीकृति में जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की भेदभाव की नीति

19—श्री सूबेदार सिंह—

क्या दिनांक 8 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 8 के सन्दर्भ में सरकार का ध्यान स्वीकृत फायर आर्म्स की सूची की ओर गया है यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि अधिकांशतः ये लाइसेन्स सेना में कार्य करने वाले लोगों, अवकाश प्राप्त सेना के कर्मचारियों अथवा उनकी विधवाओं को ही अधिक मात्रा में दिये गये हैं और जन साधारण के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। यह कहना सत्य नहीं है कि अधिकांशतः लाइसेन्सेज सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों अथवा उनकी विधवाओं को ही दिये गये। वस्तुतः जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स प्रदान करने योग्य समझा गया उन्हीं लोगों को लाइसेन्स दिये गये भले ही वे सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मचारी हों, उनकी विधवायें हों, अथवा आम जनता के व्यक्ति हों। प्रसंगगत अवधि में कुल 82 लाइसेन्स स्वीकार किये गये थे। जिनमें से 55 लाइसेन्स जन साधारण को, 25 सेना में काम करने वाले लोगों तथा 2 उनकी विधवाओं को स्वीकार किये गये। समस्त स्वीकृत, निलम्बित व रद्द किये गये लाइसेन्सेज का पूरा ब्योरा दिनांक 8 मार्च, 1973 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के सन्बर्भ में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

सचिवालय में सेक्शन आफिसरों के स्थानांतरण में विलम्ब

20—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सचिवालय में ऐसे कितने सेक्शन आफिसर हैं जो एक ही सेक्शन में लगातार सात साल से काम कर रहे हैं ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय ऐसे सेक्शन आफिसरों की संख्या 62 है। शासन के निर्णय के अनुसार एक ही अनुभाग शाखा में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सेक्शन आफिसरों के स्थानान्तरण शनैः शनैः किये जा रहे हैं क्योंकि एक साथ भारी संख्या में स्थानान्तरण करने से कार्य सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

वर्ष 1972-73 में बांसगांव, गोरखपुर के हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों को दिये गये अनुदान का विवरण

21—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील में वर्ष 1972-73 में इन्टरमीडिएट कालेजों और हाई स्कूलों को कितने अनुदान अलग-अलग धनराशि में दिये गये, उन कालेजों के नाम क्या हैं, अनुदान की धनराशि क्या है, कितने ऐसे कालेज स्कूल हैं, जिन्हें अनुदान नहीं मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अनावर्तक अनुदानों के सम्बन्ध में वांछित सूचना सूची* 'क' तथा 'ख' में प्रस्तुत है।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का कार्यक्षेत्र

22—श्री सूबेदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो बेसिक निदेशालय बनाया गया है उसमें केवल स्थानीय निकायों के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है या प्रदेश के अन्य विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल तक ही चल रहे हैं (सहायता एवं मान्यता प्राप्त) उन्हें भी बेसिक निदेशालय के साथ संलग्न कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने ऐसे विद्यालय हैं और क्या उन्हें भी स्थानीय निकायों के अध्यापकों की भांति वेतनादि सभी सुविधायें प्राप्त होंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् ने केवल स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा संस्थाओं का नियन्त्रण अपने हाथों में लिया है। अतएव सहायता एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को स्थानीय निकायों के अध्यापकों के समान सुविधा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

23—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[14वें गुरुवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

24—श्री जयराम यादव—

(14वें शुक्रवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के शासनादेश द्वारा कला अध्यापकों के वेतन का निर्धारण

25—श्री बिहारी लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा (नियुक्ति-1) विभाग, इलाहाबाद के पत्रांक नियुक्ति (1) 1611-21/23-7(52)-8171-72, दिनांक 4 मई, 1971 के अनुसार अब तक कितने कला अध्यापकों का वेतन निर्धारीकरण हो गया है ? कितने अध्यापक बाकी रह गये हैं बाकी अध्यापकों का वेतन निर्धारीकरण नहीं हुआ, यह कब तक हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

26—डा० भगवत दयाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

दिसम्बर, 1972, जनवरी 1973 में ललितपुर सब-डिवीजन, झांसी में बन्दूकों के लाइसेन्स का नवीनीकरण

27—डा० भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के ललितपुर सब डिवीजन में बन्दूकों के लाइसेन्स नवीनीकरण के सन् 1972-73 के दिसम्बर-जनवरी में कितने प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण होने को प्राप्त हुये ? उनमें कितने ए क वर्ष के लिए नवीनीकरण किये गये और जो तीन वर्ष के लिये नवीनीकरण नहीं किये गये उनका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ललितपुर सब डिवीजन में वर्ष 1972-73 के माह दिसम्बर, जनवरी में बन्दूकों के लाइसेंसों का तीन वर्ष के लिए नवीकरण हेतु कुल 244 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। इनमें से 112 प्रार्थना पत्र एक वर्ष के लिए नवीकृत किये गये।

ललितपुर सब डिवीजन का अधिकांश भाग आपरेशन एरिया के अन्तर्गत रहने के कारण लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्त अम्यूनिशन व शस्त्रों का अवांछनीय व समाज विरोधी तत्वों द्वारा प्रयोग होने की सम्भावना रहती है। अतः इस क्षेत्र के लिये बन्दूकों के लाइसेंसों को केवल एक वर्ष के लिए नवीकृत करने की परम्परा अपनाई जाती रही है जिससे लाइसेंसधारियों को शस्त्रों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के समय निरीक्षण करके शस्त्रों के अवैध प्रयोग पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त इन प्रार्थना पत्रों को एक वर्ष के लिये नवीकृत करने के निर्णय लेने के पूर्व मामले में विवेक के आधार पर छानबीन की गई है।

मई दिवस के अवसर पर कानपुर में विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को समय से न देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं गिरफ्तारी की सूचना दे दूं। परसों कानपुर में जो गिरफ्तारियां हुई थीं उसके बारे में मुझसे सवाल पूछा गया था। मैंने कहा कि मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी। यह सूचना कल करीब डेढ़ बजे आयी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैंने तो इसी सिलसिले में विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष---

आफिसर्स की गलती है। जिन आफिसर्स को भेजना चाहिये था उनकी बड़ी भारी गलती हुई। उन्होंने समझा कि चीफ सेक्रेटरी को सूचना दे दें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

व्यवस्था देने के पहले हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को सूचना दे दी और आई0जी0 को तार कर दिया। हमारे पास डेढ़ दो बजे आया। यहां चर्चा हुई और आपने जिक्र किया। इसकी सूचना उनको हो गयी कि अध्यक्ष को भी देना चाहिये। इसके बाद उन्होंने भेजा। आज ही पोस्ट से सूचना आयी है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

यह सूचना कहां से आयी? चीफ सेक्रेटरी के पास से या आई0जी0 के पास से?

श्री अध्यक्ष---

कानपुर से ही आयी है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह गिरफ्तारी की सूचना लेट आयी। इसकी जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव की है। क्या कार्यवाही होनी है इसके बारे में मैं बाद को बतलाऊंगा। पहले यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहें।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

कल एजेंडा के मुताबिक प्रश्नों के बाद सदस्यों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित मद सं० 2 पर आपने कोई घोषणा नहीं की तो मेरे मन में शंका पैदा हो गयी कि शायद सूचना नहीं आयी। मैंने सोचा शायद आप भूल गये हों और बाद में दें। जब मुझे अवसर मिला तो मैंने प्रश्न पूछा कि सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना आपके पास आ गयी है या नहीं। अगर आयी है तो उसको पढ़ दें ताकि वह कार्यवाही पूरी हो जाय। लेकिन आपको श्रीमन्, वह सूचना नहीं मिली थी। अभी तक भी हमारी नियमावली के अनुसार जिस प्रारूप में सूचना मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है। श्रीमन्, इसके दो अंग हैं। जो अधिकारी सदस्यों की गिरफ्तारी करेगा वह भी आपको सूचना देगा और जो अधिकारी सजा सुनायेगा, या जमानत पर छोड़ेगा वह भी आपको सूचना देगा। दो बार सूचना आपको प्राप्त होनी चाहिये थी। एक तो गिरफ्तारी के समय की और जब सदस्यों को रात के साढ़े बारह या एक बजे छोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें साढ़े 11 बजे का समय है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय राम कुमार दीक्षित कहते हैं कि उन्होंने कोर्ट के सामने 12.50 पर दस्तखत किये।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मेरे हस्ताक्षर के नीचे लिखा हुआ है समय 12.50 रात।

श्री कल्पनाथ सिंह —

माननीय सदस्य के बयान के बाद जो दंडाधिकारी थे उनकी सूचना की अभी तक उपेक्षा हुयी है। यह प्राइमा फेसी केस स्वतः बन जाता है। इन लोगों के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति पूरी छानबीन करे और छानबीन करने के बाद इस सदन में प्रस्ताव पेश करे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जाये। मामला यही नहीं है इन अधिकारियों के दिमाग में एग्जीक्यूटिव हेड ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लेजिस्लेचर का हेड कम महत्व-पूर्ण है। इस प्रकार इन्होंने जानबूझ कर यह उपेक्षा की है। उन्होंने आपको और इस सदन को सूचना से वंचित किया है। इस सूचना को न देकर उन्होंने पूरे सदन का अवमान किया है। मेरा निश्चित मत है कि यह सदन सक्षम रहेगा उनको सजा देने के लिए जो भी समिति की सिफारिश होगी।

बंगलिन्ग इस प्रकार की गयी है कि 11.30 बजे लिखा हुआ है और माननीय रामकुमार दीक्षित कहते हैं 12.50 बजे। कोई बात बाकी नहीं रहती है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) --

इस संबंध में आप नियम 80 व 81 देखें। दोनों जगह एक शब्द का प्रयोग किया गया है:

जो दंडाधिकारी गिरफ्तार करेंगे या दंड देंगे उसकी वे शीघ्रातिशीघ्र सूचना देंगे। 11.30 बजे हों या 12 बजे हों। यह रात्रि के 12 बजे की बात है। आपने कहा कि 1.30 बजे सूचना आपके यहां आयी। तो इस प्रकार 12 घंटे और डेढ़ घन्टा यानी 13 1/2 घंटे लग गये। कानपुर से रेडियोग्राम, टेलीग्राम या किसी और एजेन्सी के द्वारा सूचना एक-डेढ़ घन्टे के अन्दर आ सकती है। एक्जीक्यूटिव के द्वारा इस सदन की अवमानना हुयी है। वह इस माने में हुयी है कि आम तौर से हमारे अधिकारी समझ लेते हैं कि सदन तो गौण है और हम लोग बड़े हैं। आपने कई मामलों में ऐसा देखा होगा कि सदन के अन्दर किये गये कई निर्णयों के ऊपर और सदन में किये गये आश्वासनों के ऊपर पानी फेर दिया गया और उन्होंने अपनी मनमानी की। इस विषय का निस्तारण सदन के अन्दर किया जाय और यदि, श्रीमन्, मिसाल के तौर पर सदन में बुलाकर एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट दे देंगे तो सदा-सदा के लिए एक्जीक्यूटिव समझेगी कि जो विधान सभा का महत्व है उसको बनाये रखना है। इसलिये मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस पर सीधे सीधे विचार किया जाये और संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो यह कहा है कि विशेषाधिकार समिति को दे दीजियेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं अभी भी यह कह रहा हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति में भेजने से बहुत से राज खुल सकते हैं।

* श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, आप नियम 80 को देखें --

दंडाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध, आदि की अध्यक्ष को सूचना--जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दंड्य अपराध के लिये बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश, के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति, न्यायाधीश या दन्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोष-सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा।

अब, मान्यवर, नियम 81 भी देख लें। सदस्य की रिहाई पर भी सूचना अध्यक्ष को दी जायेगी। वह सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायेगी।

मेरा यह निवेदन था कि परिपत्र दिया हुआ है और उस परिपत्र में सूचना नहीं है। पहले सूचना देर में आयी और दूसरी सूचना आज तक नहीं आयी। चीफ सेक्रेटरी और मंत्रियों को सूचना दे दी गयी लेकिन आपको नहीं दी गयी और आप सदन को नहीं दे सके। यह तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

जानबूझ कर सदन की अवहेलना की गयी है। यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का मामला है। मेरा अनुरोध है कि इसे आप विशेषाधिकार समिति के सामने क्यों रखें। सारी बात सदन के सामने हो गयी है। सदन में विचार करें और यहीं पर निर्णय दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद) --

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो सूचना के बारे में घटना हुयी है उससे सचमुच सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। नियम में बिलकुल निश्चित है कि जब कोई विधायक गिरफ्तार किया जाये, निरुद्ध किया जाये या दंडित किया जाय तो संबंधित अधिकारी उस की सूचना शीघ्रातिशीघ्र आपको देंगे और उसके बाद जेल में बन्दी हो जाने के बाद अगर वह जमानत पर छोड़े जाते हैं या अदालत से छोड़े जाते हैं तो उसकी भी सूचना आपको यथा शीघ्र आनी चाहिये। यह बात निश्चित है कि वह सूचना यथाशीघ्र आपके पास नहीं आयी है। कल जब प्रश्न पूछा गया तो सूचना आपके पास नहीं थी और आप सदन को सूचना नहीं दे सके और यह सूचना डेढ़ दो बजे के बाद आयी। 2 बजे तक यहां उपाध्यक्ष से पूछा गया तब भी उनके पास सूचना मौजूद नहीं थी। ऐसा लगता है कि वह सूचना 2 बजे के बाद आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह प्रश्न यहां पर उठाया गया तो मालूम हुआ कि गलती हो रही है। तब वह सूचना जल्दी से जल्दी भेजी गयी। चाहे जाने या अनजाने नियम का उल्लंघन हुआ है और विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिस तरह का व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। अब सीमा और बढ़ गयी है। सदन की भी परवाह नहीं करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि सदन के बीच में इस पर उचित कार्यवाही हो।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

हम लोग करीब 7 बजे शाम को गिरफ्तार किये गये थे और कोतवाली लाये गये। लगभग 10 बजे एस0 पी0 (सिटी) हम लोगों के पास आये। उस समय माननीय प्रभाकर त्रिपाठी की हालत खराब हो रही थी। माननीय प्रभाकर त्रिपाठी को दिल के दौरे की बीमारी है। उस सयय हमको बहुत पीटा गया। तकलीफ देखते हुए एस0 एस0 पी0 से हम लोगों ने कहा कि माननीय प्रभाकर त्रिपाठी की तकलीफ बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको बता रहे हैं। क्या वे यहां बैठे हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

एस0 पी0 (सिटी) विजय नाथ सिंह जी से कहा कि कोई घटना हो गयी तो आप लोग तो कह देंगे कि हमने गिरफ्तार ही नहीं किया तो जिम्मेदार कौन होगा ? हमने कहा कि इसलिए कृपा करके आप हम लोगों की गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष महोदय को दे दें। कुछ देर बाद एस0 एस0 पी0 को टेलीफोन किया। उसके बावजूद भी सूचना आपको नहीं भेजी गयी। सूचना न भेजने का एक ही कारण था कि चूंकि प्रधान मंत्री आयी हुयी थीं, सब उनकी खुशामद में लगे थे। उनको इस बात का घमन्ड और अहसास था कि हम सूचना दें या न दें हमारा कहीं कोई बिगाड़ने वाला नहीं है क्योंकि प्रधान मंत्री की खुशामद में हम लगे हैं। इसलिये भारत सरकार से लेकर प्रान्तीय सरकार तक हमारी मदद करेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह मामला सदन में विचार करने का है और यह बहुत साफ बात है कि आपको सूचना नहीं दी गई, न गिरफ्तारी की दी गई और न रिहाई की दी गई। करीब एक बजे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रात को हम लोगों को छोड़ा गया। मैं निवेदन कर दूं कि श्री राम कुमार दीक्षित ने दस्तखत करने के बाद समय भी लिख दिया है जो करीब 12.30 बजे रात है। तो जो सूचना दी गई है वह गलत है इसलिये मान्यवर दोहरी कार्यवाही की जानी चाहिये। सदन में इस पर चर्चा की आज्ञा मिलनी चाहिये। यह एक जागरण अखबार मेरे पास है। इसमें लिखा है कि कानपुर की पुलिस ने समाजवादी नेता रेवा शंकर त्रिवेदी को रात में गिरफ्तार किया क्योंकि उनसे शांति भंग होने की आशंका थी। तो मान्यवर हम लोग तो छोड़ दिये गये लेकिन और जो 82 लोग गिरफ्तार किये गये थे उनको कल तक नहीं छोड़ा गया था। त्रिवेदी जी को 12 बजे रात को गिरफ्तार किया गया और वह अब तक जेल के अन्दर हैं। प्रधान मंत्री चली गईं और शांति भंग होने का अन्देशा भी खतम हो गया लेकिन जो लोग गिरफ्तार किये गये थे वह छोड़े नहीं गये हैं। श्रीमन्, यह सरकार चूं चूं का मुरब्बा है, मनमाना कर रही है। इसने मस्ती में आकर सूचना भी नहीं दी है।

*श्री रामकुमार दीक्षित--

मान्यवर, हम लोगों ने जो आपको विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस दिया है उसमें कितनी गंभीरता है इसको स्वयं आप स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम लोगों के साथ हुआ है, उस प्रकरण की जितनी निन्दा की जाय कम है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और सदन का अवमान किया गया है। यह एक प्रमुख चर्चा का विषय इस समय है। यह जो हमारे नियम हैं, परम्परायें हैं, उन पर कुठाराघात हुआ है। इसलिये इन परिस्थितियों में जिन बातों का जिक्र श्री देहलवी ने किया है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया वह निश्चित रूप से ऐसा ढंग था जो कि किसी ी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। हम लोग शान्तिमय ढंग से अपनी बात प्रकट करना चाहते थे और उसके लिये पहले से इजाजत मांगी थी। हम प्रधान मंत्री को समस्याओं का ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन इसके लिये जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और हमें अपनीबात कहने से रोका गया। तो जो ज्ञापन हम देना चाहते थे उसकी अनुमति हमें नहीं दी जा रही थी इसलिये हम लोग जो लगभग 5,000 थे शान्तिमय तरीके से काले बैनर्स लगाये हुये, नारे लगाते हुये प्रधान मंत्री के पास जायं, इसका निर्णय लिया। हम चल रहे थे शांतिमय ढंग से। हमारा जुलूस एक मील, पौन मील चल कर आया और किसी प्रकार की घटना अशान्ति, अव्यवस्था की नहीं हुई। हम उस स्थान पर जाना चाहते थे जहां प्रधान मंत्री थीं इस इरादे से कि जिला प्रशासन ने हमको ज्ञापन देने का अवसर नहीं दिया तो हम स्वयं दे दें और उस मुख्य द्वार से जहां से उनके और कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जो किराये पर लाये गये थे वह जा रहे थे, प्रवेश किया। हम लोग अन्दर पहुंच गये और उस स्थान से सौ गज दूरी पर रह गये जहां प्रधान मंत्री जी पधार रही थीं। तो यकायक पुलिस ने हमको घेर लिया, लाठी-चार्ज और मारपीट शुरू किया और वहां वह दृश्य उपस्थित हो गया जो शायद ब्रिटिश जमाने की याद दिलाता है, सन् 1942 में जैसे पुलिस किया करती थी। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्यों मार रहे हो, क्या कारण है? हम तो ज्ञापन देना चाहते हैं शांतिमय ढंग से। उन्होंने एक बात नहीं सुनी और हम लोगों को 4-5 घेरे में बांट करके विधायकों के सहित लाद कर कोतवाली भेज दिया। 20 आदमी छोटी सी लारी थी जिसमें वह भर दिये गये, जबरदस्ती और बुरी दशा में कोतवाली लाये गये। वहां 10 बजे तक सुनवाई नहीं हुई। 80-82 आदमी वहीं पर थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार दीक्षित]

श्री प्रभाकर त्रिपाठी, जैसा कि देहलवी जी ने जिक्र किया, हार्ट के मरीज हैं। उनकी दशा खराब होने लगी। हमने वहां के अधिकारियों से कहा कि उनके पास औषधियां नहीं हैं, ये घंटे, 2–2 घंटे में दवा लेते हैं। 7 से 10 बज गये हैं, इनकी हालत चिन्ताजनक हो जायेगी इसलिये कोई उपाय करें। हम को जेल भेजें, डाक्टर के पास भेजें, कोई सुविधा दें जो इस समय आवश्यक है, अन्यथा हम इसके बारे में आपके विरोध में कोई कार्यवाही करेंगे। जब यह बात कही तो एस0 पी0 (सिटी) आये और हंस कर कहा कि आपको यहीं भोजन करा दिया जायगा, यहीं दवा का इंतजाम करा दिया जायगा और हंसते हुये चले गये। कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब हमने यह हालत देखी तो अपने दलों को सूचना दी और मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय को तार भेजे और अन्य दलों के नेताओं को रात ही में सूचित किया और उनके और सबके तार यहां आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह तार मेरे पास नहीं आये।

श्री रामकुमार दीक्षित—

इसमें पोस्ट-आफिस की ऐसी अव्यवस्था हो गयी कि टेलीग्राम भी नहीं पहुंचा, मेरे पास तार की रसीद है....

श्री अध्यक्ष—

आप पेश करियेगा, इंक्वायरी होगी।

श्री रामकुमार दीक्षित—

इस प्रकार से पूरी तरह से जिले के प्रशासन ने इरादा बना लिया था कि इन लोगों को हैरस किया जायगा, नियमों, कायदों का उल्लंघन किया जायगा, हमारी उन मर्यादाओं को समाप्त किया जायगा जिनके अन्तर्गत यह सदन बनता है, प्रजातंत्र की रक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति में यह विशेषाधिकार की अवहेलना का विशेष प्रश्न बन गया है। इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें। इसमें ऐसे राज और तमाम मामले आवेंगे, जिससे आपको ज्ञान हो सकेगा कि किस प्रकार से आज का प्रशासन, नौकरशाही प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को पीड़ित कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

संक्षिप्त में कहें।

श्री रामकुमार दीक्षित—

हम यह मांग करते हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति के आप सुपुर्द करें।

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

मैं संक्षेप में ही कहूंगा। पहली तारीख को मई दिवस मनाया गया, बैकग्राउंड तो सुन लीजिये। हमारे राज्य श्रम मंत्री जो कानपुर के हैं उन्होंने अच्छी तरह से आयोजन किया, जिस तरह से लोगों को जुलूस में बुलवाया, चाहे फ्री आये या.....। सारे सरकारी तंत्रों का प्रयोग किया गया। हम कानपुर के रहने वाले हैं। जब वहां यह हालत देखी तो कानपुर के सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने मीटिंग की कि किस प्रकार सरकारी तंत्रों का प्रयोग हो रहा है, मंहगाई बढ़ रही है, राशन, तेल शकर नहीं मिल रही है। 28 तारीख को यह तय हुआ कि डी0 एम0 से परमीशन मांगी जाय, प्रधान मंत्री से मिलने की और यह कि हमें समय दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

29 तारीख को हम लोग डी0 एम0 से मिले और उनसे परमीशन की बात कही। लेकिन उन्होंने परमीशन नहीं दिया और उसके बाद कानपुर में दफा 144 लगा दी। तब हम लोगों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन देने के लिये जहां सभा हो रही थी वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। हम भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। पहुंचने पर मालूम हुआ कि एक छोटी सी-गाड़ी में 70–80 आदमियों को वह ले गये। हम लोगों ने कहा कि हम भी प्रधान मंत्री से मिलना चाहते हैं। अधिकारी इस तरह की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे और उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। पी0 ए0 सी0 वहां लगी हुई थी। अगर इस तरह से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जायगा तो फिर कहां न्याय मिलेगा। हम लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं और पिटाई हुई है, आप जरूर वक्तव्य दिलायें, हमको अधिकार है अपनी बात कहने का या नहीं। इन्दिरा जी ने कहा है कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को कहां तक बोलने का अधिकार दिया जाय . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत लम्बा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(एक साथ कई सदस्य बोलते रहे।)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हम लोगों को एक मिनट सुन लें, उसके बाद मुख्य मंत्री कहें। हमको इतना ही निवेदन करना है कि माननीय प्रधान मंत्री के आगमन पर अगर माननीय सदस्यों की इस तरह से दुर्दशा होगी तो कैसे प्रजातंत्र चलेगा? क्या हम प्रजातंत्र छोड़कर कोई दूसरा तरीका अपनायें?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं समझता हूं कि अधिकारियों को पहले आपको सूचना दे देनी चाहिये थी और सदन के बैठने के पहले यह सूचना आपके यहां आ जानी चाहिये थी। अगर रात को नहीं आ सकी तो सुबह आ जानी चाहिये थी। मैं समझता हूं इसमें भूल हुई है। आपको पहले ही उन्हें सूचित कर देना चाहिये था। हमारी राय यह है कि आप इस विषय में उनसे जवाब तलब कर लें कि ऐसा क्यों किया और फिर आप निर्णय लें कि क्या कार्यवाही की जाय। भूल हुई है तो अधिकारियों की ओर से खेद प्रकाश होना चाहिये ऐसा मैं समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब वह एडमिट करते हैं कि गलती हो गयी तो मैं इन्क्वायरी यहां से करूं, इससे ज्यादा अच्छा हो कि कमेटी के सामने यह मामला जाय तो ये सब लोग उसके सामने आयेंगे। उसके बाद ऐक्शन लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहां अगर बुलायें तो हर आदमी यहां प्रश्न करेगा। उसकी कोई तुक मेरी समझ में नहीं आती। मैं जांच के लिये इसको विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं। अगर वे कहते हैं कि गलती हो गयी और क्षमा मांग लेते हैं तो बात दूसरी हो जायेगी। ऐसी चीज भी हुई है कि क्षमा मांगने पर केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया। मैं अभी प्राइमाफेसी केस इसको नहीं मानता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आप तो पहले से ही उनको बता दे रहे हैं कि वे ऐसा कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सारी इन्क्वायरी के लिये ही केवल इसको भेज रहा हूं। फिर उनकी जांच रिपोर्ट सदन में आयेगी और सदन उस पर निर्णय लेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब आपने इसको प्राइमाफेसी केस माना नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं ही अभी उनसे जवाब तलब कर लें, विशेषाधिकार समिति को अभी न भेजें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है ....।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय नेता सदन आपके निर्णय को बदलवा सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। वह यह है कि मैं इसे जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं। पहले भी मैं ऐसा कर चुका हूं। अगर जांच में यह चीज मालूम हो कि जान बूझ कर ऐसी चीज की गयी है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी, अगर किसी गलती से यह चीज हुई है तो ढीली कार्यवाही होगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पहले आप जांच करायेंगे, फिर वह सदन में आयेगा, आप इसको प्राइमाफेसी स्वीकार ही क्यों नहीं कर लेते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो कुछ आपके सामने आ चुका है उससे ज्यादा प्राइमाफेसी केस और क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये नियम यह है—"78—विशेषाधिकार के प्रश्न को समिति को निर्दिष्ट करने की अध्यक्ष की शक्ति—इन नियमों में किसी बात के रहते हुये भी अध्यक्ष विशेषाधिकार अथवा अवमान के किसी प्रश्न की परीक्षा, जांच या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और उससे सदन को अवगत करायेंगे।"

इस नियम के अन्तर्गत मैं इसको जांच के लिये भेजता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब आप भेज ही रहे हैं तो इसको प्राइमाफेसी स्वीकार ही क्यों नहीं कर लेते।

(शोर—व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मैं, श्रीमन्, इस महत्व के विषय पर आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी तक आपका माइन्ड ओपेन है कि कोई प्राइमाफेशी केस बनता है या नहीं। आपने अपने अधिकारों के अन्तर्गत इसे एक विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी की जो इंक्वायरी होगी वह आपके पास आयेगी या सदन के पास आयेगी?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आकर सदन में जायगी ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । 24 तारीख को मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था, जो बाद में तारांकित स्वीकृत हुआ और उपाध्यक्ष से मिला तो वह अल्पसूचित स्वीकृत हुआ । उसके बाद आपसे मिलने गया । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे द्वारा किये गये सवाल को सरकार इस तरह से टालना चाहती है और आप भी हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं । आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और आपने इस बात की स्वीकृति दी कि यह तारांकित प्रश्न संख्या नम्बर 1 पर होगा । किन्तु फिर आपने उसको 10वें नम्बर पर लगवा दिया ।

श्री अध्यक्ष—

5 नम्बर पर है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

पांचवा ही सही । लेकिन आज हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि आपने एक-एक सवाल पर 10—10 व 15—15 मिनट दे दिया जिससे कि उक्त सवाल आ नहीं सका । 14 फरवरी को गोन्डा में जो दंगा हुआ, उसे गोन्डा नगरपालिका के चेयरमैन ने कराया, उसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर है । धारा 302 में उसका नाम सबसे ऊपर है । किन्तु चूंकि वह कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का चेयरमैन है, आज सरकार उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले रही है मामले को टाल रही है और ढीला कर रही है । इसी कारण से उस बोर्ड के 19 में से 10 लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको रखवाया था, मैं समझता था कि आ जायेगा । अब रखवा दूंगा । मैंने उसको 20वें से 5वें नम्बर पर रखवाया था, अब फिर रखवा दूंगा । मैं इसको पहले नम्बर पर रखवा दूंगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप 8 तारीख को अवश्य ले लीजियेगा ।

विविध प्रश्न

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

अभी जब यहां पर पहले विषय चल रहा था और एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो आपने झल्लाहट में उनसे कहा था कि आप बड़े रईस बनते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य या आपको किसी सदस्य के लिये ऐसा सम्बोधन करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं करना चाहिये, लेकिन रईसी के साथ मेरे साथ सम्बोधन किया था इसलिये मैं ताव में आ गया ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आपको स्मरण होगा कि उस दिन जब मैंने रिपोर्टर्स का विषय उठाया था तो आपने कहा था कि उसके लिये आप हमसे मिल लें तो मैं निर्णय लें लूंगा । उस विषय पर मैं आपसे मिला था, तो आपनें क्या सोचा, उनके लिये आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने मीटिंग जो रखी थी, किन्तु उस दिन बड़ा शोरगुल हुआ, देर तक बैठना पड़ा, इ सलिये मीटिंग तोड़नी पड़ी । अब 8 तारीख के लिये रख दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह अब 8 तारीख को नहीं टलना चाहिये ।

मैं एक दूसरी व्यवस्था चाहता हूं, आज क्वेश्चन आवर में सवा 11 बजे मुख्य मंत्री जी सदन में पधारे, किन्तु उसके पूर्व 15 मिनट तक 11 बजे से सवा 11 बजे तक यहां पर उनके अलावा कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी उपस्थित नहीं था ....

श्री अध्यक्ष—

यह पुरानी बात अब हो गई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमारी बड़ी मुश्किल है, क्वेश्चंस आवर में आप उठाने नहीं देते हैं और कह देते हैं कि प्रश्नों के बाद, किन्तु अब आप उसके बाद उठाने पर कहते हैं कि बात पुरानी हो गई । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त 15 मिनट की प्रोसीडिंग्स क्या वैधानिक थीं ?

श्री अध्यक्ष—

वे लोग मौजूद थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नहीं थे, आप व्यवस्था दीजिये, यहां सदन में कम से कम दो–एक मिनिस्टर्स को रहना चाहिये या नहीं ?

अगर नहीं रहते...(शोर)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो फिर गवर्नमेंट कहां आयी ?

श्री अध्यक्ष—

देवरिया जनपद की बैतालपुर चीनी मिल की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी तथा श्री बांकेलाल द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ, कल बारावफात के सम्बन्ध में गलतबयानी हुई है । हमें बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें एक्सप्लैनेशन उनसे काल किया है जिन्होंने वक्तव्य दिया है । उप मुख्य मंत्री जी हैं जिन्होंन वक्तव्य दिया था उनसे काल किया है कि इसमें आपका कहना है कि गलतबयानी है, स्पष्टीकरण दीजिये । वह स्पष्टीकरण आयेगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

फिर सुनकर निर्णय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ऐसा ही कायदा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप पूरी नोटिस पढ़ कर सुना दीजिये ताकि सारा सदन जान जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सोच लूं तब । उनका जवाब आ जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप किन-किन बातों पर उनसे जवाब पूछ रहे हैं, क्या नोटिस है सारा सदन जान जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप टाइम पास करना चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आज तीन वक्तव्य हैं । क्या करूं ? मैंने आपको बता दिया है कि उनको भेज दिया है, एक्सप्लैनेशन काल किया है । जब जवाब आयेगा तब उसको मैं देखूंगा ।

(शोर)...

(मंत्री जी से) दीजिये वक्तव्य ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, नियमावली मैंने [illegible] नहीं है कि उपाध्यक्ष के पास अल्प सूचित तारांकित प्रश्न जांय...(शोर)

श्री अध्यक्ष—

करण में लिखा हुआ है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे। उसी शोर में श्री यादवेन्द्र सिंह ने बंतालपुर चीनी मिल की तालाबन्दी के सम्बन्ध में वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ कर दिया ।)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

(शोर के बीच।)

मान्यवर, वह आदत बहुत खराब है । वे बोले जा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपको भी दिया गया था, बनारस के छात्रों ने आन्दोलन को वापस कर लिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप का वक्तव्य दिला देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

छात्रों को छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कृपा करके यह फिर से पढ़िये । माननीय बांकेलाल का सवाल है, वह सुन नहीं पा रहे थे । कृपा करके फिर से पढ़िये ।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप फिर से पढ़िये शुरू से । बांके लाल जी को सुनना है ।

श्री बांके लाल—

उन्होंने पढ़ा हमें सुनायी नहीं दिया । ये लोग हल्ला कर रहे थे । तो पुनः पढ़ने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष—

यही मैंने कहा ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं पढ़ रहा हूं ।

बैतालपुर चीनी मिल की ताला बन्दी के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

बैतालपुर जनपद देवरिया में स्थित श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि0 के मैनेजमेंन्ट द्वारा 10 अप्रैल, 1973 को यह सूचित किया गया कि क्योंकि उनके चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में पाइराला का प्रकोप होने के कारण चीनी का परता कम हो गया है अतः यह मिल 11 अप्रैल, 1973 से गेट पर 8.94 रु0 प्रति कुन्टल तथा केन्द्रों पर 8.62 रु0 प्रति कुन्टल की दर से गन्ना क्रय करेगी जब कि कृषकों को गेट पर 12.25 रु0 तथा केन्द्र पर 11.75 रु0 प्रति कुन्टल गन्ने का मूल्य इससे पहले प्राप्त हो रहा था । जिला प्रशासन द्वारा यह चेष्टा की गई कि मिल गन्ने का दाम कम न करें तथा अपने सुरक्षित क्षेत्र का समस्त गन्ना पेर कर ही बन्द हो परन्तु कोई फल न निकला । 10 अप्रैल, 1973 को मिल के गेट पर लगभग 400 गन्ने की गाड़ियां खड़ी थीं जिनकी पूर्ति की व्यवस्था गौरी बाजार चीनी मिल से करानी पड़ी । क्षेत्र के कृषकों में इस सम्बन्ध में काफी असन्तोष पैदा हो गया था क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र में लगभग 25,000 कुन्तल गन्ना पेराई के लिये पड़ा हुआ था । गन्ने के काश्तकार मिल को घटाई हुई दर पर गन्ना देने के लिये सहमत नहीं थे और 13 अप्रैल, 1973 को मिल ने यह कहकर कि मिल को गन्ना प्राप्त नहीं हो रहा है, मिल को मौजूदा सीजन के लिये बन्द कर दिया । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये गन्ना आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 1973 द्वारा इस अवशेष गन्ने को गौरी बाजार चीनी मिल को देने के आदेश पारित कर दिये और जितना गन्ना बैतालपुर क्षेत्र में बाकी रह गया था वह गौरी बाजार चीनी मिल द्वारा पेरवाने की व्यवस्था कर दी ।

2—मिल की ओर से दिनांक 12 अप्रैल, 1973 को थाना गौरी बाजार में एक रिपोर्ट धारा 395 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत लिखाई गई जिसमें 21 आदमी नामांकित थे और लगभग 80 आदमियों का नाम व पता नहीं मालूम था । इस मुकदमे की अभी विवेचना हो रही है और इस सम्बन्ध में अभी किसी को बन्दी नहीं बनाया गया है ।

3—गन्ना पेराई मौसम 1972–73 में सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने को पेरने का उत्तरदायित्व न निभाने की दशा में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15(2) के उल्लंघन के सिलसिले में अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त गन्ना पेराई मौसम 1972–73 में कृषकों को गन्ना मूल्य गन्ना पूर्ति की तिथि से 14 दिन के अन्दर अदा न करने के फलस्वरूप शुगर कन्ट्रोल आर्डर, 1966 की धारा 3(3) के अन्तर्गत एक रिपोर्ट 17 अप्रैल, 1973 को अवैतनिक मंत्री, सहकारी गन्ना विकास समिति, बैतालपुर द्वारा थाना गौरी बाजार में दर्ज कराई गई । इस सूचना के आधार पर बैतालपुर चीनी मिल के दो अधिकारियों को एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा 3/7 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

4—जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा क्रय कर और गन्ना मूल्य के बकाया के सम्बन्ध में 17, अप्रैल, 1973 को इस मिल में रिसीवर भी नियुक्त किया गया परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिसीवर को हटा देना पड़ा । बैतालपुर चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना पेरने की व्यवस्था हो जाने तथा उपरोक्त कार्यवाही होने के कारण स्थिति सामान्य हो गई है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

10 अप्रैल को बैतालपुर चीनी मिल पर 421 गाड़ियां किसानों की थीं और मिल के दायरे में कांटे पर वे आ गयीं लेकिन मिल तत्काल बन्द कर दी गयी और किसानों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस में जाकर डकैती की रिपोर्ट लिखा दी गयी । ऐसी मिल जो किसानों के हित की बात नहीं सोचती सरकार उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसीलिये तो रिसीवर तत्काल नियुक्त कर दिया है । यह बात दूसरी है कि हाई कोर्ट के आदेश से रिसीवर हट गया ।

श्री बांके लाल—

बैतालपुर शुगर मिल का गन्ना क्षेत्र बहुत बड़ा है और वह उस क्षेत्र के गन्ने को पेर नहीं पाती है, 4, 5 महीने के बाद एक किसान को पर्ची मिल पाती है तो क्या सरकार केन कमिश्नर को यह आदेश देगी कि इसका कुछ क्षेत्र काट कर दूसरी शुगर मिल को दे दिया जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस समय तो गन्ने की पेराई समाप्त हो गयी है और गौरी बाजार शुगर मिल बन्द भी हो गयी है गन्ना पेर कर । अगले वर्ष के लिये इस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

बैतालपुर फैक्ट्री जो 10 अप्रैल को बन्द हुई उसने गन्ने की कीमत अदा कर दी है ? रिसीवर जो नियुक्त किया गया वह किस तारीख को किया गया और सरकार ने फैक्ट्री को तुरन्त चलवाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, गन्ने का पेमेंट चूंकि 14 दिन के अन्दर नहीं किया गया था इसलिये उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और कार्यवाही हुई । रिसीवर मुकर्रर किया गया तथा इशेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत उनके आदमी गिरफ्तार किये गये । जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, वह भी बाद में कर ली जायेगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

आज की तारीख में पेमेंट हुआ या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अभी नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 अप्रैल को मिल यार्ड में गन्ने से भरी हुई चार सौ गाड़ियां खड़ी थीं और जैसा कि वक्त से जाहिर है कि 10 तारीख को मिल मालिक ने नोटिस दिया कि 11 तारीख से वे गन्ने की कीमत कम देंगे, तो 10 अप्रैल को ही उनका गन्ना न तौले जाने का क्या कारण है ? इससे काश्तकार को जो हर्जाना हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उन्होंने दाम घटा दिये थे । गन्ने के काश्तकार मिल को घटाई हुई दर पर अपना गन्ना देने के लिये तैयार नहीं हुए । इसीलिये उस गन्ने को दूसरी मिल से पेरने की व्यवस्था कराई गई ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मिल मालिक ने 10 अप्रैल को नोटिस दी कि किसानों को 11 अप्रैल से 8.94 तथा 8.62 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना देना पड़ेगा । मैं कह रहा हूं कि एक दिन पेश्तर यानी 10 तारीख को ही जो चार सौ गाड़ियां गन्ने की खड़ी थीं, उस गन्ने को न लेने और मिल द्वारा न तौलने के क्या कारण थे ? इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

10 तारीख को जो नोटिस दिया गया वह 11 तारीख के लिये ही दिया गया था । काश्तकार उससे नाराज हो गये कि वे घटे हुये दाम पर गन्ना नहीं देंगे । इसीलिये गन्ना नहीं तौला गया ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ हूं आपने बोलने का मौका नही दिया..

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री सी० पी० एन० सिंह को बुलाया है । उसके बाद आप बोलेंगे ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि मिल के सुरक्षित क्षेत्र में पायराला का अटैक हो गया था जिसके कारण चीनी का परता कम हो गया था । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दूसरी मिलों से भी इसकी सूचना आपको मिली थी ? यदि नहीं कहा था तो क्या आप इस पर पुनर्विचार कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मेरे वक्तव्य से जाहिर है कि किसी दूसरी मिल से इसका संकेत नहीं हुआ था और इसीलिये बगल की दूसरी मिल से गन्ना लेने की कार्यवाही की गई । जिसने गड़बड़ किया उसके खिलाफ कार्यवाही हुई ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, यह मिल 30 साल पुरानी है । इसका परसेन्टज कभी कम नहीं हुआ अतः क्या मंत्री जी इसे रिसीवर मुकर्रर करके टेक ओवर करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, रिसीवर मुकर्रर कर दिया गया था परन्तु हाई कोर्ट के आदेश से हटा दिया गया।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मैं कह रहा हूं कि यह मिल बहुत पुरानी है इस पर रिकवरी कम हुई, जिससे काश्तकार को नुकसान होता है । तो क्या आप इसे टेक ओवर करने की सोच रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, रिसीवर तभी मुकर्रर किया जाता है जब कि टेक ओवर करने की बात हो ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, 10 तारीख को बैतालपुर चीनी मिल के यार्ड में 400 गाड़ियां खड़ी थीं और वे 14 दिन तक वहां पर पड़ी रहीं, 14 अप्रैल को आपने दूसरी मिल को आदेश पारित किये। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ये चार सौ गाडियां जो खड़ी थीं 5 दिन तक, और मिल ने लेने से इन्कार किया तो उसके खिलाफ तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दूसरे मिल में उनके पेरने की व्यवस्था की गयी और तत्काल उन गाड़ियों को वहां भेज दिया गया ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गौरीबाजार मिल ने किसानों का जो गन्ना लिया वह किस रेट पर लिया ? दूसरी बात यह कि आप देखेंगे कि वक्तव्य में है कि 395 का रिपोर्ट दर्ज किया गया लेकिन घटना का विवरण नहीं है। तो क्या यह सही है कि कोई घटना नहीं हुई और मिल वालों ने किसानों को केवल परेशान करने के लिये 395 की फर्जी रिपोर्ट लिखायी है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

395 की जो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करायी है उसकी विवेचना चल रही है, ऐसा मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं । विवेचना के बाद ही सिद्ध होगा कि इसमें तथ्य क्या है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाजाद)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि टेक ओवर हो गया और रिसीवर नियुक्त किया गया लेकिन फिर रिसीवर हट गया तो इस वक्त किसके पास है ? दूसरी बात यह कि 10 अप्रैल को करीब 400 गाड़ियां गन्ने की खडी थीं और उस दिन कोई नोटिस नहीं था कि

गन्ना नहीं लिया जायेगा, तो 11 अप्रैल को मिल ने गन्ना नहीं लिया और इन्कार कर दिया तथा यह कहा कि कम दाम पर दें तो हम गन्ना लेने को तैयार हैं, जब कि दूसरी मिल उसी दाम पर गन्ना लेने को तैयार हो गयी, तो इस तरह से किसानों को जो परेशानी हुई और उनका नुकसान हुआ, उस मिल के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय, प्रश्न इतना लम्बा था कि उसमें एक दो तीन और न जाने कितनी शाखायें हो गयीं, कृपा करके एक-एक प्रश्न पूछा जाय तो मैं जबाब दे दूं ।

श्री जयराम वर्मा—

बैतालपुर मिल इस वक्त किसके पास है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हाई कोर्ट ने जिसको कहा उसके पास है ।

श्री जयराम वर्मा—

यह कोई जबाब नहीं हुआ, यह बतलायें कि किसके पास है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जो रिसीवर मुकर्रर था उसे हाई कोर्ट ने हटा दिया, उसके हटने के बाद मिल पहले जिसके पास थी उसी के पास है ।

श्री बांके लाल—

जो 421 गन्ने की गड़ियां बैतालपुर मिल से गौरी बाजार मिल को भेजी गयीं, तो किसानों को उनके गन्ने की कीमत कितने दिनों में दिलाने की आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

उसके लिये नियम है कि 14 दिन के अन्दर गन्ने की कीमत का भुगतान होना चाहिये और प्रयास किया जा रहा है कि उस नियम का पालन अक्षरशः हो ।

(व्यवधान)...

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शामली में दो सिपाहियों को बदमाशों द्वारा गोली मारने व सिपाहियों से राइफल व कारतूस लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

अध्यक्ष महोदय प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20 अप्रैल, 1973 को एक व्यक्ति सत्यपाल सिंह द्वारा थाना शामली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि करीब 9 बजे रात्रि कुड़ाना वाली सड़क पर 8.10 बदमाश किशन जाट को लूट रहे थे और किशन चिल्ला रहा था । तभी कुडाना की तरफ से दो पुलिस वाले मय बन्दूक के भाग कर आ गये तथा पुलिस वालों व बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और गोली चलने लगी ।

2—घटना के समय कान्सटेबिल श्री फेरू राम तथा श्री ओम पाल सिंह कुड़ाना रोड पर गश्त पर थे । उपर्युक्त मुठभेड़ में डकैतों ने कान्सटेबिल फेरू राम को गोली से मार दिया और उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई । कान्सटबिल ओमपाल सिंह गम्भीर चोटों के कारण बेहोश

हो गया । उसको बेहोशी की हालत में आल इंडिया इन्स्टीट्युट आफ मेडिकल साइन्स, नई दिल्ली ले जाया गया जहां दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई ।

3--डकैत दोनों कान्सटेबिलों के दो अदद सरकारी मस्कट तथा 410 बोर के भरे हुये 20 कारतूस लूट कर ले गये । घटना के बारे में श्री सत्यपाल सिंह की उक्त रिपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धारा 395/397/396 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है । अभियुक्तों तथा उनके द्वारा लूटे हुये माल का पता लगाने के हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ने स्वयं भी शामली में कैम्प किया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी बराबर कैम्प कर रहे हैं ।

4--शामली क्षेत्र में गश्त का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है तथा पी0 ए0 सी0 की नियुक्ति कर दी गई है जो स्थानीय पुलिस के साथ गश्त कर रही है । डकैतों द्वारा 303 बोर की राइफल नहीं लूटी गई है । उक्त क्षेत्र में कोई आतंक अथवा डर व्याप्त नहीं है और न ही कोई व्यक्ति अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहा है । गांव वाले रात्रि में सुख की नींद सोते हैं और किसान अपने खलियानों में दिन रात बिना किसी भय के काम कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 25-26 की रात को शामली थाना में फतेहपुर गांव के करीब पुलिस और डकतों में एनकाउन्टर हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, 20 अप्रेल, 1973 की सूचना है कि रात के 9 बजे 8-10 बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउन्टर हुआ ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, आपने कहा है कि सब लोग चैन से रह रहे हैं तो इसका आधार क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, वहां शान्ति व्यवस्था है। लेकिन इस की सूचना नहीं है कि 25-26 की रात को कोई एनकाउन्टर पुलिस और बदमाशों के बीच में हुआ ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

उन्होंन कैसे लिख दिया कि व्यवस्था ठीक है । क्या पुलिस वहां के गांवों में गई? यदि हां तो कहां-कहां गई ?

श्री अध्यक्ष---

उनके पास जो सूचना आती है वह देते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या उनका फर्ज नहीं है कि वह सारी जानकारी करायें ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो केवल वक्तव्य के लिये है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, 25/26 की रात को बदमाशों और पुलिस में एनकाउन्टर हुआ था और उसमें एक बदमाश मारा गया जिससे वहां लोग भयभीत हैं, तो क्या मंत्री जी इसकी इंक्वायरी करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस एनकाउन्टर की सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यह सूचना जरूर है कि एक सर्किल आफिसर वहां कैम्प कर रहा है और वहां पी० ए० सी० तैनात है और सिविल पुलिस और पी० ए० सी० मिल कर गश्त कर रही है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पी० ए० सी० वहां लगी हुई है वह पहली वाली का जिक्र कर रहे हैं या मजीद फोर्स लगाया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन सी लगी है । लेकिन इस समय लगी हुई है जो लोकल पुलिस के साथ गश्त कर रही है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

किसी जगह की शांति जब भंग हो जाती है, जब चोरी डकैती और कत्ल की वारदातें किसी क्षेत्र में हो जाती हैं और कभी-कभी वहां की शांति महाशांति हो जाती है, जब कहीं पुलिस का कर्मचारी भी गोली का शिकार हो जाता है तो क्या मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह बिलकुल एक गलतबयानी है, क्या उस की जांच वह किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे ? पुलिस के कांस्टेबिल मरे हैं, पुलिस स्टेट का प्रोटेक्शन फोर्स है, इससे गांव वालों के मन में दूसरी भावना पैदा होती है और आप सुख की नींद सोने की बात कहते हैं, इसके माने हैं जनता का शांत दिमाग है । सुख की नींद सोने की बात कहना तो टानिंग है । क्या मंत्री जी इस की जांच करायेंगे कि सचमुच उस क्षेत्र में शांति है या नहीं ? ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पुलिस के 2 कान्टेबिलों ने अपनी जिम्मेदारी का जीवन देकर भी निर्वहन किया, जिनका बलिदान हुआ वह उस समय ड्युटी पर थे और 8/10 बदमाशों के हमले को रोक रहे थे । पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है । मांग अभी इस दुर्घटना की जांच हो रही है और इन बदमाशों को पकड़ने की व्यवस्था हो रही है, वहां की पूरी शांति व्यवस्था पी० ए० सी० और पुलिस के द्वारा की जा रही है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बंदूकें छीनी गई हैं वे सरकारी थीं या प्राइवेट थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मसकेट सरकारी होती हैं, प्राइवेट नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां लोग सुख की नींद सो रहे हैं और कोई आतंक या असुरक्षा नहीं है, तो क्या वह बतायेंगे कि वहां पी० ए० सी० क्यों तैनात की गई है और डिप्टी एस० पी० भी वहां ठहरे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दो सिपाहियों की घटना वहां हुई, एक दुर्घटना हुई, पुलिस की अपनी व्यवस्था है और उसने पुलिस और पी० ए० सी० के लोग वहां लगा रखे हैं ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

जिन सत्यपाल सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है वह कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और उनका पूरा पता क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वह उसी गांव के रहने वाले हैं, पूरा विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां---

रिपोर्ट की नकल क्या मन्त्री जी के पास नहीं है ? उसको बताने में क्या कठिनाई है, एफ० आई० आर० तो जरूरी चीज है।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

श्री सत्यपाल सिंह रेलपार के, शामली थाने के हैं, इन्हीं ने रिपोर्ट लिखाई है।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपके बयान से सचाई साबित हो जाती है जब आप कहते हैं कि वहां पी० ए० सी० और पुलिस लगी है लेकिन आप कहते हैं कि लोग वहां सुख की नींद सो रहे हैं। लेकिन क्या यह सब देखते हुए स्थिति गम्भीर नहीं है और कातिल अभी तक नहीं पकड़े गये हैं ?

क्या यह साबित नहीं करता कि पुलिस अधिकारियों पर ऐसा कोई दबाव है कि कातिल नहीं पकड़े जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप इतना पूछिए कि क्यों नहीं पकड़े गये।

श्री बंशीधर पांडेय---

अभियुक्त जो नहीं पकड़े जा रहे हैं तो क्या उन पर कोई ऐसा ऊपर का दबाव पड़ रहा है जो टाल रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य का अनुमान है कि कोई दबाव पड़ रहा है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी का जो वक्तव्य है, उसे आप देख लें। दो पुलिस कांस्टेबिल मार दिये गये। इसी थाने के अन्दर फिर दूसरी घटना हो गयी है और हमारे मन्त्री जी कहते हैं कि वहां लोग सुख और चैन की नींद सोते हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि विशेष उपाय किये जा रहे हैं, तो वे कौन से विशेष उपाय किये जा रहे हैं, डकैतों और बदमाशों को पकड़ने के लिये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण–

श्रीमान्, पुलिस का इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। पुलिस चारों तरफ दौड़ रही है। पी० ए० सी० और पुलिस के वहां होने से जनता में भय और आतंक नहीं है। इसीलिए वे सुख की नींद सो रहे हैं।

अल्मोड़ा नगरपालिका में पम्पिंग मशीन खराब होने से पानी के अभाव के सम्बन्ध में वक्तव्य

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

अल्मोड़ा नगर में पेयजल व्यवस्था प्राकृतिक जल श्रोतों एवं कोसी नदी के पानी को पम्प करके उसको मटैला में पहुंचाया जाता है एवं वहां शुद्धिकरण के पश्चात् अल्मोड़ा में स्थित हीरा डुंगी जलाशय में किलियर वाटर पम्प से पम्प किया जाता है । मटैला नामक स्थान पर दो उच्च शक्ति के किलियर वाटर पम्प 1950 में लगाये गये थे । यह दोनों पम्प लगभग 22 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 14 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

इनमें से एक पम्प की मोटर 7-12-72 को जल गयी थी जिसके फलस्वरूप 7-12-72 के पश्चात् से केवल एक मोटर कार्य कर रही थी । खराब मोटर की मरम्मत का प्रयास नगरपालिका, अल्मोड़ा के जलकल अभियन्ता ने किया किन्तु मरम्मत कराने में वे सफल नहीं हुए । दुर्भाग्य से दूसरे पम्प की मोटर भी 23-3-73 को जल गयी जिससे कोसी नदी से नगर को पानी पम्प किया जाना बन्द हो गया । भाग्यवश स्थानीय मोहन जोशी जलाशय में जिलाधिकारी अल्मोड़ा के निर्देश पर आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए नगरपालिका ने करीब 9 लाख गैलन पानी संचित कर लिया था। इसके अलावा विभिन्न नैसर्गिक श्रोतों से जैसे स्याही देवी, शैल व बल्डोटी ग्रेविटी मेन से भी नगर को करीब 70 गैलेन प्रति मिनट की दर से पानी की पूर्ति की जा रही थी। मोहन जोशी जलाशय से लगभग 50-60 हजार गैलन पानी और अन्य नैसर्गिक श्रोतों से करीब 80 हजार गैलन पानी प्रतिदिन मिलने की सम्भावना थी जब तक कि उपरोक्त पम्पों की मरम्मत न हो जाती । किन्तु 2/3 अप्रैल, 1973 की रात्रि में एक भीषण अग्निकांड हुआ जो स्थानीय नगरपालिका के कार्यालय भवन से शुरू होकर अगल-बगल के मकानों में फैल गया । इस अग्निकांड के फलस्वरूप अल्मोड़ा नगर में पेयजल व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी क्योंकि अग्नि को काबू में लाने के लिये मोहन जोशी जलाशय में संचित पानी तथा नैसर्गिक श्रोतों से प्राप्त होने वाले पानी की पाइपों को जगह-जगह काट कर उपयोग में लाया गया । इसके फलस्वरूप नगर में जल संकट की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी थी किन्तु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने इस समस्या पर काबू पाने के लिये यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 36 के अधीन नगर में जलसम्पूर्ति का कार्य नगरपालिका, अल्मोड़ा से अपने संचालन में ले लिया । उन्होंने स्थानीय सैनिक अधिकारियों की सहायता से 6 टैंकरों की व्यवस्था की । 4 ट्रक और 2 टैंकर उन्होंने जिलाधिकारी, बरेली के माध्यम से भी मंगाये और इन टैंकरों की सहायता से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 4 अप्रैल, 1973 से पानी का वितरण का कार्य आरम्भ किया गया और स्थित पर काबू पाया गया ।

2—उपरोक्त दोनों पम्पों के मोटर 25-3-73 को लखनऊ लाये गये और स्थानीय फर्म को मरम्मत हेतु दे दिये गये । इनमें से एक मोटर 10 अप्रैल, 1973 को मरम्मत के पश्चात् अल्मोड़ा वापस कर दिया गया, यह मोटर 12 अप्रैल, 1973 को शाम से चलाया गया था जो लगभग 13 घंटे चलने के पश्चात् फिर खराब हो गया था । जिस मैकेनिक ने मोटर पहले ठीक किया था तथा जिसके समक्ष वह चलाया गया था उसने उसे फिर ठीक करना शुरू किया और दुबारा मरम्मत का कार्य 21 अप्रैल, 1973 को समाप्त हुआ। 22-4-1973 से एक पम्प 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जा रहा है और उससे कोसी नदी का पानी पम्प किया जा रहा है । दूसरे पम्प की मोटर की मरम्मत अभी भी लखनऊ में हो रही है और यह आशा की जाती है कि 15-5-1973 तक वह ठीक हो जायेगा ।

3—जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा ने नगर की पेयजल व्यवस्था में उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये जो कार्यवाही और अस्थायी प्रबन्ध किये उससे नागरिकों को संतोष हुआ और उनके प्रयासों की प्रशंसा की गयी। 1 मई, 1973 से जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने अल्मोड़ा नगर की पेयजल व्यवस्था को अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के नियंत्रण में दे दिया है।

4—अल्मोड़ा नगर की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर 3 लाख गैलन पानी की आवश्यकता प्रतिदिन आंकी जाती है जिसके विपरीत यदि मटैला के दोनों पम्प काम करें तो 1.08 लाख गैलन और नैसर्गिक श्रोतों से 1.05 लाख गैलन अर्थात् कुल 2.13 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस समय 40 हजार गैलन पानी प्रतिदिन कोसी नदी से टैंकर और ट्रकों द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और मटैला के एक पम्प के द्वारा 56 हजार गैलन पानी पम्प किया जाता है। इसके अतिरिक्त नैसर्गिक श्रोतों से 67 हजार गैलन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार कुल 1.63 लाख गैलन पानी नगर में प्रतिदिन सप्लाई किया जाता है। दूसरा पम्प ठीक हो जाने पर 52 हजार गैलन पानी और उपलब्ध होने की संभावना है। जो पम्प इस समय कार्य कर रहा है उसे आठ घंटे के बजाय 12 घंटे प्रतिदिन बीच में 4-4 घंटे का आराम देते हुए चलाने पर भी विचार हो रहा है इससे भी समस्या में सुधार होने की सम्भावना है।

5—अल्मोड़ा नगर की पेयजल व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा एक जल संपूर्ति पुर्नसंगठन योजना तैयार की गयी जिसकी अनुमानित लागत 30.23 लाख रुपया है। इस योजना की स्वीकृति 27-2-73 को शासन द्वारा दी जा चुकी है और नगरपालिका, अल्मोड़ा को 1,88,735 रु0 का सहायक अनुदान तथा 62,915 रु0 का ऋण अर्थात् कुल 2,51,650 रु0 की आर्थिक सहायता शासन द्वारा दी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत दो रा वाटर और 2 किलियर वाटर पम्प लगाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन 4 नये जलाशय, फिल्टरेशन प्लान्ट, क्लोरिनेटिंग प्लान्ट का भी प्राविधान किया गया है। जल वितरण हेतु नगर को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसके लिये वितरण प्रणाली को नये ढंग के साथ बदलने का प्राविधान है। उपरोक्त सहायता से अब तक 4,100 मीटर पाइप लाईन डाली जा चुकी है और जलश्रोतों पर इनटेक कार्य किये जा चुके हैं। इस योजना को पूरा होने पर जिसमें 2-3 वर्ष लग सकते हैं यह आशा की जा सकती है कि अल्मोड़ा नगर में पेयजल का अभाव नहीं रहेगा।

6—इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्मोड़ा में दोनों पम्प खराब हो जाने के बाद पेयजल की स्थिति काफी चिन्ताजनक हो गयी थी। जिलाधिकारी ने आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिये समुचित कार्यवाही की। जिलाधिकारी द्वारा जल वितरण व्यवस्था अपने हाथ में ले लेने से काफी सुधार हुआ है। जिलाधिकारी का प्रयास काफी सराहनीय रहा है।

श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो दूसरा पम्प खराब हुआ, उस पम्प को देखने के लिये हल्द्वानी नगरपालिका से क्या कोई कारीगर बुलाया गया था, जिसने उसकी जांच की और अल्मोड़ा नगरपालिका से कहा कि उसको दो दिन में ठीक किया जा सकता है और कुल दो हजार की लागत से ठीक हो सकेगा? लेकिन इस प्रस्ताव पर नगरपालिका ने ध्यान नहीं दिया और उसे लखनऊ भज दिया और उसके बाद जल संकट पैदा हुआ। अगर हल्द्वानी के कारीगर द्वारा मरम्मत करा ली गयी होती, तो क्या इस जल संकट को टाला जा सकता था?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

श्रीमन्, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि हल्द्वानी का कोई कारीगर वहां गया। ठीक करा लेते तो अच्छा होता, उससे लेकिन यह पम्प बड़ा पुराना है। स्पेयर पार्ट्स तो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिये उन्होंने उचित समझा कि उसको लखनऊ भेज कर उसकी मरम्मत करा ली जाय। तब तक अनायास दूसरा भी पम्प खराब हो गया, इस कारण से और भी मुश्किल हो गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि यह जो योजना उन्होंने 23 लाख रुपये के ऊपर की स्वीकार की है और जिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है कि उसे पूरा करने में दो-तीन वर्ष का समय लगेगा, यह समझते हुए कि अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र का प्रख्यात इलाका है और पर्यटक क्षेत्र है तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि इस योजना को 5-6 महीने के अन्दर पूरा कर दें ?

श्री बेनी सिंह--

श्रीमन्, यह तो टेकनीकल बात है। कोशिश हमारी यह होगी कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दें। जैसा गुप्ता जी कह रहे हैं हमें तो बड़ी खुशी होगी यदि 5-6 महीने के अन्दर यह पूरा हो जाय, लेकिन इस समय यह कह देना कि 6 महीन में पूरी हो जायगी सम्भव नहीं है। चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट आ जाने के बाद जितना जल्द हो सकेगा इसको पूरा करने का प्रयास किया जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1950 में जब यह योजना अल्मोड़ा में लागू की गई थी, यह योजना 5-6 महीने के अन्दर पूरी कर दी गई थी और उसी बात को सामने रखते हुए मैं यह समझता हूं कि यदि विभाग एफीशियेन्सी का परिचय दे सके तो उस दिशा में स्वायत्त शासन मंत्री जी को कृपा करके ध्यान देना चाहिए और उस दिशा में कार्य करना चाहिये।

श्री बेनी सिंह--

जिस ओर गुप्ता जी ने इशारा किया है, मैं उसको देख लूंगा कि वह किस प्रकार 6 महीने के अन्दर पूरी हुयी और यदि आवश्यकता हुई तो उनके दर्शन भी करूंगा और जो सुझाव देंगे उसको भी पूरा किया जायेगा।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, अल्मोड़ा में पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, ऊपर से हैजे का प्रकोप भी है। बड़ी भयंकर स्थिति है। इसमें संदेह नहीं कि जिलाधिकारी ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पम्प आज से 22 वर्ष पहले लगाये गये थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनका डेप्रीसियेशन होगा और एक निर्धारित समय के बाद यह खराब हो जायेंगे ? दूसरी बात यह है कि 7-12-72 को पहला पम्प खराब हुआ, उसके तीन महीने के बाद दूसरा पम्प 25-3-73 को खराब हो गया और दोनों पम्प एक साथ लखनऊ को भेज दिये गये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन महीने तक आप बैठे क्यों रहे ? दूसरा पम्प खराब होने से पेश्तर ही इसको क्यों नहीं मरम्मत करा लिया गया ?

श्री बेनी सिंह--

अगर म्युनिसिपैलिटी जल्दी से पंप ठीक करवा लेती तो यह सवाल ही क्यों उठता।

श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् 50 में यह मशीनरी लगाई गई थी सरकार के द्वारा, उसके बाद जब मशीनरी खराब होने की शंका हुई तो नगरपालिका ने अनेक बार सरकार को लिखा कि हमारे यहां पानी की व्यवस्था खराब होती जा रही है और अनुदान या ऋण देने की व्यवस्था की जाय, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इस वक्त सरकार ने यह कहा कि 23 लाख 30 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं, तो स्वीकृत धनराशि को अब तक न देने का क्या कारणहै ?

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, स्कीम बनती है, एस्टीमेट बनता है, पास होता है, इन सब में देर लगती है । पिछले वर्ष जब वहां से प्रस्ताव आया था तभी तो इतनी जल्दी काम हुआ है इस दिशा में ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो पंप्स आदि लगे थे इनकी लाइफ क्या थी ? क्या यह सत्य नहीं है कि 15 वर्ष की लाइफ के पंप्स इस नगरी में लगाये गये थे । 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद क्यों नहीं नगरपालिका और स्वायत्त शासन बिभाग द्वारा उन्हें बदलने के लिये कदम उठाये गये?

श्री बेनीसिंह---

वहां की जलकल योजना नगरपालिका चलाती है । कोई भी हो जब तक मशीन चलती है तब तक उसको चलाते हैं । उन्हें उनमें कोई ऐब नहीं दिखायी दिया । अगर आग न लगती तो शायद यह और भी चलते रहते ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

जिन पंपों की लाइफ 15 साल की थी उन्हें 22 साल तक घसीटते रहे । पहली बात तो यह है कि आपने उन्हें क्यों नहीं बदला ? दूसरी बात यह है कि पहला पंप खराब हो गया तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं करायी और क्या इसकी छानबीन की कि नगरपालिका के अन्दर या विभाग के अन्दर कौन आधिकारी है जो इसके लिये जिम्मेदार है ?

श्री बेनी सिंह---

जहां तक छानबीन की बात है वह तो करा लेंगे । हमारे चीफ इंजीनियर गये हैं और वह देख रहे हैं । किस तरह से इस काम को पूरा किया जाय उसका प्रयास कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सारे प्रदेश के वाटर वर्क्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अन्डर संचालित होते हैं ?

श्री बेनी सिंह---

जिनको वह चलाते हैं वह उनके अन्दर आते हैं और जिन्हें म्युनिसिपैलिटी चलाती हैं वह उनके अन्दर आते हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

टेक्निकल नियंत्रण प्रदेशीय सरकार द्वारा होता है या नहीं?

श्री बेनी सिंह---

वह केंन्द्रीय सर्विसेज में जरूर आ गये हैं लेकिन उनका संचालन म्युनिसिपैलिटीज से होता है।

श्री हीरासिंह बोरा---

हमारे जितने समाचार-पत्र निकलते हैं उन्होंने यह लिखा है कि अगर नगरपालिका के जलकल विभाग ने मार्च में ही हलद्वानी के कारीगरों से मरम्मत करा ली होती तो ऐसा संकट नहीं हो सकता था । क्या मंत्री जी उस अधिकारी के विरुद्ध जांच का आदेश देंगे जो इस जल संकट के लिये जिम्मेदार ह ?

श्री बेनी सिंह---

जांच तो करा लेंगे । लेकिन पहला काम यह है कि किस तरह से पानी पूरा पहुंचे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा कि यह पंप्स 15 वर्ष की लाइफ के थे तो क्या 15 वर्ष बाद किसी इंजीनियर से इन पंप्स को टेस्ट कराया था?

श्री बेनी सिंह---

यह सूचना नहीं है कि उन्होंने टेस्ट करवाया या नहीं ।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अल्मोड़े की जल की आवश्यकता तीन लाख गैलन प्रतिदिन की है और इन सब को मिलाकर 1 लाख 63 हजार गैलन मिलेगा और जब दूसरा पंप ठीक हो जायेगा तो 62 हजार गैलन और मिलेगा । इस तरह से कुल मिलाकर 2 लाख गलन पानी मिल पायेगा । आपने जो योजना बनायी है वह ढाई साल में पूरी होगी। क्या इतने साल तक अल्मोड़ा जिला पानी के अभाव से ग्रस्त रहेगा या जैसा गुप्ता जी ने कहा कोई त्वरित योजना बनाकर इस अभाव की पूर्ति करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने निवेदन किया कि इसके लिये त्वरित योजना तो करेंगे ही, मैं गुप्ता जी के दर्शन कर लूंगा और वह जो सलाह लेंगे वह करूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत श्री संड जी ने बांदा नगर के राजकीय विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर अध्यापक निरीक्षक की हत्या के विषय में प्रस्ताव किया है । इस पर वह प्रश्न कर लें ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके लिये अलग से देना पड़ेगा।

नं0 2 पर श्री स्वामी ने टनकपुर के गुलिया पानी छानी ब्लाक में हरिजनों की जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी हैं, बस्ती के जंगलात विभाग द्वारा आग लगाकर उजाड़ देने के बारे में प्रस्ताव भेजा है । यह प्रश्न का विषय है ।

नं0 3 पर श्री हरिवंश सहाय ने देवरिया में पुलिस थानेदारों द्वारा पुलिस वालों से जबरन जिला पुलिस कर्मचारी परिषद् से इस्तीफा लेकर उनसे नान गजटेड पुलिस कर्मचारी परिषद में शामिल होने के लिये फार्म पर हस्ताक्षर कराये जाने का प्रस्ताव भेजा है । यह नियम संबंधी है। वह इस पर सवाल कर सकते हैं ।

नं0 4 पर श्री मोहनलाल कपूर और श्री हिम्मत सिंह ने उ0प्र0 में आवश्यकीय जीवन उपयोगी वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट, वनस्पति तेल, कोयला तथा बिजली के अभाव से सारे प्रदेश के विशेष रूप से किसानों में त्राहि त्राहि के संबंध में प्रस्ताव भेजा है । खाद्य पर बहस 11 को होगी, उस समय वह उस पर प्रकाश डालें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उस दिन इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उस दिन पूरे दिन इस पर चर्चा होगी इसलिये आपको अधिकार होगा कि आप अपनी बात अच्छी तरह से पेश करें।

नं0 5 पर सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, शफीक अहमद खां, उदय नाथ और त्रिलोक चन्द ने राज्य के पूर्वी और बुन्देलखंड के जनपदों में पेय जल के अभाव के बारे में प्रस्ताव भेजा है । 11 तारीख को अन्न पर बहस होगी । उस समय अन्न और पानी दोनों पर चर्चा हो सकती है ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

मैंने भी नियम 56 में भेजा है उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करें । देवरिया में नान गजटेड पुलिस कर्मचारियों के परिषद में शामिल होने के विषय में है....

श्री उपाध्यक्ष—

वह कार्य-स्थागन का प्रश्न नहीं है इसलिये अस्वीकार हुआ है । वक्तव्य के लिये आप लिख कर दें तो विचार होगा ।

1973–74 के आयव्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 21–कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या 22–उप-निवेशन, अनुदान संख्या 23–पशु पालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या 45 कृषि योजनाओं पर पूजी परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,14,45,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री राम लखन]

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,42,63,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,48,16,200 रुपये से अनधिक धन राशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन तथा फल उपयोग निदेशालय से संबंधित अनुदान मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। इसके संबंध में विभाग के कार्यकलापों का विवरण माननीय सदस्यों की सेवा में पहले ही दे दिया गया है इसलिये कार्य-कलापों के आंकड़े में न जा कर मोटी मोटी बातें माननीय सदस्यों के समक्ष रखूंगा, जो भूमिका विभाग ने हमारे प्रदेश की कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा फलोद्योग के बड़ाने में अदा की है, क्योंकि इसके संबंध में जितनी सूचनायें माननीय सदस्यों को देनी चाहिय वह दे दी हैं और विश्वास है कि माननीय सदस्य उसका अध्ययन किये होंगे। मैं माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये जायेंगे, हमारे प्रदेश की कृषि के उत्थान के संबंध में, उनका स्वागत करूंगा।

हमारा प्रदेश, कृषि-प्रधान प्रदेश है। यहां की जनता का 85 फीसदी जन-जीवन कृषि पर आधारित है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तो जिन वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ता ह उस वर्ष जनता का जन-जीवन सुखी और समृद्धशाली होता है। हमारा 1972–73 का वर्ष कृषि उत्पादन के मामलें में बहुत ही शोचनीय रहा है, भयंकर सूखा का प्रदेश को सामना करना पड़ा और इतना सूखा पड़ा जिसने पिछले सौ वर्षों के रेकार्ड को तोड़ा है। हमारे प्रदेश में इससे पहले सूखा पड़ा हैं, लेकिन वे प्रदेश के कुछ हिस्से में पड़ते थे बाकी हिस्सा अच्छा रहता था, जिससे हमारे खाद्य उत्पादन और प्रदेश की आर्थिक अवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इस वर्ष के सूखे ने हमारी खरीफ की फसल को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचाया और हमारे प्रदेश में ही यह सूखा नहीं रहा, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस सूखे का भयंकर प्रभाव है। लेकिन जिस रूप में सूखा हमारे प्रदेश में पड़ा उसका हमने यह प्रयास किया कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से विशेष योजनाओं को और कार्यक्रमों को चलाकर आपत्कालीन स्थिति की तरह उसका सामना किया गया और खरीफ के उत्पादन में जो कमी पड़ने वाली है उसको रबी की पैदावार को बढा कर, खाद्यान्नों की क्षति-पूर्ति करने के प्रोग्राम बनाये गये। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमें सफलता मिली। हमने कोशिश की कि प्रत्येक मंडल में जहां तहां ऐसे आयोजन किये जायं जिनमें सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मिलित रूप से बुलाया गया ताकि सूखा को मीट करने के लिये,मुकाबला करने के लिये युद्धस्तर पर कार्यक्रम बना सकें और उसमें वित्तीय कठिनाइयां बाधक न हो सकें। हमने आन दि स्पाट, मौके पर जिले और मंडल के अधिकारियों की आवश्यकता बतलायी कि हमें खरीफ अभियान से खाद्यान्न की कमी को मीट करने के लिए और रबी अभियान बढ़ाने के लिये इन चीजों की जरूरत है। हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, तकावी की जरूरत है, दूसरे प्रकार के ऋणों की आवश्यकता है, उनको मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि 72–73 में जहां बहुत ज्यादा क्षति होने के संभावना थी वहां हमने खरीफ का उत्पादन बढ़ा दिया। 1971–72 में हमारी खरीफ का कुल उत्पादन 58.7 लाख मीट्रिक टन था उसको हम ने 1972–73 में आपातकालीन कार्यक्रमों के द्वारा बढ़ाकर 62.3 लाख मीट्रिक टन किया।

इसके अलावा रबी में भी, जैसा मैंने निवेदन किया, आपातकालीन कार्यक्रम अपनाये गये और हमने कोशिश की कि हमारी जो खरीफ की क्षति होने वाली है उसको हम पूरा कर लें । हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि दैवी आपदाओं के बावजूद और बिजली, पानी की कठिनाइयों के होते हुए भी हमने कोशिश की कि 80 लाख टन गेहूं का उत्पादन बढ़ायें और हमें आशा है कि इसमें हम सफल होंगे। जो दूसरे रबी के खाद्यान्न हैं उनका भी उत्पादन बढ़ा है । जैसा कि सदस्यों को मालूम है, हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में उर्वरकों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिये सूखे की स्थिति में यह कोशिश की कि यूरिया को खेतों में देने का जो पुराना तरीका था उसको छोड़ कर हमने छिड़काव की भी व्यवस्था की और उस छिड़काव में आपरेशनल कास्ट शासन की तरफ से बरदाश्त की गई और करीब 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में यूरिया का छिड़काव किया गया जिससे उर्वरकों, साधनों की कमी होते हुए भी बहुत बड़ा प्रभाड पड़ा ।

तिलहनों की हमारे यहां बहुत बड़ी कमी थी । उसकी पैदावार बढ़ाने के लिये स्पेशल कार्यक्रम चलाया गया क्योंकि अगर हम तिलहन का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारे बहुत से कृषि उद्योग, इंडस्ट्री कायम हो सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । हमने सभी फसलों के उत्पादन को बड़ाने की कोशिश की है । एरिया भी बढ़ा है । और जो हमारी कमर्शल क्राप्स हैं, जैसे तिलहन, जूट, कपास, गन्ना, आलू, वगैरह, इनकी पैदावार बढ़ी और इन सब चीजों की पैदावार इस वर्ष हमारे प्रदेश में बढ़ी है।

मान्यवर, किसी प्रदेश की उन्नति के दो माप दंड हो सकते हैं । पहला यह कि हमारी जन संख्या का झुकाव नगरों की तरफ कितना है और दूसरा यह कि हमारी राष्ट्रीय आमदनी में हमारी कृषि की आमदनी का क्या भाग है । हमारे प्रदेश की आमदनी विगत वर्षों में बढ़ी है । 59 परसेंट से ज्यादा हमारी कृषि की आमदनी रही है जो घट कर अब 52 प्रतिशत के करीब हो गयी है। इसका मतलब है कि कृषि पर से बोझ धीरे-धीरे घट रहा है, नगरीकरण हो रहा है, आबादी का । कृषि उद्योग संस्थान कायम हो रहे हैं जिससे कृषि पर से दबाव घटता जा रहा है। अगर हमें अपने प्रदेश का उत्थान करना है, उसका विकास करना है तो उसके लिये यह भी जरूरी है कि कृषि पर बोझ कम हो। लोगों को अन्य कामों में लगाया जाय।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—
कितना कम कर दिया आपने?

श्री रामलखन—
जहां प्रदेश की आय बढ़ी है, वहां कृषि पर से होने वाली आय तो 59 परसेंट थी वह 52 परसेंट रह गयी । इसका तात्पर्य यह है कि कृषि पर से बोझ कम हुआ है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—
एक स्पष्टीकरण दे दें । बोझ घटने से आपका तात्पर्य क्या है ? क्या कृषि से हो वाली आय कम होने से आपका तात्पर्य है या उस पर लगे हुए लोगों की संख्या कम हो, उससे आपका मतलब है?

श्री रामलखन—
इसका मतलब यह है कि जहां एक आदमी की जरूरत है, वहां अगर 10 आदमी लगे है तो उन आदमियों को कृषि से हटाकर दूसरे कामों में लगाया जाय । तभी बोझ हलका होगा ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

यह बात सही है कि कृषि से आय कम हुई है । लेकिन जो लोग कृषि पर आधारित हैं वे और दरिद्र हो गये हैं, गरीब हो गये हैं ।

श्री रामलखन—

आपको अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का, तब आप कहें । मैं उसका उत्तर बाद में दे दूंगा ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रदेश की उन्नति कैसे हो, किस प्रकार कृषि का उत्पादन बढ़े तथा प्रदेश की गरीबी दूर हो । यह सब कार्य हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ही पूरे हो सकते हैं । खाली आलोचना करने से पूरे नहीं होंगे । हमारा सब का प्रयास यही होना चाहिये कि प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हर दिशा में प्रदेश आगे बढ़े । यह तभी होगा जब हमारा कृषि उत्पादन बढ़े और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बराबर प्रयत्नशील हैं । हम इस काम में भी लगे हुए हैं कि एक खेत में कई फसलें पैदा हो सकें । कृषि पर आधारित लोग अन्य कामों में भी लगाये जा सकें । इसके द्वारा ही हम प्रदेश का उत्थान कर सकते हैं ।

मान्यवर, कृषि उत्पादन के लिये उर्वरक की भी विशेष आवश्यकता होती है । हमारे यहां उर्वरक की काफी कमी है । इस कमी को भी पूरा करने की ओर हम प्रयास कर रहे हैं । इसके लिये हम कम्पोस्ट खाद के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहे हैं । इसके इस्तेमाल से खाद की कमी को दूर किया जा सकता है । जितनी खाद हमारे प्रदेश को चाहिये उतनी हमें नहीं मिल रही है । फिर भी हमने 1971 के मुकाबले 1972–73 में अधिक खाद का वितरण किया है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं वितरण के पूरे आंकड़े भी दे सकता हूं । जितनी खाद हमें मिलती है उसको देखते हुए हमारा प्रयास यही रहता है कि सभी छोटे तथा बड़े किसानों को वह उपलब्ध हो सके ।

पहले हमारे यहां खाद का वितरण नकद तथा तकावी दोनों तरह से होता था । यह शिकायत अकसर आती थी कि खाद ब्लैक में चली गयी । ब्लैक में वह बिक रही है । अब हमने यह निर्णय लिया है कि खाद कृषि विभाग द्वारा नकद नहीं, बल्कि तकावी या ऋण के रूप में वितरित की जाया करेगी और उसका हमने कड़ाई से पालन कराया । हमने इस सम्बन्ध में 3–4 जिलों को सर्वेक्षण कराया—बुलन्दशहर, मेरठ, रायबरेली तथा एक अन्य जिले में, कि हमारे कृषि गोदामों से खाद का जो वितरण हुआ है, वह किस श्रेणी के लोगों को हुआ है । उसके नतीजे से आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उस सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ कि 90 प्रतिशत खाद का छोटे किसानों में वितरण किया गया है और उसका लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला । क्योंकि जब नकद बेचने का प्राविधान था तो छोटे, गरीब किसान को खाद नहीं मिल पाती थी, वह साधन सम्पन्न और पैसे वालों को मिल पाती थी और वे कई-कई साल के लिये एक दम से खरीद कर रख लिया करते थे । इसलिए प्रयास किया गया कि खाद को छोटे और मध्यम किसानों को तकावी पर दिया जाये । क्योंकि हमारे और उनके प्रयासों से प्रदश में अन्नोत्पादन बढ़ रहा है, उन्हीं पर हम भरोसा करके अपने प्रदेश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं । हमारे यहां छोटे किसान अधिक थे । जब छोटे किसान और बड़े किसान दोनों ने समान रूप से अधिक उत्पादन के लिए मार्डन टेक्निक्स अपनाये हैं और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब छोटे किसानों को जब अधिक सुविधाएं दी जायेंगी, तभी हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा । इससे एक समय शीघ्र आएगा जब हम आत्म निर्भर हो जायेंगे और हमें किसी का परमुखापेक्षी होने की जरूरत नहीं होगी और प्रदेश की जनता की खाद्यान्न की पूर्ति हम अपने यहां के उत्पादित अनाज से कर सकेंगे ।

उन्नति शील कृषि उत्पादन के लिए मिट्टी के परीक्षण की आवश्यकता होती है कि किस हिसाब से खाद दी जाये, किस हिसाब से पानी दिया जाये और किस-किस समय में फसलें बोई जायें, जिनसे अधिकाधिक उपज हो सके। जब वह हो जायेगा तो हम फसल चक्र बना सकते हैं कि कौन सी फसल कब बोई जाये, उसमें कितनी खाद और कितना पानी दिया जाये इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमने प्रत्येक डिवीजन में भूमि संरक्षण प्रयोगशाला कायम कर दी है। गढ़वाल डिवीजन में नहीं था, वहां भी अब कायम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मोबाइल भूमि संरक्षण प्रयोगशालाओं के द्वारा भी गांव-गांव में जाकर काम हो रहा है और किसानों को सही सलाह देने का प्रयास किया जा रहा है।

दूसरा काम हम यह कर रहे हैं, हमारे यहां बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, जो ऊसर-बीहड़ है या नदी के कटाव से भरा है। हमारे यहां 20 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि ऊसर है, जहां पैदावार नहीं के बराबर होती है। पानी बरसा तो थोड़ी पैदावार हो गई, नहीं तो किसान को बीज भी अपने पास से देना होगा, तो अपने प्रदेश में ऊसर सुधार और मेड़बन्दी का काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है ताकि पानी को रोका जाए, भूमि के कटाव को रोका जाए और सूखे से उस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाए।

हमारे यहां बीहड़ों की एक बड़ी समस्या है और उसका सबसे अधिक क्षेत्र अपने प्रदेश में है। करीब 30 लाख एकड़ जमीन पर यह फैला हुआ है। स्वायल कंजरवेशन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि उनका सुधार किया जाये, जिससे कि हम वहां पाये जाने वाले डाकुओं की समस्या भी हल कर सकेंगे। जो भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, उनको उस जमीन पर बसाया जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

हर बात में हरिजनों का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है। न नौकरी में, न खेतो में और न ऋण में कुछ होता है। क्या आप उनको ट्रैक्टर्स से बीज आदि मुफ्त देंगे ?

श्री रामलखन—

सवाल यह है कि पहले जितनी सुविधाएं मिलती थीं, साधन सम्पन्न फायदा उठाते थे। कांग्रेस सरकार ने देश के नागरिकों का जीवन स्तर उठाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश नहीं की। (व्यवधान) हमारी जितनी भी योजनायें और जितने भी कार्यक्रम चले हमारे प्रदेश के जन-जीवन के स्तर को उठाने के लिये बने। सौभाग्य कहियेगा या दुर्भाग्य कहिय जो साधन सम्पन्न हैं, उन्होंने उसका फायदा उठाया। दूसरी और तीसरी योजनाओं में सिंचाई की योजना बनायी गयी ताकि किसानों को फायदा हो और कृषि उत्पादन बढ़े। जो साधन सम्पन्न हैं उन्होंने ट्यूबवेल लगाया, पम्पिग सेट लगाया, उसका फायदा उठाया। लेकिन छोटा किसान उससे वंचित रहा क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं थ, वह बुद्धिजीवी नहीं था। वह उसका फायदा नहीं उठा सका। नहरें निकलीं। जिनके पास जमीन थी उन्होंने उनका फायदा उठाया। खाली भाषण देने से हरिजनों को जमीन नहीं मिलगी। यह तकलीफ है कि उनको जमीन नहीं मिल पायी। इसमें जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। गांव में आप भी और हम भी देखते हैं। आप के गांव में जमीन बची हुई है, कायदे से वह भूमिहीन, हरिजनों को जानी चाहिये। अपनी आंख के सामने देख रह हैं कि वह जमीन साधन सम्पन्न .....(व्यवधान) आपकी सरकार थी तो आपका नारा हुआ कि धरती बटकर के रहेगी। (व्यवधान) हमने कार्य किया है। योजनाएं बनायीं

[श्री रामलखन]

हैं। योजनाओं के बाद कार्य किया है। हमने फैसला किया है कि जमीन का मालिक जमीन का जोतने वाला है। हम उसको अमल में ले आयें। जब यह फैसला किया है कि ऊसर बंजर परती जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जाय तो उसके कार्य रूप में परिणत करने के लिये योजनायें बनाये हुए हैं। रेवाइन रिक्लेमेशन से जो जमीन निकलेगी उसको रिक्लेम करके जहां एक ओर प्रदेश के कृषि योग्य जमीन का एरिया बढ़ाते हैं वहीं पर जो एक बड़ा भारी समुदाय वंचित है, न उसके पास काम है, न खेत है, जिसमें लगने का मौका मिले। करीब 118 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार के पास भेजी गयी है। स्वीकृति मिलते ही उस पर काम करेंगे। इस सम्बन्ध में पुखरायां, कानपुर में कुछ लैण्ड रिक्लेमेशन का काम हुआ है, जाकर देखें। जहां पर दूब नहीं जमती की, किसान एक छटांक गल्ला नहीं पैदा कर सकता था आज वहां अच्छे किस्म को गेहूं और अनाज पैदा हो रहा है। किसान खुश हो रहा है। एक्सपेरीमेंट के जरिये से ये योजनायें चलायी हैं कि हम प्रदेश को आगे बढ़ायें।

खेती के लिए अच्छे बीज की भी आवश्यकता है कि समय से अच्छा बीज मिल जाय। भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और कानपुर कृषि संस्थान ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से हमारे देश में हरित क्रान्ति आयी। किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये आगे बढ़ा। जो नये नये उन्नतिशील बीज इन संस्थाओं के जरिये से मिले उससे हमारे देश और प्रदेश का उत्पादन बढ़ा। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध करा सकें, यह प्रयास हो रहा है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष और अपने देश से बाहर भी उसका नाम है और उसने जो गेहूं, धान तथा दूसरी चीजों को अनुसन्धान करके बीज निकाले हैं उनकी मांग हमारे प्रदेश के अतिरिक्त दूसरें प्रदेशों में भी है। जहां पहले पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 3 करोड़ रुपये का बीज वितरित करती थी अब वह 10 करोड़ रुपये का बीज वितरित करने वाली है। कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान के जरिये भी हमारे प्रदेश में नये नये बीजों का अनुसन्धान हुआ है। तिलहन में भी नये नये किस्म के बीज इस संस्थान ने निकाले हैं और उससें तिलहन की पैदावार बढ़ गयी है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय तथा कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा बराबर शोध का काम हो रहा है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में कौन सी फसलें लगाई जाएं जिससे उस क्षेत्र का कल्याण हो। हम शोध में इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, कानपुर के कृषि विज्ञान संस्थान तथा बनारस के कृषि महाविद्यालय को जिम्मेदारियां सौंप दी गयी हैं ताकि उन क्षेत्रों में कृषि प्रसार हो और अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग हो और वे खाद तथा पानी के प्रयोग के बारे में किसानों को सलाह प्रदर्शनों के जरिये दे सकें। इसकी जिम्मेदारियां उन पर निश्चित कर दी गयी हैं और बनारस यूनिवर्सिटी को बनारस डिवीजन के क्षेत्र की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। आबादी को देखते हुये हमारे यहां 5 कृषि विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जिनमें अभी तक एक आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है और दूसरा कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान को हम विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

एग्रो द्वारा ट्रैक्टर्स के वितरण के बारे में भी बतला दें।

श्री रामलखन—

हम फैजाबाद में भी एक कृषि विश्वविद्यालय बनाने पर विचार कर रहे हैं। पंतनगर के वाइस चांसलर को हमने इसके लिये कार्य सौंपा है। इसके अलावा अपने प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिये विधेयक तैयार कर रहे हैं और विधेयक बन जाने पर

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से क्लीयरेंस मिल जाने के बाद उन को हम अपने प्रदेश में स्थापित करेंगे ताकि कृषि शिक्षा इस प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ सके। इससे किसानों को सहूलियत पहुंच सकेगी और कृषि के उत्थान तथा विकास हेतु उनको सुविधा मिल सकेगी।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

ट्रैक्टर्स का क्या घोटाला है ?

श्री रामलखन—

हमारे प्रदेश के लोगों को काम मिले, हमारे यहां औद्योगिक संस्थान बढ़े और इंडस्ट्रीज कायम हो इसके लिये जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना की गयी है जिसके जरिये से हम किसानों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इसकी विवेचना परफारमेंस बजट में दिखाई गई है जिसमें कि कृषि औद्योगिक निगम के कार्यकलापों के बारे में चर्चा की गई है। पूर्वांचल जिलों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु योजना बनाई गई है। इतने थोड़े ही समय में इस निगम ने सुलतानपुर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर आदि जिलों में छोटी-छोटी शुगर फैक्टरियां तथा भट्टे कायम किये हैं। इसका उल्लेख भी परफारमेंस बजट में किया गया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य इस पर अपने अमूल्य सुझाव देना चाहेंगे। पर्वतीय विकास निगम के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके जरिये से जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं उनके विकास की योजनायें चलाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में फल उद्योग निदेशालय के जरिये से विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बुन्देलखंड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां की 90 फीसदी जनता कृषि और फलों पर ही निर्भर करती है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों को विकसित करना है तो वह केवल वहां के उद्योगों का औद्योगीकरण करने से ही सम्भव हो सकता है और उसी के लिये हम प्रयत्नशील हैं और विकास योजनायें बना रहे हैं। जो वहां के पुराने बाग-बागान हैं उन्हें नये बाग-बागानों में परिवर्तित किये जाने की योजना चल रही है। उनके लिये ऋण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है तथा फलों आदि के संरक्षण के लिये कीटाणुओं आदि द्वारा जो नुकसान होता है उसके लिये स्कीम बनाई गई हैं। ये सारी चीजें हमने पुस्तिका में दी है।

श्री हिम्मत सिंह—

जो 20 लाख रुपया आपने ट्रैक्टरों के लिये ले लिया है उनके बारे में आप बतायें कि किसानों को कब तक ट्रैक्टर उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री रामलखन—

जो ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध थे वे आवंटित हो चुके हैं। यह कहना कि हमने 20 लाख रुपया ले लिया है, वह ठीक नहीं। अब कल ही यहां पर सवाल आया था और उसके जवाब में बता दिया गया था कि 130 आदमियों ने ट्रैक्टरों के लिये रुपया जमा कराया है किन्तु उन्हें ट्रैक्टर नहीं दिये जा सके। जब वे हमें उपलब्ध हो जायेंगे, तो उनको दे दिया जायेगा। साथही जो रुपया उन्होंने इस हेतु जमा कराया है उस पर सूद भी देने की व्यवस्था की जा रही है।

पशुपालन के क्षेत्र में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्रदेश का विकास खेती और पशुधन में विकास करने से ही सम्भव है। हमें खेती में नये-

[श्री रामलखन]

नये उपकरणों और माडर्न टेक्नीक से उसका विकास करना चाहिये और पशुधन को बढ़ावा देना चाहिये। हमारे प्रदेश में रोगों से जो क्षति पशुधन की होती थी उसके लिये अभियान चल रहा है ताकि हम यहां पर अच्छी नस्ल की दुधारू गाय और भैंसों की वृद्धि कर सकें। साथ ही छोटे-छोटे उद्योग जैसे मुर्गी पालन है जिसमें कि लोगों को काम मिल सके और संतुलित आहार मिल सके, की व्यवस्था की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस क्षेत्र में सर्वे भी कराया गया है। मेरठ, लखनऊ, रायबरेली आदि जिलों में सर्वे हो चुका है। जहां पहले हमें गायों से 10 प्रतिशत दूध मिलता था वहां अब 17 प्रतिशत हो गया है। दूध में वृद्धि हुई है और इसे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जहां हमने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये से विकास और उत्थान की कोशिश की है वहां हमने अपने प्रशासन को भी दृढ़ करने की कोशिश की है। कई अनियमितताये थीं, खराबियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहां 364 अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। उनमें से 306 मामले पुलिस के पास भेजे गये और 72-73 में 149 व्यक्तियों को दंडित किया गया है। 12 कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है।

इसके अलावा सतर्कता विभाग के पास 12 केसेज और अपराध अनुसंधान शाखा के पास 3 केसेज भेजे गये हैं। अर्थ विषयक अपराध के केस भी अनुसंधान शाखा को भेजे गये हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अन्य कार्यवाहियां भी की गयी हैं। जहां जो अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने वाले हैं, या अनियमितताये करने वाले हैं, या भ्रष्टाचार करने वाले हैं, उन सब के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है वहीं कर्मचारियों के कार्य में दक्षता को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है। करीब 1600 कर्मचारियों को इस वर्ष स्थायी करने का प्राविधान किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये अभी तक कोई ग्रेडेशन लिस्ट नहीं थी लेकिन अब ग्रेडेशन लिस्ट बना कर कर्मचारियों को देदी गयी है ताकि वे कोई एतराज करना चाहें तो कर सकें और जिसकी वजह से एक सुनिश्चित समय पर उनका प्रमोशन वगैरह हो सके तथा अन्य सुविधायें मिल सकें। यह उनकी बहुत दिनों से पुरानी मांग थी जिसे मान लिया गया है। उनकी सेवा नियमावली बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। जिससे वह जल्दी से जल्दी बन जायं ताकि जिस वक्त उनका प्रमोशन होना चाहिये या और सुविधायें भी उनको उस नियमावली के आधार पर मिल सकें।

पशुपालन के बारे में मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं। पशुपालन विभाग में जो वेटेरिनरी सर्जन थे अब तक गजटेड नहीं थे लेकिन 15 अगस्त, 72 से पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को गजटेड आफिसर घोषित कर दिया गया है। यह भी उनकी बहुत पुरानी मांग थी जिसको शासन ने पूरा कर दिया है और वे अधिकारी पूरी निष्ठा से और सन्तोष से अपना कार्य करने में संलग्न हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उनके सुझाव आवेंगे उन पर अमल कराने की हम कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रदेश के हित में जो उनके सुझाव हैं उनको कार्यान्वित किया जाय। लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रदेश की तरक्की की जिम्मेदारी आप सब के ऊपर भी है, यह नहीं कि आप केवल बुराई ही बतला दें। आप पूरी तरह से बतलावें कि क्या कार्यक्रम अपनाया जाय जिससे इस प्रदेश का विकास हो। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो विकास सम्भव नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके सहयोग से ही हमारा कार्य सफल होगा और हम अपने प्रदेश की तरक्की करने में सफल होंगे।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21, 22, 23 और 45–में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—कृषि क्षेत्र में हुई असफलताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना एवं विभागीय गलत नीतियों की अलोचना करना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कृषि विभाग का जो बजट सदन के सामने उपस्थित किया है वह सम्पूर्ण बजट लगभग 34 करोड़ रुपये का है। इस 34 करोड़ रुपये के बजट में से अगर हम उन चीजों को निकाल दें जिनका व्यावसायिक सम्बन्ध है—खाद की बिक्री, बीजों की बिक्री वगैरह को तो यह बजट करीब 24 करोड़ रुपये का रह जायेगा। और जो अन्य बजट सदन में पेश हुए हैं, जैसे शिक्षा का है पुलिस का है, जन स्वास्थ्य का है या अन्य विभाग का है, उन सबसे कृषि का बजट कम है और इसके लिये जो बजट की मांग है वह चौथे नम्बर पर है। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बजट में कटौती के बारे में जो उनका ख्याल है कि न की जाये तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बजट की कटौती के साथ ही साथ मंत्री जी की भी कटौती कर दी जाय क्योंकि कृषि विभाग आज दो मंत्रियों की चक्की के पाट में पिस रहा है। आप देखें कि खेती के लिये पानी की सबसे बड़ी जरूरत है। दो मंत्री कृषि विभाग के ऊपर हैं। अगर किसान को पानी की जरूरत पड़े तो मंत्री जी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। यह तो खाली शंकर बीज का बंटवारा करेंगे और हरित क्रांति करेंगे, पानी का इन्तजाम कराने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है और इनके हाथ में यह नहीं है। दूसरी ओर जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं वे केवल नहर का महसूल वसूल करेंगे। उनके जिम्मे यह काम नहीं है कि प्रदेश की सारी जमीन को पानी दें या इसको अपना कर्त्तव्य समझें। हमारी राय है कि इन दोनों विभागों को एक में शामिल कर दिया जाय जिससे कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी देने की जिम्मेदारी का निर्वहन कृषि मंत्री कर सकें।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी तो बिलकुल अनबोला आदमी हैं। वह कभी बोलते नहीं हैं और लिखते नहीं हैं। इसलिये हमारी राय है कि सिंचाई मंत्री जी को निकाल दिया जाय। हो सकता है कि इससे एक मंत्री की रोजी चली जाय। इसके लिये हमारा सुझाव है कि उनको चूहे मारने का मंत्री बना दिया जाय क्योंकि हमारे देश में 40 करोड़ लोगों की खुराक चूहे खा जाते हैं। इसलिये सिंचाई मंत्री के सुपुर्द यदि यह कार्य कर दिया जायेगा तो जनता का बड़ा कल्याण होगा।

मान्यवर, डिमांस्ट्रेशन ऐंड मल्टीप्लीकेशन कार्य पर 7 लाख रुपया व्यय होगा, कृषि संबंधी प्रयोग और शोध पर 63,11,400 रुपया व्यय होगा, कृषि शिक्षा पर 33,31,500 रुपया व्यय होगा, बोटेनिकल गार्डन पर 54,61,300 रु0 व्यय होगा, गन्ना विकास एवं शकर उद्योग पर 1,55,69,200 रुपया व्यय होगा। बीज और खाद पर 7,40,77,200 रुपया व्यय होगा। इसलिये केवल 10 करोड़ रुपया ऐसा है जो कृषि उत्पादन के काम में आयेगा और 24 करोड़ रुपया नौकरशाही तनख्वाह और भत्तों वगैरा में चला जायेगा। कृषि विभाग में 8 विभाग हैं जो अलग-अलग अपना कार्य संचालन कर रहे हैं और 13 निदेशक हैं। केवल एक विभाग और एक निदेशक होना चाहिये। एक हजार गजटेड आफिसर्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

हैं यानी नौकरशाही की इतनी बड़ी फौज है । ये लोग एक दूसरे की फाइल सरकाते रहते हैं । कृषि विभाग पुराना अंग्रेजी राज्य का बना हुआ है । इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)---

13 निदेशकों के नाम बता दीजिये ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इनके नाम बाद में बता देंगे । आपका तार हमारी जेब में पड़ा हुआ है। इस तरह से स्थिति यह है कि आप का सारा पैसा नौकरशाही पर खर्च होगा और यह नौकरशाही देश की कृषि का जो धंधा है उस को भी चौपट करती जा रही ह । मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और बहुत कुछ बताया लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि आप के प्रदेश में प्रति व्यक्ति की औसत प्रतिदिन की आय 1.41 रुपया है और जिसमें छोटे किसानों की केवल 40 पैसा ही है । 75 प्रतिशत छोटे किसान ऐसे हैं जिन के पास 5 एकड़ से कम भूमि है । मंत्री जी इस बात को समझें कि उनकी केवल 40 पैसा प्रतिदिन आय है । पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र में लिखा है कि कृषिश्रमिकों एवं कार्यों में लगी हुई जनसंख्या प्रदेश के अपनी जीविका के लिये विभिन्न कार्यों में लगे समस्त कार्यरत लोगों का 75 प्रतिशत ह । वष 1951 में प्रदेश की समस्त का रत जनसंख्या की 7.5 प्रतिशत जनसंख्या कृषि श्रमिक थी, जो बढ़कर 1961 में 11.3 प्रतिशत तथा 1971 में 19.3 प्रतिशत हो गई । संख्या की दृष्टि से कृषि श्रमिकों की संख्या वर्ष 1951 में 20 लाख से बढ़कर वर्ष 1971 में 55 लाख हो गयी । कृषि श्रमिकों की संख्या में यह वृद्धि इस तथ्य का प्रतीक ह कि या तो पर्याप्त संख्या में सीमांत कृषकों के लिये कृषि श्रमपूरक आय के रूप में कार्य करते थे वे अब इस सीमा तक कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं कि वही उन की जीविका का मुख्य साधन बन गया ।

यह सरकारी रिपोर्ट है और यह कहती है कि कृषि में लगे हुए लोग कृषि कार्यों से हटते जा रहे हैं और वह कृषि मजदूर बनते जा रहे हैं । इसका अर्थ क्या है ? इसका मतलब यह है कि जो खेती में लगे हुए किसान हैं वह ज्यादातर गरीब होते जा रहे हैंऔर इसी कारण मजबूर होकर वह खेतिहर मजदूर बन जाते हैं ।

मंत्री जी हरित क्रांति की बात करते हैं और उनका मतलब केवल इतना है कि वह किसानों को खाद और बीज दे दें, जमीन दे दें लेकिन मैं कहूंगा कि जिस किसान को आप हरित क्रांति के लिये जमीन देते हैं उस छोटे हरिजन किसान के पास आज उस जमीन को बोने जोतने के लिय हल बल तक नहीं है, उसके पास वह साधन और औजार नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है जिसे वह अपनी खेती में लगा सके । यह हाल आप की हरित क्रांति का है और दूसरी ओर आप श्वेतक्रांति कर रहे हैं। इस में आप लोगों को गाय और भैंसे देते हैं लेकिन ऐसे लोगों को देते हैं जिन के पास चारा पैदा करने के लिये भूमि नहीं है, पशु चराने के लिये कोई स्थान नहीं है, ऐसे आदमियों से आप श्वेत क्रान्ति कराना चाहते हैं । हरित क्रांति आप एस किसानों से करान क लिये चले हैं जिन के पास जोतने के लिये हल बैल नहीं, खेती के औजार नहीं, इतनी आर्थिक शक्ति उन की नहीं कि वह बीज खाद लेकर डाल सकें । यही कारण है कि आप की यह दोनों श्वेत और हरित क्रांतियां असफल हो रही हैं, पूर्ण रूप से असफल हो रही हैं । मैं आप को सचेत करना चाहता हूं कि अगर आप की यह हरित और श्वेत क्रांतियां असफल हुई तो आप निश्चय रूप से माने कि इस प्रदेश का नंगा भूखा किसान और इंसान और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा और वह उठ खड़ा होगा और इस देश और प्रदेश में लाल क्रांति करगा। आप इसके लिये तैयार रहें । अगर आप इसमें असफल हुए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में बगावत होगी।

आज आप खाने पीने का मामला ले लीजिये, अनाज का मामला ले लीजिये। आप कहते हैं कि प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है । लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका उत्पादन घटा है जो आपकी सरकारी रिपोर्ट से जाहिर है। 1970-71 में अपने यहां 194 लाख टन गल्ला पैदा हुआ था, मंत्री जी नोट कर लें जबकि प्रदेश में संविद की सरकार थी और जब आपकी नालायक सरकार आयी 1971-72 में तो यह घट कर 174 लाख टन गल्ला पैदा हुआ। इस प्रकार 20 लाख टन गल्ला आपके कुकर्मों के कारण घट गया। आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी फसलें हो रही हैं, बड़ी हरित क्रान्ति हो रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि गेहूं के बारे में पंजाब में 2,251 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा होता है जब कि आप के यहां केवल 1,286 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। आपसे दूना गेहूं पंजाब पैदा कर रहा है और आप यहां पर हरित क्रान्ति की बात कर रहे हैं? इसी प्रकार से मक्का मैसूर में 3,226 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो रहा है लेकिन आपके यहां पर केवल 1,182 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा हो रहा है। आप से दुगना मक्का मैसूर प्रति हेक्टेयर पैदा कर रहा है। चावल के मामले में आप देखें, तामिलनाडु में 1,974 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा हो रहा है और आप केवल 819 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल पैदा कर रहे हैं। तामिलनाडु आपसे ढाई गुना चावल पैदा कर रहा है। गुजरात में आलू 23,775 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा होता है लेकिन आपके यहां पर केवल 9,232 किलोग्राम पैदा होता है अर्थात् गुजरात आपसे ढाई गुना आलू ज्यादा पैदा कर रहा है। गन्ने के मामले को आप देखें क्योंकि आप गन्ने के भी मंत्री हैं। इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन मैसूर में गन्ना 87,723 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा होता है और आप के यहां 40,072 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। मैसूर गन्ना भी आपसे दुगने से ज्यादा पैदा कर रहा है। आप बतायें कि किस प्रकार से आपका उत्पादन बढ़ रहा है? कैसे आप कहते हैं कि हम खेती में तरक्की कर रहे हैं? इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इन सूबों से पैदावार के मामले में बहुत गिरे हुए हैं। आपकी सरकार इन सूबों की सरकार से ज्यादा नालायक है। आपके कर्मचारी इन सूबे के कर्मचारियों से ज्यादा नालायक हैं जिससे हमारे प्रदेश की पैदावार नहीं बढ़ रही है। हम आज उनसे 2-3 गुने पीछे हैं और यही कारण है कि हमारे प्रदेश का उत्पादन बराबर घटता चला जा रहा है और इस प्रदेश की गरीबी बराबर बढ़ती चली जा रही है। और गरीब इन्सान और गरीब होता चला जा रहा है। खेत पर काम करने वाले मजदूर लोग 1951 में 22 लाख थे जो अब 55 लाख हो गये हैं। वे मजबूर होकर खेती को छोड़ छोड़ कर कानपुर, लखनऊ और कलकत्ता में रिक्शा चलाने पर मजबूर हो रहे हैं और आप कहते हैं कि वे खुशी से चले गये और खेती से बोझा कम हो गया, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे मजबूरी में अपनी खेती को छोड़ते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई लाभ नहीं है। धीरे-धीरे उनकी जमीन बिकती चली जाती है और बिकने के बाद एक दिन वह मजबूर हो जाता है मजदूरी करने पर और शहरों में रिक्शा चलाने पर। तो आप का यह कहना कि खेती से बोझा हट रहा है उचित नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि खेती के ऊपर बोझा बढ़ रहा है। मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्री जी और हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने कर जांच समिति की रिपोर्ट को पढ़ा हो। उस रिपोर्ट में, मान्यवर, स्पष्ट लिखा है कि अगर एक करोड़ रुपया आप लोहे के धन्धे में लगा दें, तो 16 लाख का उससे मुनाफा होगा और अगर एक करोड़ रुपया कपड़े के उद्योग में लगा दें तो 35 लाख रुपये का उससे मुनाफा होगा, और अगर लघु उद्योग और खेती में एक करोड़ लगायें, तो उससे 69 लाख का फायदा होगा। तो आप ऐसा विजनेस क्यों नहीं करते जिसमें फायदा ज्यादा हो। 16 लाख रुपये लोहा, 35 लाख रुपये कपड़े के धंधे में और 70 लाख रुपये खेती से फायदा होगा, यदि आप एक करोड़ रुपये उसमें लगा दें। यह सब मिला कर 70 लाख रुपये का फायदा होता है। तो क्यों नहीं फायदे का काम करते? ये निदेशक महोदय क्या करते रहते हैं? कौन-सा निदश इनका

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

होता रहता है, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं इस बात पर सोचते कि खेती भी एक ऐसा धंधा है और इस धंधे में ऐसा इन्तजाम किया जाय कि जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इनका तो काम केवल फाइलों को इधर से उधर करना है। इनका तो काम मंत्रियों को गुमराह करना है।

खेती के बारे में पानी की सब से बड़ी आवश्यकता है। आज इस प्रदेश में, मेरा जहां तक अन्दाज है, दो-तिहाई जमीन ऐसी है जो बिना सिंचाई के रहती है। केवल एक-तिहाई जमीन को आप पानी दे पाते हैं, अपने सभी साधनों से--यानी प्राइवेट साधन, नहरें और सरकारी साधन तथा ट्यूबवेल से। तो एक-तिहाई जमीन जब केवल सींच पाते हैं और दो तिहाई बिना सींचे रहती है, तो फिर उत्पादन गिरता है। आपने कभी सोचा कि प्रदेश में सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय और कोई ऐसी सघन व्यवस्था की जाय ताकि 4 साल में या 5 साल में जितने भी खेत हैं, उन सबको पानी मिल जाय। क्यों नहीं इस विषय पर सोचते। आज प्रदेश का किसान इन्द्र भगवान के सहारे पर खेती करता है और आप इन्दिरा के सहारे पर उत्तर प्रदेश का शासन करते हैं। यहां का किसान इन्द्र के सहारे पर है और हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, इन्दिरा के सहारे पर हैं। तो आज ये इन्द्र और इन्दिरा, दोनों कृपा करें इस प्रदेश पर और मंत्रियों को चाहिये कि वे कोई रास्ता निकालें।

बड़ा हल्ला मचता है सरकार का। बड़ा जोर लगाया जा रहा है नसबन्दी में। मोटर के मोटर और काफिले पर काफिले गांवों में घूम रहे हैं नसबन्दी करने के लिये, लूप लगाने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश के लोगों को पानी की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की गरीब जनता को, उन किसानों को जिनकी जमीन को पानी नहीं मिलता है, लूप की नहीं नलकूप की जरूरत है और आप लगवा रहे लूप। जरूरत नलकूप की और आप इन्तजाम कर रहे हैं लूप का और सारा पैसा लूप में बर्बाद करते हुये इस प्रदेश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं।

सिंचाई के साधनों के लिये आपको एक पंचवर्षीय योजना या सप्त-वर्षीय योजना बनाना पड़ेगा और एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जिससे कि पांच/सात साल में सारी जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हो जाय। आपकी जो बड़ी-बड़ी नहरें हैं जो 10-10 सालों से मुकम्मिल नहीं हो पायी हैं। जो ट्यूबवेल लगे हैं, वे केवल कुछ मंत्रियों के इलाके में लग जाते हैं। हमारे कानपुर की एक मिसाल है। वहां के एक मंत्री हैं उनके तो क्षेत्र में दर्जनों ट्यूबवेल लग गये और हमारे क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल नहीं हैं। जो कि पिछड़ा हुआ है। हम अगर कहते हैं तो कहा जाता है कि सर्वेक्षण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खेतों को पानी मिले तो आप एक ऐसी स्कीम बनावें, ऐसा काफिला तैयार करें जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वेक्षण करता हुआ, ट्यूबवेल लगाता हुआ, रहट और कुयें बनाता हुआ, चलता चला जावे और जो खर्चा आवे वह उस जमीन के किसान से लिया जाये और उसको लम्बी किस्तों में वसूल किया जाय। यह नलकूप 40-50 बीघा के जमीन के बीच में लगाया जाय। लेकिन आपने क्या किया? कुछ बड़े काश्तकारों को कर्जा दे दिया या प्रभाव में आकर कुछ सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिये। आपका ट्यूबवेल का कर्मचारी ट्यूबवेल बन्द करके चला जाता है और समय पर लोगों को पानी नहीं मिलता। आपने जो सिंचाई के लिये नहरें बनवाई हैं वह बरसाती नदी का रूप धारण किये हुये हैं, जब वर्षा होती है तभी उन नहरों में पानी चलता है। मैं आपको बताऊं कि आपके पास कितना पानी है, लेकिन आपकी अक्ल का तो दिवाला निकल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गंगा की घाटी में लगभग 430 लाख हेक्टेयर मीटर जल के संसाधन हैं, जिनमें से 310 लाख हेक्टेयर मीटर उत्तर प्रदेश से बह कर चला जाता है और समुद्र में चला जाता है। आपको चाहिये कि जगह-जगह पर आप बांध बंधवायें और हर

खेत को पानी पहुंचायें। अगर आपके पास अक्ल न हो तो हम बता रहे हैं। जगह-जगह पर बांध बंधवा कर पानी को लिफ्ट के जरिये उठा कर हर खेत में पानी पहुंचावें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक सिंचाई के साधन पूरे नहीं हो सकते और जब तक आप सिंचाई के साधन पूरे नहीं करेंगे तब तक खेती की तरक्की नहीं हो सकती।

आप हरित और श्वेत क्रान्ति की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति को लाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि जिनके पास 5–10 बीघा जमीन है उनको एक जोड़ी बैल और एक गाय या भैंस दीजिये। यह इन्तजाम आप अपनी ओर से करें। इसलिये कि जिनके पास जमीन है और खेती करने के साधन नहीं हैं तो जमीन बेकार पड़ी रहेगी और चारा होने पर भी वह भैंस या गाय नहीं रखता तो श्वेत क्रान्ति नहीं आ सकती और इसीलिये आपकी दोनों क्रान्तियां विफल हो रही हैं। प्रत्येक किसान के पास दोनों साधनों का होना बहुत जरूरी है इन क्रान्तियों को लाने में।

(इस समय 2 बज कर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप बरगलाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। हरिजनों की आप बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जमीन हरिजनों को मिलती है वह उसे किस तरह से जोतता होगा। जो मजदूरी करता है, गरीब है उसे आपने पांच बीघा जमीन दे दी तो वह उसके लिए कहां से बैल लायेगा? आपको मैं आपके एक नेता जी की बात बतला दूं। आपने कह दिया कि किसान मालदार हो रहा है। मैंने आंकड़े देकर सिद्ध किया कि वह गरीब हो रहा है। मान्यवर, सावन में एक आदमी की आंखें चली गयीं तो उसे हमेशा हरा-हरा दिखाई देने लगा। मंत्रियों की आंखें भी ऐसी हो गयी हैं कि उन्हें हरा-हरा दिखाई पड़ता है। हमारे कृषि मंत्री जी तो अभी नौ दस महीने से आये हैं। इसमें जिम्मेदारी और लोगों की भी है जो 25 वर्ष से शासन में रहे। लेकिन अगर यह भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो यह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। इसलिये यह कहना बन्द करें कि किसान मालदार हो रहा है। वह सबसे ज्यादा गरीब हो रहा है। उसकी गरीबी का कारण है कि उसके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं और आपकी दोनों क्रान्तियां फेल हो गयी हैं। श्री बैजनाथ कुरील कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने रायबरेली में भाषण दे दिया कि अगर बैल मंहगे हो गये हैं तो ट्रैक्टर खरीदिये। वह तो यहां हैं नहीं, मैं उनकी बुद्धि को क्या कहूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब बैल मंहगे हैं तो ट्रैक्टर कहां से सस्ते है। बैल तो 500 या एक हजार में मिल जाता है लेकिन ट्रैक्टर तो 10 या 15 या 20 हजार से कम में नहीं आयेगा। ऐसे ही किसान ने एक मंत्री से कहा कि हमें गल्ला नहीं मिलता तो मंत्री जी ने कहा कि डबल रोटी क्यों नहीं खाते, डबल रोटी खाओ, अंडा खाओ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

एक मंत्री तो चूहे खिलाते हैं।

श्री रामलखन––

वह गोरखपुर, देवरिया की बात है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

लेकिन उन्होंने सलाह बनारस को दी थी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

अनाज नहीं है तो मंत्री कहते हैं चूहे खाओ और देवी जी कहती हैं कि अगर शकर नहीं मिलती तो मत खाओ। मैं कहता हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी को भोजन दें। आपके विभाग ने कभी हिसाब लगाया कि कितने अनाज की जरूरत है। ऐसा कोई हिसाब नहीं लगाया गया। 200 लाख टन के करीब अनाज हमें चाहिए। लेकिन हम 170 लाख टन पैदा कर रहे हैं। आपको बड़ा तुर्रा है। लेकिन अगर विदेशों से अनाज न मिले तो देश की बात तो जाने दें, प्रदेश में ही करोड़ों आदमी भूख से मर सकता है। 25 वर्ष के कांग्रेसी शासन के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम आज भी विदेशियों की रोटियों पर जिन्दा हैं। आज 3 रोटियों में एक रोटी हर इन्सान को अनाज की खानी पड़ रही है। आप कहते है कि हरित क्रान्ति हो रही है और किसान मालदार हो रहा है। जब तक आप उत्पादन के संबंध में कोई समुचित व्यवस्था---कोई प्लान नहीं बनायेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

आप गेहूं की बात करते हैं। आप देखें कि किसान जो अनाज पैदा करता है क्या उसको उसका मूल्य मिलता है या नहीं। मान्यवर, आज इन्होंने गेहूं का मूल्य निर्धारित करा दिया है 76 रु0 और 80-82 रुपये। आज बाजार में चना 140 रु0 प्रति क्विंटल बिक रहा है। गेहूं का मूल्य चना व मटर से आधा है। आप किसान से कहते हैं कि गेहूं पैदा करो। वह क्यों पैदा करेगा? अगर यही हालत रही तो अगले साल गेहूं गायब हो जायेगा। आज सूरजमुखी की खेती करवा रहे हैं तो सूरजमुखी की खेती करेगा किसान? किसान वह धन्धा करेगा जिस में कि उसको फायदा हो। आज किसान के साथ जितनी ज्यादती होती है उतनी किसी के साथ नहीं होती है। गन्ने में किसान को खून और पसीना लगाना पड़ता है तब कहीं साल भर की मेहनत के बाद गन्ना पैदा होता है। गन्ने को आप 4-5 रुपये प्रति मन के हिसाब से खरीदते हैं जब कि बबूल की लकड़ी 8 व 9 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रही है। तो गन्ने के दाम से ज्यादा बबूल की लकड़ी के दाम हैं। क्यों पैदा करेगा गन्ना किसान? नागर साहब गन्ना आयुक्त हैं। गन्ने के दाम से ज्यादा लकड़ी का दाम है। बीज निगम की रिपोर्ट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक एकड़ में 16 क्विंटल गेहूं मिल सकता है जबकि लागत 1,792 रु0 प्रति एकड़ आती है :

	रुपये
जुताई (चार बार)	60
सिंचाई (पांच बार)	200
उर्वरक	225
बीज	155
कटाई	52
गहाई	55
खरपतवार छंटाई	25
निराई व गुड़ाई	25
भूमि व श्रम के रूप में पूंजी	800
आकस्मिक श्रम	55
रखवाली	50
कीटनाशक छिड़काव आदि	60
बाजार व परिवहन	30
कुल योग (लागत) ..	1,792

तो एक एकड़ खेती पर 1,792 रुपये प्रति एकड़ लागत आती है। इस हिसाब से गेहूं का रेट 112 रुपये प्रति क्विंटल आता है। आप जो बीज बेचते हैं वह भी 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं। यह सबसे बड़ी बेईमानी किसान के साथ है। जब तक कि किसान को अच्छा भाव नहीं मिलेगा, मैं आपको बताये देता हूं खेती का उत्पादन गिरेगा। कोई न कोई दिन आयेगा जब आप भी इन कुर्सियों से गिरेंगे और खाने के मामले में व अनाज के मामले में बगावत होगी—क्रान्ति होगी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को देखें और एक निश्चित नीति अपनायें जिससे कि खेती की पैदावार बढ़े। आज खेती की पैदावार काफी गिरती चली जा रही है। अभी मंत्री जी ने फरमा दिया कि उर्वरक की कमी है। यह सब मानते हैं कि खाद की कमी है—खाद दे नहीं सकते किसान को। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जितने सीड स्टोर हैं उनमें से 80 फीसदी सीड स्टोरों में गबन के मामले हैं। खाद के गोदाम में ताला बन्द रहता है और अन्दर से बोरियां गायब हो जाती हैं। खाद में नमक मिलाया जाता है, कंकड़ और पत्थर मिलाया जाता है। आज इस तरह की खाद आप अपने विभाग से बंटवा रहे हैं और आप इस पर घमन्ड करते हैं कि हमने खाद व बीज बंटवा दिया और इस प्रदेश का किसान मालदार हो गया है। किसान मालदार नहीं हुआ है बल्कि आपकी नौकरशाही मालदार हो गयी है। उत्पादन हो नहीं रहा है। खेतों में काम करने वाले लोग मजदूरी करने लगे हैं।

आप जमीन दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जमीन आप कहां से दिलायेंगे ? पिछली बार आपने सीलिंग लगायी थी। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, 1960 पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप राज्य में 31 दिसम्बर, 1970 तक लगभग 2,00,444 एकड़ भूमि मिली। 2,05,000 एकड़ भूमि आपने कब्जे में ली। बहुत सी जमीन आपको कब्जे में नहीं मिल पायी और केवल 1,36,729 एकड़ भूमि का ही बटवारा किया है। आधी भी जमीन नहीं बट पायी है और आप कहते हैं कि हमने सीलिंग ऐक्ट लाकर जमीन का बंटवारा कर दिया है। सन् 1960 में जो जमीन मिली थी उसमें से भी आपने आधी बांटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस आधी जमीन को किसके लिए छोड़ा हुआ है ? गरीबों को आप क्यों धोखा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए जमीन ले रहे हैं। उनको देनी है नहीं। जोतते वही लोग रहते हैं। आज अपने प्रदेश में 53 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती के लायक पड़ी है। 20 लाख ऐसी जमीन है जो अगर ईमानदारी से सीलिंग लागू करें तो निकल सकती है। 40 लाख एकड़ भूमि में सरकारी फार्म हैं और ग्राम समाज की जमीन है। 12 लाख एकड़ भूमि में बिना पेड़ के जंगल हैं। इस तरह से 1,25,00,000 एकड़ भूमि पड़ी हुयी है। यह जमीन बंजर पड़ी हुई है जबकि इसमें लाखों मन अनाज पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूमि सेना बनानी पड़ेगी—खेतिहर पल्टन की भर्ती करनी पड़ेगी जैसे कि विदेशी हमले का मुकाबला करने के लिये पल्टन की भर्ती करते हैं। उसी तरीके से आपको इस अन्न संकट का मुकाबला करने के लिये, गरीबी का मुकाबला करने के लिये खेतिहर पल्टन की भर्ती करनी पड़ेगी। जो नौजवान आदमी हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, जो मजदूरी करके रिक्शा खींचने आते हैं शहरों में, आप उनकी भर्ती करायें। डा0 लोहिया ने आज नहीं 20 साल पहले कहा था कि भूमि सेना बना करके जितनी भी फालतू बंजर जमीन पड़ी है उसको 2–3 वर्ष के अन्दर खेती के अन्तर्गत ले आना चाहिये। भूमि सेना बना कर आप एक तरफ बैठिये और उनको साधन दीजिये, औजार दीजिये और सुविधायें दीजिये। उस भूमि को उन जवानों को जब वह ठीक हो जायेगी तो जो उसको ठीक करें, बांट दें। इससे उनको मेहनत करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। आप लड़ाई करने के लिये

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

जवानों को रखते हैं तो भूमि ठीक करने के लिये क्यों नहीं रख सकते हैं और उन पर पैसा खर्च कर सकते हैं ? इसके बगैर भूमि खेती के लायक नहीं बनाई जा सकती है। हमारे यहां 1/3 भूमि सिंचित है और बाकी जमीन बंजर पड़ी है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि किसान अपनी भूमि में दो तीन फसलें पैदा कर सके। आप किसान को ऐसे साधन क्यों नहीं देते हैं जिनसे वह अपने खेत में दो तीन फसलें पैदा कर सके। ऐसा न करने के कारण ही अनाज की हमारे देश में कमी है और किसानों की भी दुर्दशा होती जा रही है। इसलिये आप भूमि सेना बनाइये और उसके जरिये आप सारी बंजर और परती जमीन पर कब्जा कीजिये। आप कहते हैं कि 8 प्रतिशत जमीन गांव समाज के पास रहेगी लेकिन क्यों रहेगी? जब आदमी भूखों मर रहा है, तो उस जमीन का क्या होगा? इसलिये सारी जमीन पर अन्न उत्पादन किया जाय। चरागाहों के लिये जो जमीन छोड़ने की बात की जाती है तो उस पर भी यदि खेती की जाय तो जानवरों के लिये चारा भी पैदा हो सकता है और वह उस पर चर भी सकते हैं। इसलिये वह जमीन किसानों को खेती के लिये दे दी जाय जिससे अनाज का उत्पादन बढ़े और वह चारा उत्पादन भी करें। मैं कहना चाहता हूं कि आप सिंचाई के साधनों का विस्तार करें। आपकी जो योजनायें चलती हैं उनसे गरीब किसानों को क्या मिलता है ? गरीब किसान तो अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। बिरला बन्धुओं के पास 50 लाख एकड़ जमीन है। वह कहीं फार्म और कहीं बगीचे के नाम पर है। आप उनसे वह जमीन ले सकते हैं। सचिवालय में बैठने वाले सचिवों के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, मुख्य मन्त्री जी के पास भी गोपालपुर का फार्म है और दूसरे मन्त्रियों के पास भी हैं। यही वजह है कि यह लोग प्रदेश के सारे किसानों को मालदार समझते हैं। मेरे पास तो 12 एकड़ से भी कम का फार्म है। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक तार आपके सामने पेश कर रहा हूं जो इलाहाबाद जिले के श्री बाबूराम शुक्ल, ग्राम महमदपुर, पो0 गारापुर, इलाहाबाद के हैं। इन्होंने एक तार मुख्य मन्त्री को दिया है। उसमें लिखा है [××××]

यह तार एक कांग्रेस के पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ने मुख्य मन्त्री को दिया है मैं नहीं जानता कि मुख्य मन्त्री ने क्या कार्यवाही की। हमको सुनाई पड़ा था कि इन मन्त्री महोदय के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी बैठ गयी है। यह भी बड़ी शोहरत सारे प्रदेश में कि.....

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

आप कह चुके मेरे बारे में या और कहना है। मान्यवर, इन्होंने मेरे बारे में यह एक तार पढ़ा है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तार है या पत्र ? इसका स्वरूप तो पत्र का है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

यह तार है, उसकी कापी है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, एक सवाल पूछ लूं फिर कुछ कहूंगा। क्या माननीय सदस्य को इन तथ्यों की स्वयं जानकारी है या केवल तार के आधार पर वक्तव्य दे रहे हैं ? यह बात कह दें तब मैं अपना स्पष्टीकरण दूं।

[××] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चौधरी रामपाल सिंह यादव——

मैंने तो यह तार पढ़ा है । इसकी जांच मुख्य मन्त्री जी ने की होगी, यह उनकी जिम्मेदारी है । लेकिन उनके ऊपर जो स्पष्ट आरोप हैं, जो इस तार के जरिये बनते हैं मैंने उनको बताया और सदन को बताया।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय——

माननीय सदस्य ने एक तार का हवाला दिया । मैंने आपके माध्यम से पूछा कि आपको निजी जानकारी है या नहीं ? लेकिन आपने केवल यह कहा कि मुझे यह सूचना मिली है, इसकी जांच मुख्य मन्त्री जी करावें । इस तरह से माननीय सदस्य ने एक गलत, निराधार, बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर, एक तार के आधार पर सदन में इस तरह की कीचड़ उछालने का प्रयास किया है जोकि बहुत ही निन्दनीय है । श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई दरिद्र नहीं हूं । मैं भूमिहीन नहीं हूं । मेरे पास 60 बीघा परिवार में जमीन है । मेरे चाचा हैं, मेरे पिता हैं, और परिवार के लोग हैं । सबके पास मिला करके कुल 60 बीघा जमीन है । मैंने इलाहाबाद में मकान बनवाया है । सत्य है । और अच्छा बनाया है । करीब 50–60 हजार रुपये में बनवाया है । बताना चाहता हूं कि यह मकान जो हमने बनवाया है वह तब बनवाया जब मैं विधायक भी नहीं चुन कर आया था । विधायक चुने जाने के पूर्व ही मेरा मकान बन चुका था ।

श्रीमन्, यह बाबूराम शुक्ल का जो तार है जिसमें 2,000 रुपया लेने वाली बात है, मैं चुनौती देना चाहता हूं, मैं तो बहुत छोटी उम्र का हूं——इसकी जांच चाहे अपने माध्यम से करा लें या मुख्य मन्त्री जी करा लें। मैं केवल मन्त्रिपद से नहीं, विधायक पद से नहीं, मैं राजनीति से भी सन्यास लेने के लिये तैयार हूं अगर यह बात मेरे खिलाफ साबित हो जाय । लेकिन माननीय सदस्य को भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी, अगर यह बात गलत निकल आवे तो कम से कम सदस्यता से इस्तीफा दे दें, राजनीति से इस्तीफा न दें । लेकिन इस तरह से अगर गलत तथ्य के ऊपर आप कीचड़ उछालना चाहते हैं तो यह बहुत ही शर्म की बात है, आपको खुद इस पर शर्म महसूस करनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता——

उचित बात यह होगी कि जब कोई माननीय सदस्य किसी मन्त्री पर आरोप लगायें तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लगायें । इस तरह तार या पत्र के आधार पर आरोप लगाना उचित नहीं है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)——

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस मन्त्री के खिलाफ श्री रामपाल जी ने चार्ज लगाया उसने सदन में घोषणा की कि चाहे जिस माध्यम से इन्क्वायरी हो अगर वह चार्ज सत्य निकलेंगे तो वह सार्वजनिक जीवन से हट जाने के लिये तैयार हैं । तो क्या यही चीज श्री रामपाल जी अपने बारे में कहने के लिये तैयार हैं?

श्री अधिष्ठाता——

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)——

जब तक व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और जबकि आरोप और उसका जवाब एक गम्भीर विषय से संबंध रखते हैं मैं समझता हूं कि यह उचित हो कि इसे प्रोसीडिंग्स से निकलवा दें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, सचमुच यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। निश्चित रूप से यदि किसी माननीय सदस्य को किसी माननीय मन्त्री या सदस्य के विषय में जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर यदि किसी सदस्य या मन्त्री को आरोपित करें तो निश्चित रूप से उसकी इन्क्वायरी किसी भी अधिकरण के द्वारा होनी चाहिये। लेकिन जब उनके आरोप के बाद त्वरित ही व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में माननीय मन्त्री ने स्पष्ट घोषणा की कि चाहे सदन के माध्यम से, चाहे माननीय अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे मुख्य मन्त्री या किसी भी अधिकरण के माध्यम से जांच हो और यदि वास्तव में यह तथ्यपूर्ण बातें हों तो वह मंन्त्रिपद से ही नहीं, विधान सभा की सदस्यता और सार्वजनिक जीवन से भी त्याग पत्र दे देंगे अन्यथा माननीय सदस्य भी सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दें तो माननीय सदस्य ठीक उत्तर नहीं दे सके और न ही उन्होंने निश्चित बातों के आधार पर अपनी बातों को इस सदन के समक्ष रखा। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने निराधार बातों के आधार पर आरोपित किया है यदि यह आरोप गलत हों तो विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे? इन्हें त्वरित, अभी, यहीं घोषणा करनी चाहिये अन्यथा इन्हें अभी सारे सदन और दर्शकों के सामने क्षमा याचना करनी चाहिये और भविष्य में इस तरह की कैरेक्टर एसासिनेशन की बातें नहीं करनी चाहिये..... (व्यवधान...शोर) इसलिये मैं पुनः जोरदार शब्दों में कहूंगा कि वह क्षमा याचना करें और अपने शब्दों को वापस लें और जो बातें उन्होंने कहीं हैं उन्हें कार्यवाही से एक्सपन्ज करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब तक किसी माननीय सदस्य को व्यक्तिगत जानकारी किसी मन्त्री के सम्बन्ध में न हो और वह आरोप लगाता है निश्चित रूप से यह सदन के अन्दर वाक्-स्वातंत्रय का दुरुपयोग है। मेरी राय यह है कि जब तक व्यक्तिगत जानकारी न हो किसी मन्त्री के सम्बन्ध में कोई आरोप कृपया न लगायें। यह प्रश्न यहीं समाप्त किया जाता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो तार मैंने पढ़ा यह स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी हैं.....

श्री अधिष्ठाता---

आप दूसरी बात कहिये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

मैं मन्त्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि जैसे उनके खिलाफ यह आरोप अगर सही साबित हो जायं तो वह इस्तीफा दे देंगे इसी तरह से मैं उनको चुनौती देता हूं कि हमारे खिलाफ अगर कोई बात हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग शान्त रहें। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

क्यों इस्तीफा दे दें..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग कृपया बैठें। चूंकि श्री रामपाल सिंह जी ने जो तथ्य माननीय मन्त्री जी के सम्बन्ध में अभी सदन के समक्ष रखे हैं उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं रखे हैं, अतः मैं निर्देश देता हूं कि वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे और उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

मान्यवर, मन्त्री जी दल बदलू हैं। लाभ के लालच से यह पार्टी छोड़ कर उधर चल गये..... (शोर) पद के लालच से यह उधर चले गये....

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

यह पार्टी पूंजीपतियों के हाथों बिक गयी थी इसलिये उस पार्टी को छोड़ना पड़ा.... (शोर)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग शान्त रहें, वरना मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

अभी गोरखपुर में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। उसमें माननीया जी पधारी थीं। उत्तर प्रदेश के सभी नेता लोग भी वहां थे। 'जागरण' अखबार में जो छपा है उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामउजागर शर्मा.... (शोर)

श्री अधिष्ठाता––

आप विषयान्तर कर रहे हैं। ग्रान्ट पर अगर आपको बोलना हो तो बोलें, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

चौधरी रापपाल सिंह यादव––

इस पत्र में लिखा है कि शर्मा जी ने कहा है कि मन्त्री लोग खुले आम रिश्वत ले रहे हैं। इसी सदन में कई बार भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दर्जनों आरोप लगाये गये हैं और चर्चा भी हुई है। आधे से ज्यादा मन्त्री भ्रष्टाचारी हैं। (व्यवधान)

अब मैं ग्रान्ट पर आता हूं। आपकी श्वेत क्रांति बुरी तरह से असफल हुई है। मान्यवर...
(शोर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। यादव जी, आपको 5 मिनट में ही समाप्त करना है।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)––

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं। मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहूंगा कि हमारे राज्य मन्त्री जी अभी बिगड़ गये थे, दलबदलू के नाम पर उनको कुछ चिढ़ न मालूम हुई। मुझे एक शेर याद आ गई––

"मेरा शुक्रिया अदा कर तुझको खुदा बनाया
तुझे कौन जानता है, मेरी बंदगी से पहले।"
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

देखिये मेरी इजाजत के बिना बोलेंगे, वह कार्यवाई का अंग नहीं बनेगा ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

जब गंगोत्री में पानी गंदा हो जाये तो गंगा का पानी साफ नहीं रह सकता । जब मन्त्रियों में बेईमानी और भ्रष्टाचार आ जाये तो नौकरशाही साफ नहीं रह सकती है । आज उत्तर प्रदेश शासन भ्रष्टाचार से एक दम लथपथ है, नौकरशाही भ्रष्टाचार के बिलकुल गर्त में चली गई है, इससे आज उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो गई है और कराह रही है । जब मन्त्रियों का इतना बुरा हाल है तो नौकरशाही का क्या हाल होगा और इनका विभाग जिनके यह मन्त्री हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह विभाग कैसे तरक्की कर सकता है । किसानों को वह कैसे राहत देगा और उसके कर्मचारी कैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होंगे ।

इस विभाग के रामकृष्ण जी निदेशक हैं, उनके खिलाफ विजीलेंश की जांच शुरू हुई है । 2 वर्ष का इन्क्रीमेन्ट भी जब आप (श्री शिवराज सिंह, अधिष्ठाता) कृषि मन्त्री थे तब इनका रोका गया था ।

श्री अधिष्ठाता—

इतना तक आप को पता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

अब उसके बाद पता नहीं किस दरबार में जाकर सांठ-गांठ किया है, जिससे कि वह पीछे दो साल का रूका हुआ इन्क्रीमेन्ट स्वीकृत हो गया है और बैड एन्ट्री ठीक कर दी गई है । इन्होंने 9 सौ रुपये में कशर्स खरीद कर उसे 12 सौ रुपये में बिचवाया है, उसमें लाखों रुपये का इन्होंने कारोबार किया । श्री रामकृष्ण जी ने.....

श्री अधिष्ठाता—

जो व्यक्ति सदन में नहीं है, यहां उसका नाम लिया जाए, यह उचित नहीं है ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

अच्छा, मैं डाइरेक्टर कह रहा हूं । निदेशक महोदय का, मेरठ के पास जो सरकारी फार्म हैं, उससे ढाई मील की दूरी पर उनका बहुत बड़ा अपना निजी फार्म है और उस जिले में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी साधन हैं, उन सबको उसमें लगाया जाता है । इनके फार्म का जो उत्पादित गल्ला है, वह कृषि फार्मों पर लम्बी कीमत पर बेचा जाता है । कपास एस-320 जिसको पश्चिमी जिलों के लिये अनुपयुक्त करार दे दिया गया था, लेकिन इस वर्ष पश्चिमी जिलों के सभी बीज भंडार में वही बटवाया गया, क्योंकि यह बीज निदेशक साहब के फार्म पर पैदा हुआ था । निदेशक महोदय ने अपने मोटे गेहूं को 14 जनवरी, 73 को सहारनपुर के कृषि बीज भंडारों पर प्रत्येक किसान को 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकवाया तो इन कृषि निदेशक का इस तरह का मामला है और यह वैसे ही कृषि निदेशक हैं जैसे कृषि राज्य मन्त्री हैं । जैसे कृषि राज्य मन्त्री जी ने तरक्की किया है, वैसे ही कृषि निदेशक महोदय ने भी तरक्की की है । यह पहले एक सरकारी फार्म पर 80 रुपये के सरकारी कर्मचारी थे । कौन से ऐसे गुण और कौन सी इनमें योग्यता है कि 80 रुपये का कर्मचारी बढ़ते बढ़ते आज निदेशक हो जाए । लेकिन कहा जाता है यह चापलूस आदमी हैं । निदेशक महोदय खुशामदी आदमी हैं । मान्यवर, आप के जैसे लोगों पर नहीं चला लेकिन आज उन्होंने सरकारी मन्त्रियों पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और आज हटना नहीं चाहते । पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है । सुना है अब कहीं प्रोमोशन पर आगे जा रहे हैं । विशेष सचिव जो इनके रिश्तेदार हैं यह भी इनके साथ मौज उड़ा रहे हैं । गन्ना आयुक्त के बारे में बता देना चाहता हूं, गन्ना आयुक्त हमारे लक्ष्मीकान्त जी हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय लेंगे। आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

20 मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप चाहेंगे कि कटमोशन पर और माननीय सदस्य भी बोलें। इसलिये आप निश्चित रूप से दस मिनट में समाप्त कर दें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

कृषि के उत्पादन में, इस देश की प्रगति में जब तक नौकरशाही ठीक नहीं की जायगी तो यह तरक्की हो नहीं सकती। जब तक यह नौकरशाही इन कुर्सियों पर विराजमान रहेंगे इनके खिलाफ शासन कोई कार्यवाही नहीं करेगा तब तक यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। मैं कहूंगा आयुक्त के बारे में। पिछले पांच वर्ष से इसी पद पर हैं जब कि शासन की नीति है कि तीन वर्ष से अधिक विभागाध्यक्षों को हटा दिया जाय। लेकिन तीन वर्ष से ज्यादा आप चापलूसी के कारण आयुक्त बने हुए हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि चीनी मिल मालिकों से लाखों रुपये सरकार को चन्दा चुनाव में दिलवाते हैं। अब इनको उद्योग का विशेष सचिव भी नियुक्त कर दिया गया है। अब यह गन्ना आयुक्त भी रहेंगे और उद्योग के विशेष सचिव भी रहेंगे क्योंकि उद्योगपतियों से चन्दा दिलवाने की अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ायेंगे और उनका जो व्यवहार है इन आयुक्त महोदय, विरोधी पक्ष के लोगों के प्रति, जो गन्ना सोसाइटियां हैं, और दूसरी संस्थाओं में जिनमें विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनके प्रति एकदम इनका विपरीत व्यवहार है। जब ऐसे कर्मचारी रहेंगे तो फिर गन्ने की तरक्की क्या होगी? गन्ने के भाव के बारे में हमने कहा कि लकड़ी से भी कम दाम गन्ना को मिलता है। क्या आयुक्त महोदय के दिमाग में यह नहीं आया? मान लीजिये मन्त्री जी को ज्ञान नहीं है लेकिन इनको इन के ज्ञान के ऊपर तनख्वाह मिलती है। क्यों नहीं ऐसा प्रयत्न किया कि गन्ने का उत्पादन बढ़े, गन्ने का भाव बढ़े?

मान्यवर, सीतापुर में एक महोली शकर मिल है। इसका खरीद का एक कांटा रामकोट में लगा हुआ है। यहां पर सरकारी फार्म का गन्ना आता है। एक महोदय जो मिल की ओर से कांटा इंचार्ज हैं उन्होंने फी गाड़ी तीन क्विंटल गन्ना मिल को कम तौला। उस सरकारी फार्म के मैनेजर ने रामकोट के थाने में 420 का मुकदमा कायम करवाया 16 मार्च, 1973 को। क्या वजह है कि 420 के मुलजिमान के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी? क्यों नहीं इनको जेल भेजा गया? इस बात को कौन बतायेगा? गवर्नमेन्ट बतायेगी, या मैं बताऊंगा? इस बात की जिम्मेदारी शासन की है, मंत्रियों की है, सरकारी कर्मचारियों की है। वह बताएं इनके खिलाफ जब एक सरकारी फार्म के मैनेजर ने 420 की रिपोर्ट लिखायी तो क्यों नहीं इनको जेल भेजा गया? आज इस तरह से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अखबार में एक खबर छपी है बख्शी तालाब के केन्द्र पर तकनीकी प्रबन्धक निगम साहब हैं। नवम्बर 1970 में 4 हजार रुपये के गबन में निलम्बित किये गये।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

बख्शी के तालाब का कृषि तथा गन्ने से क्या वास्ता है?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

सम्बन्ध है। इनको चार हजार रुपये के गबन में निलम्बित किया गया। पशुपालन विभाग के निदेशक श्री सूद ने इसकी जांच की और 4 जुलाई को श्री सूद की रिपोर्ट इनके खिलाफ आ गयी। 10 फर्जी मदों में इन्होंने 24 हजार रुपये का गबन किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अब तक नहीं हो रही है। इनका काम है लूट कर खाना और सरकार को उसका हिस्सा देना, मन्त्रियों को उसका हिस्सा देना। इसीलिये इस शासन के मन्त्रियों ने नौकरशाही को इतनी छूट दे रखी है कि लूट कर लाओ और यहां बांट कर चले जाओ जिसके कारण नौकरशाही ठीक नहीं हो पा रही है। एक मन्त्री जी हमारे क्षेत्र में गये और उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि अब यह बड़ी गड़बड़ी हो गयी है कि अफसर रिश्वत ले ले और काम न करे।

श्री अधिष्ठाता—

कृषि मन्त्री से यह सम्बन्धित है?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जी हां।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

बिलकुल झूठ है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य विषयान्तर अधिक कर रहे हैं। वह विषय पर बोलें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

कृषि विभाग भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है और इस विभाग से जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक कृषि की उन्नति नहीं हो सकती और हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति बिलकुल खत्म हो जायेगी। आज भी इस प्रदेश का किसान गरीब है, वह दलदल में दे सहारा पड़ा हुआ है, एक एक गेहूं के दान के लिये तरस रहा है। लोग दूकानों पर लाइन लगा कर गेहूं के एक एक दाने के लिये तरस रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, दूकानें लूटी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने कृषि तथा पशुपालन के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। कृषि एक बहुत ही लम्बा चौड़ा विषय है, थोड़े से समय में इससे सम्बन्धित सब चीजों पर बोलना संभव नहीं है इसलिये मैं एक विषय लूंगा और वह है यू0 पी0 एग्रो। मान्यवर, यह संस्था इसलिये खोली गयी थी और उसका उद्देश्य यह था कि छोटे किसानों को उससे मदद मिले लेकिन अफसोस यह है कि यह विभाग हमारे प्रदेश के लिये एक सफेद हाथी बन गया है। कृषि के क्षेत्र में इस विभाग ने अवश्य कृषकों को फायदा पहुंचाया है और बहुत से अन्य काम किये हैं। मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर पाइराला का प्रकोप हुआ और इतनी शीघ्रता से वहां के किसानों को स्प्रे की व्यवस्था की गई, मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी व्यवस्था शायद ही किसी अन्य प्रदेश ने किया होगा। पूरे प्रदेश में इसका प्रकोप धीरे-धीरे

बढ़ रहा है लेकिन मेरे जिले में यह बहुत गभीर किस्म का था जो कि हमारे कृषि विभाग और सरकार ने तुरन्त ध्यान देकर इसे दूर किया। इस बात की मुझे खुशी है। यह प्रकोप अब बहुत कम हो गया है। दूसरी तरफ हमारे कृषि विभाग का जो यू0 पी0 ऐग्रो है यह एक सफेद हाथी है जिसके पेट में प्रदेश के गरीब किसान के लाखों और करोड़ों रुपये जा रहे हैं। मान्यवर, अगर यह ऐग्रो पैसा बनाने के ही लक्ष्य से बनाया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि जो छोटी-छोटी फैक्टरियां चारों तरफ लगायी जा र ी हैं, क्या उनका सर्वे कराया गया है। यदि सर्वे करा लिया गया होता तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा, नैनीताल आदि स्थान हैं जिनमें छोटी-छोटी फैक्टरियां लगी हैं, वहां के फल उपजाने वाले जो किसान हैं, वे खुश होते। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं। करीमगंज और रामगढ़ में फैक्टरीज लगी हैं उनमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि हमारे प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको नौकरी देने के लिये ही ऐसी जगहें खोली जाती हैं।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें। माननीय श्री सी0 पी0 एन0 सिंह ने एग्रो के बारे में कहा है। मैं भी उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अभी यहां पर जो ऐग्रो का होटल सचिवालय में है, उसमें मैं भोजन करने गया। मैं माननीय कृषि मंत्री को जानकारी देना चाहता हूं कि उन्होंने 8 आने की एक रोटी का कैशमेमो मुझे दिया है। मैं यह चाहता हूं कि इस एग्रो का लाभ हानि का ब्योरा भी सदन के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। मंत्री जी अपना भाषण देते समय इस चीज का अवश्य उल्लेख करें। तो कैशमेमो मुझे दिया है उसका नम्बर 14353 है।

श्री अधिष्ठाता––

क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामलाल भाई––

सोचने की बात है, 8 आने की एक रोटी बिकती है। लाभ काफी होगा। लाभ हानि का ब्योरा भी मंत्री जी सदन में रख दें।

श्री अधिष्ठाता––

अपना भाषण देते वक्त आप यह बात कह सकते हैं।

श्री रामलाल भाई––

भाषण देने का समय ही नहीं मिलता है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह––

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही उस से जाहिर होता है कि यू0 पी0 ऐग्रो जो बना है वह मुनाफे के लिये बना है और बड़े-बड़े लोगों के लिये बना है, और अफसरों के लिये बना है। मान्यवर, हमारी पार्टी के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री श्री मोहन धारिया यहां पधारे थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश के पढ़े-लिखे नौजवान बेकार हैं, नौजवान हैं, हरिजन हैं तथा पिछड़े वर्ग के हैं तथा बेकार हैं उनको वे नौकरी दिलायेंगे और अपने प्रदेश में ऐसी योजना बनायेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिटायर्ड और गैर-जिम्मेदार लोग होते हैं उनको ऐसी संस्थाओं में रखा गया है। यू0 पी0 ऐग्रो का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से सीनियर

[कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह]

पोस्ट्स में नौकरी दी गई है। पहला उदाहरण तो यह है कि जो इस विभाग में पैसे की देखरेख करता है--चीफ एकाउन्ट्स आफीसर--वह एक सेमी गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन, पन्तनगर से गबन के चार्ज में निकाला गया व्यक्ति है। उनके खिलाफ यह साबित भी हो गया कि इन्होंने पैसा गबन किया था। वे वहां से निकाल दिये गये और यहां पर चीफ एकाउन्ट्स आफीसर बना दिये गये हैं। एक डिप्टी जनरल मैनेजर, फर्टिलाइजर हैं जो कि कृषि विभाग से आये हैं और इनके खिलाफ विजिलेन्स की कार्यवाही चल रही है। कृषि विभाग से रिटायर होकर वे ऐग्रो में फर्टिलाइजर के मैनेजर बना दिये गये। एक और जोशी जी आये हैं, वह भी रिटायर्ड हैं।

एक सदस्य--

नाम क्या है ?

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह--

नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, कोई चतुर्वेदी हैं। एक एडिशनल मैनेजर की नयी पोस्ट बनायी गयी और वहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक रिटायर्ड आफिसर आये हैं। इस प्रदेश के नौजवान और पढ़े लिखे लोग बेकार हैं तो इन पुराने और घिसे-पिटे लोगों को लेकर यू0 पी0 एग्रो कैसे चलेगा ? मेरी मांग है कि अगर सरकार इस प्रदेश के नौजवानों की कुछ मदद करना चाहती है तो उसको यह देखना पड़ेगा कि जो नौजवान और नये पढ़े-लिखे आदमी हैं पहले उनको प्राथमिकता मिले और तभी इस प्रदेश में यू0 पी0 एग्रो चलेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने Oishi के बारे में कुछ बात कही। कई माननीय सदस्य घर से खाना खाकर नहीं आते हैं, वे बाहर ही खाना खाते हैं। परन्तु साढ़े नौ बजे तक Oishi खुलता नहीं। तो ऐसे रेस्टरां से क्या फायदा जिसमें 8 आने की एक रोटी मिले और वह भी साढ़े 9 और 10 बजे खुले। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक श्रीमती जी यहां केयरटेकर बन कर आ गयीं। पता नहीं उसकी क्या जरूरत थी। शहर में जो पब्लिक के या जन रेस्टरां हैं, जैसे क्वालिटी इत्यादि में भी कोई केयरटेकर नहीं हैं, फिर Oishi में केयरटेकर की क्या जरूरत है ? लेकिन 400 रुपये तनख्वाह पर केयरटेकर मुकर्रर कर दिया गया। जो प्रदेश में एक धारणा बनी थी कि प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर पब्लिक सेक्टर में उद्योग जाने से फायदा होगा, वह आदमी भूल जायेगा। आप एक चीज और देखें। यू0 पी0 एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हड़ताल हुई और उनकी मांग थी कि हमारा बास टेक्निकल आदमी होना चाहिये, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में टेक्निकल आदमी को नहीं लिया गया है। जिनमें प्रशासन की कैपेबिलिटी हो उनको आप रखें। बेंचने का जो काम है उसके लिये बिजनेस से जानकारी रखने वाला आदमी होना चाहिये और उस काम के लिये वैसे ही आफिसर रखे जाने चाहिये। अगर आप 'यू0 पी0 ऐग्रो के कर्मचारियों' की तनख्वाह व टी0 ए0, डी0 ए0 को देखें तो मालूम होगा कि वहां सिर्फ लूट मची हुई है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर सही रूप से वे यू0 पी0 एग्रो को चलाना चाहते हैं तो वे वहां के टी0 ए0, डी0 ए0 के कायदे को ठीक से बनवावें, वितरण की पूरी जांच करायें। कोई भी संस्था जब बिजनेस करती है तो घर में उसका सामान नहीं बिकता या तो सामान इतना अच्छा हो कि उसकी बिक्री हो या सेल प्रमोशन कायदे का हो। हमारे यू0 पी0 एग्रो का टर्न ओवर लगभग 16 करोड़ रुपये का है। उसकी ऐडवर टाइजिंग दे रखी है एक नेशनल ऐडवरटाईजिंग सोसाइटी को। मैंने तो कभी उसका नाम सुना नहीं। अपने देश में अनेक प्रकार की अच्छी ऐडवरटाईजिंग फर्म्स हैं जो नामी हैं लेकिन इसको यू0 पी0 एग्रो 3 लाख रुपये सालाना ऐडवरटाईजिंग के लिये देता है। अगर यू0 पी0 एग्रो द्वारा इसी तरह का काम होता रहा तो जनता की आस्था पब्लिक सेक्टर से उठ जायेगी।

मैं एक गम्भीर गड़बड़ घोटाले का उदाहरण देता हूं। आपको जानकारी है, आप भी कृषक हैं और इस विधान सभा में अनेक कृषक होंगे। इस्कोर्ट ट्रैक्टर को कोई किसान खरीदना नहीं चाहता। लेकिन एक समझौता, यू0 पी0 एग्रो सेक्रेटरी और मैनेजिंग डाइरेक्टर ने कर लिया कि उसे यहां असेम्बल करेंगे। इस्कोर्ट ट्रैक्टर कहीं नहीं बिक रहा है, कोई उसे लेने को तैयार नहीं है और फरीदाबाद में जहां इसकी फैक्टरी है करोड़ों का माल पड़ा है और वे चाहते हैं कि किसी तरह से इसको बेंचें। तो मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं और आपसे कहता हूं कि जब किसान अपनी जेब से पैसा देता है तो वह अपने लिये इस्फोर्ट ट्रैक्टर नहीं चाहता है। इस समझौते की पूरी जांच अगर मंत्री महोदय करायेंगे तो यू0 पी0 एग्रो में जो अनियमिततायें हैं वे जाहिर हो जायंगी और सम्बन्धित अफसरों, सम्बन्धित कर्मचारियों की बेईमानियत खुल जाएंगी।

उस ट्रैक्टर के लिये यू0 पी0 एग्रो ने समझौता कर लिया था और सरकारी महकमों में इसको लिया जा रहा है। इसलिये भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं कि हम ऐसा सामान खरीदते हैं जो ठीक नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेस्ट होता है, (बुधनी टेस्ट) उसमें भी यह पास नहीं हुआ है। इन चीजों की अच्छी तरह से जांच की जाय। अगर जांच नहीं होती है तो बदनामी इस सरकार पर ही नहीं बल्कि यहां के लोगों पर आयेगी।

मान्यवर, मैं एक दो चीज और कहना चाहता हूं। यू0 पी0 एग्रो के बारे में इसने अपनी फैक्टरी प्रदेश में झांसी, रामगढ़, करीमगंज और बस्ती में लगाई हैं। लेकिन इन्होंने इसका कोई सर्वे नहीं कराया कि क्या चीज वहां मिलती है और कच्चा माल ठीक दाम पर मिल सकेगा या नहीं। अगर यह फैक्टरी देवरिया में लगती तो कटहल, अनन्नास, हल्दी और मिर्च वगैरा बहुतायत से और सस्ती मिलतीं। इससे वहां फैक्टरी को बहुत फायदा होता। जहां कच्चा माल ठीक दाम पर नहीं मिलेगा वहां फैक्टरी प्राफिट में चल नहीं सकती। पडरौना में अगर सर्वे कराया होता तो फायदा हुआ होता। लेकिन मुसीबत यह है कि यह सर्वे कराने की परवाह नहीं करती है। नैनीताल में इनके अधिकारियों के दौड़े होते हैं। यू0 पी0 एग्रो का फायदा खाली ट्रैक्टर और खाद बेंचने से है।

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 80 प्रतिशत यहां किसान हैं और वे कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिये कृषि विभाग का यह फर्ज है कि वह छोटे किसानों को अधिक से अधिक सुविधा दें। खाद का वितरण कोआपरेटिव में जा रहा है। क्या कृषि विभाग के लोग लेबोटरी में बैठकर सोइल टेस्टिंग का काम करेंगे? जिन चीजों की मैंने मांग की है उनकी जानकारी की जाये। बजट में जितनी मांग की गई हैं उससे अधिक मंत्री जी लें, लेकिन काम कायदे से चलाया जाय।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदानों पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय रामपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का इसलिये विरोध करता हूं क्योंकि कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिससे कि इस प्रदेश में बसने वाले 85 प्रतिशत किसानों के बेटों की तकदीर जुड़ी हुई है उसके महत्वपूर्ण बजट में जो व्यवस्था की गई है उसमें हमारे जिले के ग्रामीण अंचल और कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। खास तौर से उन बीहड़ और पिछड़े इलाकों की तरफ जहां हमारी हजारों एकड़ भूमि असिंचित पड़ी है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे अकेले इटावा जिले में ही 92 हजार एकड़ ऐसी बीहड़ धरती बेकार पड़ी है जिसे कृषि योग्य

[श्री भारत सिंह चौहान]

बनाया जा सकता है और उसे हरिजन और भूमिहीन परिवारों में बांट कर हजारों और लाखों टन गल्ला पैदा किया जा सकता है। जमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के किनारे 92 हजार एकड़ ऐसी बीहड़ जमीन पड़ी हुई है जिसे भूमि सुधार योजना के मातहत कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इटावा में हजारों एकड़ ऊसर जमीन भी ऐसी है जिसको ठीक किया जा सकता है। यद्यपि उसका सर्वेक्षण करके विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी तक वहां मेड़ या बांध बनाने का काम ही किया है जो बरसात में टूट जाती हैं और बह जाती हैं। इस भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा ही बीहड़ और ऊसर भूमि का भी सुधार करने की योजना बनाना चाहिये ताकि इन सभी कार्यों का एक साथ समन्वय हो सके। संविद सरकार के समय में यह दोनों योजनायें स्थापित हुई थीं लेकिन उसके बाद वह सरकार और विभाग की फाइलों में ही रह गई। कृषि के लिये उन योजनाओं को पूरा करना लाभदायक होगा, वह बहुत जरूरी हैं।

समय पर किसान को अच्छा बीज और खाद मिले इस मामले में भी कृषि विभाग में किस प्रकार का घुटाला है इसका अन्दाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बाजरे का बीज बांटा गया हाईब्रिड बाजरा कह कर उससे हजारों एकड़ जमीन की फसल बाजरे की बरबाद हो गई और अकेले इटावा जिले में ही 12 हजार एकड़ जमीन पर इस बाजरे की फसल बरबाद हुई है। हालत यह है कि बीज में मिलावट, खाद में मिलावट, खाद में ब्लैक चलता है, बीज जमता नहीं, कोई समन्वय नहीं कि किसान को समय से पानी मिले, सही दाम पर खाद मिले और बीज अच्छे किस्म का मिले। 48 रुपया बोरी का यूरिया औरैया में खुले आम 65 से 70 रुपये तक बिका है लेकिन हमारे कृषि विभाग ने कोई रोक नहीं लगाई।

पानी की बात देखें कि रबी की फसल के लिये पानी पहुंचाने के वास्ते 2 पानी का प्रबन्ध करने की दृष्टि से अभी तक नहरें डिजाइन की जाती रही हैं, लेकिन इधर उन्नतिशील बीजों और रासायनिक खादों के कारण गेहूं की फसल के लिये चार पांच पानी की जरूरत होगी है। इसलिये कृषि मंत्रालय को सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स से कहना चाहिये कि नहरों का डिजाइन इस तरह से किया जाय कि वे 4–5 पानी गेहूं की फसल के वक्त किसानों को उपलब्ध करा सकें और जो पुरानी नहरें हैं उनका भी इसी प्रकार पुनरुद्धार करें। यह नहरों का डिजाइन कुल कृषि योग्य भूमि के केवल 40 प्रतिशत के लिये ही अभी तक होता था लेकिन आज किसान अपनी सारी भूमि के लिये पानी चाहता है इसलिये शतप्रतिशत कृषि भूमि को पानी देने की योजना आपकी सिंचाई की नहरों की होना चाहिये। हमारे इटावे का इलाका भी नदियों का इलाका है जहां जमुना, सेंगर, चम्बल और क्वारी नदियां बहती हैं उस बीहड़ इलाके के लिये नलकूपों का प्रबन्ध किया जा सकता है। बुन्देलखंड के लिये सरकार ने प्रति ढाई सौ एकड़ भूमि पर नलकूप लगाने का आदेश दिया है लेकिन इटावे का यह क्षेत्र जो बहुत माने में बुन्देलखंड से भी अधिक पिछड़ा क्षेत्र है उसके लिये भी मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सिंचाई मंत्री को भी कहें वह वहां भी ढाई सौ एकड़ जमीन पर ही नलकूपों की स्वीकृति दें। और व्यापक पैमाने पर क्वारी और चम्बल के बीच सेंगुर नदी और यमुना नदी के दोनों किनारों पर आप राजकीय नलकूपों को लगाइये जिससे यह सूखा इलाका अन्न पैदा करने के काबिल होगा और इटावा का जिला भी खुशहाल होगा। 1967 में जो सिंचाई का रेट था, उसे दो बार बढ़ा कर सवाया कर दिया गया। नहरों का 1967–68 में जो सिंचाई रेट था वह 58 फीसदी अब बढ़ गया है। खाद का दाम 43 प्रतिशत और ट्रैक्टर का 87 प्रतिशत दाम बढ़ गया है। इसी प्रकार से बिजली का दाम बढ़ गया, ट्यूबवेलों के पानी का रेट बढ़ गया। अगर आप सोचें आज कल किसानों को 4 पानी अपने गेहूं की फसल में देने होते हैं, ट्यूबवेल के पानी के दाम लगभग 70–80 रुपये के बीच में आते हैं जब कि नहर के पानी के दाम 17–18 रुपये के करीब आम किसान को देने पड़ते हैं। 1967 के अगर आप आंकड़े देखें तो पायेंगे कि सरकार ने गेहूं के दाम 85 रुपये सरकारी खरीद के तय किए थे। जब उस समय 85 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था तब से आज तक सिंचाई का रेट, बिजली का रेट, ट्रैक्टर के रेट

और खाद के दाम और जमीन में गेहूं पैदा करने के लिए किसानों को जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, उनके दाम बढ़ गये हैं लेकिन फिर भी आपने उसके गेहूं के दाम 76 रुपये तय किया है। आज किसानों के गल्ले की खुली लूट हो रही है और यही वजह है कि किसान अपना गल्ला सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है।

सन् 1937 में जब हमारे सूबे में सर विलियम स्टैम्पस सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर थे तब इस प्रदेश में राजकीय कुओं का निर्माण हुआ था। उस वक्त भी सरकार का निर्णय था कि जो नलकूप लगाये जा रहे हैं वे ऐसी अनउपजाऊ जमीन में लगाये जा रहे हैं जहां पर किसान ट्यूबवेल से सिंचाई के दाम अदा नहीं कर पायेंगे। इसलिए उन किसानों से तब तक दाम न लिए जायं जब तक उनकी जमीन डेवलप न हो जाय और वे इनमें खेती करने के काबिल न हो जायं। आज नहरों के पानी के रेट और ट्यूबवेल के पानी के रेट में बहुत बड़ा अन्तर है। उस अन्तर को दूर किया जाना चाहिये और एक फ्लेट रेट होना चाहिए। सिंचाई विभाग का कृषि से बहुत सम्बन्ध है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे भी इस ओर ध्यान दें। आज हमारे प्रदेश में 85 प्रतिशत जनता कृषि पर मुनहसर है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपने कृषि मंत्री से कि इस विभाग में किसानों के कितने बेटे काम करते हैं। जैसा कि अभी माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय सी0 पी0 एन0 सिंह साहब ने फरमाया कि आज कृषि विभाग में चाहे वह निदेशक के पद पर हो या एग्रो में किसी पद पर बैठे हों, वे किसानों के बच्चे नहीं हैं और यही वजह है कि उनके दिल और दिमाग में कोई हमदर्दी किसानों के लिए नहीं है और सब लोग लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हमारे कृषि विभाग के निदेशक ने भूमि संरक्षण विभाग के ट्रैक्टर को अपनी भूमि में चलवाया और जब सरकार ने उनसे पूछा तो यह कहा गया कि यह ट्रैक्टर उनके यहां नहीं चला। लेकिन जब सतर्कता विभाग को मामला चला गया तो उन्होंने 40 हजार रुपये का काम लेने के बाद 5,000 रुपया जमा कर दिया।

मान्यवर, ट्रैक्टरों के खरीदने की योजना बनायी गयी है। एग्रो में हमारे कृषि निदेशक एग्रो के श्री जोशी, श्री गोयल और श्री श्रीवास्तव, इन चारों ने अपना एक क्लीक बना रखा है। सैकड़ों किसानों से रुपया जमा करा लिया गया 31 मार्च के पूर्व, लेकिन उनको ट्रैक्टर न देकर वापस कर दिया। उनको निराश कर दिया और आज उन पर टैक्स और लगा दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये अधिकारी अत्यन्त भ्रष्ट अधिकारी हैं। जोशी जी की सारी जिन्दगी सचिवालय में बीती और उन्हें किसी भी जिले का प्रशासन संभालने योग्य सरकार ने नहीं समझा। आज वही जोशी तीन साल के लिये एग्रो में किसानों के बेटों की छाती पर सवार हैं और दूसरे हैं गोयल साहब। जब ये पुलिस अधीक्षक थे, तो अपनी पत्नी के र्डर के मामले में फंस गये। तब इन्हें बिड़ला के यहां नौकरी मिली। जब बिड़ला के यहां ो इन्हें निकाल दिया गया, तो एग्रो में नौकरी कर ली।

श्री ष्ठाता——

सी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आक्षेप न करें। उनके सरकारी जीवन की चर्चा क हैं।

श्री भान्तसिंह चौहान——

जिस कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं, वह ऐसी कुर्सी है कि जिसका सीधा सम्बन्ध किसान के बेटे से

[श्री भारत सिंह चौहान]

फलों के मामले में, इस एग्रो को कितना घाटा हुआ, मान्यवर इस पर गौर करें तो ज्ञात होगा कि 67–68 से 72–73 तक लगातार एक लाख से लगातार बढ़ता हुआ घाटा फलों के काम में आता रहा है और आज यह घाटा एक लाख से बढ़ कर 7 लाख पहुंच गया है। वहां पर एक एकाउन्टेंट हैं। मान्यवर, एक विधायक ने बताया कि इन चार लोगों का एग्रो में एक क्लीक है और ये लोग किसान के बेटों की लूट बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि विभाग में एक दूसरी यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, उसी तरह से सरकार हर डिवीजन में यूनिवर्सिटी खोले। मैं कहना चाहता हूं कि हर डिवीजन में कृषि विश्वविद्यालय खोले जायं और वहां पर 80% स्थान किसान के बेटों के लिये आरक्षित किये जायें। कृषि विभाग की नौकरियों में भी 80% स्थान किसान के बेटों के लिये आरक्षित किये जायें। हमें मालूम हुआ है कि सूबे में जो कानपुर में कृषि महाविद्यालय है, उसे सचिवालय में बैठे हुये कुछ अधिकारी, समाप्त करना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर के कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाय और कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में मण्डल के स्तर पर खोले जायं।

मान्यवर, 117 करोड़ की एक योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीहड़ जमीन के सुधार के लिये प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करें ताकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मिले हुए इटावा, आगरा, मैनपुरी मथुरा जिलों के बीहड़ को समतल किया जा सके और वहां किसान के बेटों को काम मिल सके।

मान्यवर, जिस तरह से कृषि विभाग और सिंचाई विभाग का संबंध है, उसी तरह से कृषि विभाग और बिजली विभाग का भी संबंध है और जैसा कि माननीय रामपाल सिंह जी ने कहा कि न केवल कृषि विभाग और सिंचाई विभाग को मिला दिया जाय या इन दोनों का एक मंत्रालय बना दिया जाय, बल्कि कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और सामुदायिक विकास विभाग, इन चारों को मिला कर एक मंत्रालय बना दिया जाय, मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। ऐसा मंत्रालय बनाना चाहिये।

आज टयूबवेल के मामले को देखें, कि किस तरह से बेईमानी और पक्षपात हो रहा है इसमें जहां विरोधी दल के विधायक हैं, वहां टयूबवेल को बिजली सप्लाई केवल छः घंटे होती है और जहां हुकूमत करने वाले मिनिस्टर लोग हैं, उनके इलाके में बिजली 17 और 24 घंटे देने की व्यवस्था है। हमारे औरैया शहर को जो कि ए-क्लास म्यूनिसिपल बोर्ड है, उसको रात के 8 बजे से सबेरे 6 बजे तक बिजली दी जाती है, और भर्थना और पुखरायां में जो कि छोटे कस्बे हैं, 18 और 20 घंटे बिजली दी जा रही है।

मैं बिजली मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह किसान के बेटों के खेतों पर जायं और देखें कि वह दिन भर बिजली के इन्तजार में तड़फते रहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को समाप्त करें और जो भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर कृषि विभाग में फैला हुआ है उसको सुधारने के लिये कृषि मन्त्री जी प्रयास करें। अगर कृषि मन्त्रीजी इन भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेंगे और दंडित नहीं करेंगे और उस पुरानी परम्परा को नहीं छोड़ेंगे तो इस प्रदेश के किसान के बेटे कृषि मन्त्रीजी को भी संदेह की दृष्टि से देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में मन्त्रीजी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके समर्थन में

खड़ा हुआ हूं। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। हमारे एक साथी ने कृषि मन्त्रीजी से कह दिया कि मूसा मारने के लिये। यह बड़े दुख की बात है। हमारे मन्त्रीजी तो शेर पकड़ते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)——

मुल्लाजी का तो शेर नहीं पकड़ते।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल——

वह तो आप पकड़ते हैं।

श्री अधिष्ठाता——

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल——

माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत बेकारी बढ़ गई है, किसान आज परेशान हैं। यह सही है कि आज उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिये लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि आज किसान ने अपनी मेहनत और परिश्रम से, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह खुशहाल है। मेरे लड़कपन की बात है मेरे गांव में करीब 100 घर थे लोगों को दोनों वक्त ठीक से खाना नहीं मिलता था, आज उन्होंने लगभग 15% अपने मकानों को दुतल्ला और तीन तल्ला तक बनवा लिया है। यह भी मानना पड़ेगा कि किसानों को उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है जैसी कि मिलनी चाहिये। अगर किसान को अच्छी खाद, अच्छा बीज और पानी के साधन हो जायं तो किसान अपने परिश्रम से अधिक गल्ला पैदा कर सकता है। मान्यवर, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ठीक से देख-रेख नहीं करते हैं। मैं बीसों जगह देख चुका हूं कि नहर के किनारे बरसात की तरह तालाब भरे हुए हैं लेकिन कर्मचारी लोग कोई ध्यान नहीं देते। ट्यूबवेल का मामला है तो उनकी भी नालियां खराब हो गयी हैं और पानी-इधर उधर बहता रहता है जिसका पूरा पैसा किसान से ले लिया जाता है।

एक सदस्य——

आप किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल——

मैं सिंचाई पर बोल रहा हूं। सिंचाई भी कृषि से सम्बन्धित है। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बैल और ट्रैक्टर किसानों को मिल सकें। ट्रैक्टर की कीमत बहुत अधिक है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर की कीमत कम कर दी जाय और किसानों को चाहे छोटे ही ट्रैक्टर दिये जायं लेकिन सस्ते दिये जायं जिससे कि वह अपनी पैदावार बढ़ा सकें। आज किसान खेती में पैदावार बढ़ाने के लिये तैयार है लेकिन सिंचाई और बिजली का साधन नहीं है। इसलिये सरकार हर तरह से किसानों को सहायता दे जिससे कि वे ज्यादा गल्ला पैदा कर सकें। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामवचन (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)---

अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उसकी अनुमति से मुझे बोलने का अवसर मिला और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी। मान्यवर, चौधरी रामपाल सिंह के कटौती के प्रस्ताव से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए उसी विषय पर बोलूंगा जब चौधरी साहब ने हमारे नौजवान मंत्री श्यामसूरत उपाध्याय पर एक आरोप लगाया तो उधर के सारे लोग तिलमिला उठे। मैं भी जानता हूं कि हमारे नौजवान मन्त्री को ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामवचन---

मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। आप विषयान्तर कहकर अड़ंगा डालते रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपको मेरे निर्देश का पालन करना होगा।

श्री रामवचन---

हम जो कह रहे हैं उसे सुनिये। विषयान्तर नहीं है। उनकी पार्टी के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि एग्रो में कितना भ्रष्टाचार है। दूसरे लोगों ने भी कहा कि भ्रष्टाचार है। बात सत्य है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह निश्चित रूप से है। जब मन्त्री जी बैठे हुए हैं, उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार होता है, तो किसी पर भी आरोप किया जाय, वह अधिकारियों पर नहीं जावेगा, उसके लिये मन्त्रीगण जो बैठे हुए हैं, दोषी हैं। अगर यह व्यवस्था ठीक से नहीं कर सकते हैं तो दोष इनका होना चाहिये, अधिकारियों पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिये। इन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोशन क्यों दिया जाता है, उनकी बैड इन्ट्री क्यों खतम कर दी जाती है। मैं तो इस सदन में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि मंत्रियों के यहां थैलियां नहीं जाती हैं तो उनके चमचों के यहां जरूर जाती हैं और जो रामपाल सिंह जी ने कहा है वह सही है। अगर इस प्रकार के बराबर आरोप लगाये जायेंगे तो किस पर विश्वास किया जावेगा। जिन पर आरोप लगे उन पर कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसा न होने से भ्रष्टाचार पनपता है। इन्दिराजी ने अपने बेटे के लिये मारुति कार.....

श्री अधिष्ठाता---

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामबचन---

यह भावना आज कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों में बढ़ गई है कि अब तो पैसे का ही महत्व है इसलिये सारे लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मैं जानता हूं कि श्याम सूरत उपाध्याय जी अच्छे आदमी हैं और बंगला पहले बनाया था। इसलिये यह बात ठीक नहीं है लेकिन हमारे कृषि निदेशक महोदय का एक फार्म बाबूगढ़ फार्म के पास है और उस पर जो बीज पैदा होता है वह सारे का सारा कृषि विभाग खरीद लेता है और किसानों में वितरित करता है और 14 प्रतिशत अधिक पर लिया जाता है। आपके ऊपर भी, जब आप मन्त्री थे, यही चार्ज लगा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अधिष्ठाता—

यह आप गलत कह रहे हैं। आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामबचन—

आपने अपने यहां आलू पैदा कर कृषि विभाग को दिया था और सारे का सारा आलू का बीज थर्ड क्लास निकला। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि आदेश निकाला जाय कि किसी भी आदमी का बीज जो शासन से सम्बद्ध है नहीं लिया जावेगा। यह आदेश होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह सरकार भ्रष्ट है। मैं श्याम सूरत जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने खड़े होकर रामपाल सिंह को उत्तर दिया और उनकी बोलती बंद हो गयी वह ईमानदार थे इसीलिये इतना कह सके। उनको कोई रोक नहीं सकता है। यह बात थी। मैं विषयान्तर हो रहा था, आप भी नाराज हो रहे थे।

अब थोड़ा सा मैं एक दम बुनियाद पर चलूंगा। कृषि में कितनी भूमि ली गयी है इस संबंध में आंकड़े को देखें मंत्रीजी, उनको तो मुझसे अधिक आंकड़े का ज्ञान है। कृषक यहां पर हैं 1,59,11,000 और कृषि में जो श्रमिक काम करते हैं वे 54,97,000 हैं और इनके अतिरिक्त जो बढ़ई, लोहार आदि कृषि पर निर्भर हैं उनकी संख्या 70,09,000 के करीब है। इन्हीं में वह भी जोड़ लीजिये जो सेना कृषि विभाग ने कर्मचारियों की खड़ी कर दी, वह है 52,343—आपके अधिकारी और कर्मचारी, जिनमें कुछ गजटेड हैं, कुछ नान-गजटेड, कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी। इस तरह से आप जितना कहे हैं उससे भी बड़ी संख्या आपके पास है और 34 करोड़ का जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं यह तो केवल अगर बांट दिया जाय तो उनके भत्ते टी० ए० और वेतन भर के लायक ही होगा। आप हिसाब लगाकर देख लें इनके वेतन भत्ते बिल्डिंग आदि पर जो खर्चा होता है उसके बाद आपके पास कितना बचता है जो प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। इसको कृपया अवश्य बतायेंगे। मैं तो समझता हूं कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं बिलकुल निल, सारा का सारा रुपया कर्मचारियों में बांट रहे हैं। यही नहीं कि बांट रहे हैं, मुझे तो यह भी जानने में आया है कि आप कुछ नये ग्राम सेवक नियुक्त करने जा रहे हैं अपने विभाग में। मैं प्रशंसा करूंगा कि करें, होना चाहिये, लेकिन अपने बजट को देखें। 900 ग्राम सेवक नियुक्त किये जा रहे हैं। वह बेकार हो गये, अब ये ग्राम-सेवक जब आयेंगे तो काम होगा—यह करने जा रहे हैं। ठीक है, करें। मगर एक बात है क्या इनसे गांव-गांव में अपने संदेश को भेज सकेंगे? सामुदायिक विकास या किसी के हों—आपके ही विभाग में वह आते हैं। आपको सोचना चाहिये कि एक नया कैडर खड़ा करने से, नयी सेना खड़ी करने से प्रदेश को क्या लाभ होगा? जहां छोटे किसानों की बात आयी है, मैं बता देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे किसान और मजदूर—उनको वास्तव में मजदूरी क्या देते हैं यूनियन जहां बनी है चाहे वह इंजीनियर हों 1200 से 2200 रुपया पाने वाले उनकी यूनियन बलपूर्वक जो चाहती है वह करा लेती है, मगर गांव में काम करने वाले आध सेर पर व्यतीत करने वाले, 4–4, 8–8, आने पाने वाले लोगों के बारे में भी आपने कभी सोचा है जो समाजवाद का दावा करते हैं। छोटे किसानों को बीज की निःशुल्क सहायता की बात थी और सीड–स्टोर्स के बारे में सारे विभाग के अधिकारी और जनता जानते है कि आज होता क्या है। आप गल्ला भेजते हैं, वह 4–6–8 गांवों को सूचना दे देते हैं और हजारों आदमी एकत्र हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक दिन में गल्ला दे दिया जाता है और बकीया सारे का सारा वह बेंच देते हैं। पिछले वर्ष भी यही हंगामा मचा था, लोगों ने

(इस समय 4 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री रामवचन]

सुझाव भी दिये मगर आपने कुछ ख्याल नहीं किया। आप छोटे लोगों को गल्ला देना चाहते हैं, वैसे मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप उनको काम दीजिये, मगर आप देते हैं तो उसके सही वितरण की समुचित व्यवस्था करिये। उन लोगों को कभी बीज नहीं मिल पाता है। और मिलता कब है? जब बो लेते हैं उसके बाद। अच्छा हो कि हर गांव में जितनी लिस्ट हो जाय उतने बोरे आप भिजवा दें। आप के पास अगर अधिकारियों की कमी है, आपके सेक्रेटरी और ग्राम सेवक भी सहयोग नहीं देते हैं, तो प्रधानों पर विश्वास करके उनके द्वारा बंटवाइये। वह गांव के चुने हुए आदमी हैं, निश्चित रूप से ठीक से बांट देंगे। लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की और खाने-पीने का रास्ता आपने खोल रखा है। यह दोष आपका है न कि इन अधिकारियों का।

खाद की तरफ अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि खाद की जो बोरी 47 रुपये में मिल रही थी आज वह 75 रुपये के हिसाब से किसान खरीद रहा है। माननीय मंत्री जी और श्यामसूरत जी के यहां खेती होती है। क्या मंत्रिमंडल में बैठने के नाते वह भूल जाते हैं कि वह ब्लैक पर बिक रही है! अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपने कौन सी व्यवस्था की? लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये मंत्रि मंडल का दोष है, दूसरे लोगों को दोष देना मैं समझता हूं भूल होगी।

भूमि संरक्षण जहां उपयोगी है वहीं अगर आप ख्याल करके देखें तो एक वर्ष पहले जहां काम हुआ था वह आज सब समाप्त हो गया। उससे कोई लाभ नहीं हो पाया किसानों के खेतों को नाप कर मेड़बन्दी का काम कराते तो कुछ काम होता। आप किसानों के छोटे-छोटे टुकड़ों को मेड़बन्दी कराकर खत्म कर रहे हैं यह अच्छा नहीं है। जहां मेड़बन्दी कराइये वहां उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था रखिये। आपकी जो भी स्कीम बनती है वह प्रदेश को बरबाद करने वाली स्कीम होती है।

मान्यवर, जिलों में भू-संरक्षण अधिकारी रखे गये हैं। जिनको सरकार चाहती है उन भू-संरक्षण अधिकारियों को जिला कृषि अधिकारी बनाकर जहां जिस जगह चाहती है उनको तैनात कर देती है। इस सम्बन्ध में कोई नियम आज तक नहीं बने हैं। मन माने ढंग से कार्य होता रहता है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब नियम आदि बनाये और उसके अनुसार उनकी नियुक्ति तथा तैनाती आदि हुआ करे। आपकी योजनायें कितनी गलत हैं उसके बारे में मैं इस भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1969-70 से एक उदाहरण पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें पृ० 47 पर लिखा है—"पानी की समस्या हल करने के लिये राज्य सरकार ने जुलाई, 1967 में भारत सरकार से प्रार्थना की कि उसे "भूमिहीन कृषक परिवारों को पुनर्वास" योजना के अन्तर्गत बैल और औजार खरीदने के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों से छोटे नलकूप बनाने की अनुमति दी जाय। तथापि भारत सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत न हुई। (अगस्त, 1967)। राज्य सरकार ने अन्ततः मार्च, 1968 में स्कीम शुरू होने के तीन वर्ष बाद और पूरी तरह किसी भी ऊसर भूमि का सुधार किये बिना 2174 लाख रुपये खर्च करने के बाद, स्कीम छोड़ दी। विभाग ने बताया है कि (सितम्बर, 1970) स्कीम पहले इसलिये नहीं छोड़ी गयी थी क्योंकि इस बात की संभावना थी कि पुनर्वास योजना की निधियों में से ऊसर क्षेत्रों में छोटे नलकूप लगा दिये जायेंगे।" अब मान्यवर, जो इतने रुपये का यह दुरुपयोग हुआ है यह गरीब जनता के पैसे का ही तो हुआ और इनकी गलत योजनाओं के कारण हुआ।

मान्यवर, मैं कृषि समिति में था और एक बार माननीय मन्त्री जी के साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी गया था। वहां पर वहां के प्रिंसिपल महोदय ने मन्त्री जी के सामने यह स्वीकार किया था कि एक क्वीन्टल गेहूं पर खर्च 120 रुपये आता है। जब यह खर्च 120 रुपये की

क्वींटल आता है तो आप किस आधार पर 74 रुपये क्वींटल के हिसाब से गेहूं की खरीद कर रहे हैं। आखिर यह गल्ला कहां जायगा ? जो अधिक वेतन पाने वाले हैं, 1,200-1,500 तक पाने वाले हैं उन्हीं के यहां जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामलखन---

जब सरकार ने प्राइस फिक्स नहीं की थी, तब क्या भाव बिक रहा था।

श्री रामबचन---

मैं आज की बात कर रहा हूं। यह गेहूं खरीद कर आप किसे देंगे ? गेहूं देंगे बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले को, जो बड़े-बड़े महाजन हैं उनको देंगे। लेकिन आप उन गरीबों को कुछ नहीं देंगे, जिनके खून-पसीने से सना हुआ गेहूं आप लेना चाहते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, इस पर आपको ध्यान से सोचना चाहिये। 120 रुपये से कम भाव पर गेहूं लेकर आप शायद उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप गरीब किसान को उचित कीमत देते तो उसका जीवन स्वस्थ्य होता, उसका जीवन स्तर ऊपर उठता और वह गरीबी की चक्की में पिसने से बच जाता। लेकिन आप तो अमीर आदमी की मदद करना चाहते हैं और समाजवाद का केवल ढोंग रचते हैं।

माननीय, मैं एक चीज और एग्रो के बारे में कह दूं। हमारे यहां डिब्सं क्षेत्र के एक बाबूसिंह हैं, उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने के लिये 3 अप्रल को 30 हजार रुपया जमा किया था। उनके यहां कई बार पत्र गया कि ले जाइये, किन्तु उनको मिला नहीं, उनको बार-बार दौड़ाया जा रहा है। आप निश्चित व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जब एक दम ये कारखाने में आ जाएं, तो किसान को लिख दें, वह आकर रुपया जमा कर दे और ले जाए। वह इस रुपये पर 10-10 परसेंट का ब्याज दे रहा है। यह जो परिस्थिति प्रदेश में व्याप्त है, यह किसान और गरीबों के नाते नहीं, यह सब मंत्रिमंडल के नाते है। हमारे विधायक केवल फंसे हुए हैं अपने पार्टियों के अनुशासन में, अनुशासन न होता तो विधायक गण खुलकर अपनी राय सब बातों पर दे सकते थे और उससे प्रदेश का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन पार्टियों के अनुशासन में रह कर हम अपनी बात नहीं कह पाते, इसलिये सारा दोष है। बहुमत के बल पर आप इस ग्रान्ट को पास करा लेंगे, लेकिन यह गरीब जनता क हित में नहीं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

माननीय, कटौती का प्रस्ताव एक ऐसे हमारे माननीय सदस्य ने पेश किया, जिनसे मैं उम्मीद करता था कि समाजवादी दल के होने के नाते कोई बहुमूल्य सुझाव इस प्रदेश के गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में देंगे, लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि हमने कई वर्षों की डिबेट एग्रीकल्चर ग्रान्ट पर सुनी, लेकिन कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार का कभी पेश नहीं हुआ था, जितने निचले स्तर का इस बार कटौती का प्रस्ताव एग्रीकल्चर पर पेश हुआ है। कोई सुझाव गरीबों के लिये न आकर मजदूरों के कल्याण के लिये न आकर व्यक्तिगत आक्षेप उसमें किये गये। उसमें यह कहा गया कि कृषि निदेशक पर विजीलेंश का मामला चल रहा है, जो बिलकुल निराधार है। बिना जानकारी के किसी उच्चाधिकारी के ऊपर लांछन लगाना कहां तक उचित है, यह माननीय सदस्य को समझना चाहिये। यह सबकी समझ में नहीं आ सकता है।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय—]

यह भी कहना कि किसी अधिकारी के पास या कि ी माननीय सदस्य के पास या किसी माननीय मन्त्री के पास फार्म है उचित नहीं है। कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि पदाधिकारियों के पास जमीन न हो। यदि किसी उच्चाधिकारी ने उसे नाजायज ढंग से इस्तेमाल किया है, उसका नाजायज ढंग से अर्जन किया है तो बात विचारणीय है। लेकिन निदेशक का उनका निजी फार्म है, उनकी पुरानी जायदाद है, इसलिये कृषि निदेशक दोषी हैं यह हमारी समझ में कभी नहीं आया। यह कहना कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के बी0एस-सी0 (एजी0) हैं और पदोन्नति होगी गलत है। यह बड़े गर्व की बात है क्योंकि पदोन्नति उसकी होती है जिसके अन्दर काबिलियत होती है और जो प्रदेश के विकास में योगदान देता है। माननीय सदस्य ने कहा कि वह दिल्ली जा रहे हैं। देश के अन्दर कितनी स्टेट्स हैं। हर स्टेट में कृषि निदेशक हैं लेकिन आपके प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि आपके प्रदेश के डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को भारत सरकार इस लिये चुन रही है कि भारत सरकार में बैठकर कृषि निदेशक अच्छा काम करेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने अच्छा काम किया है। इस तरह से रिमार्क्स सदन में लाये गये, ये उचित रिमार्क्स नहीं थे। किसानों के हित में कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहिये था।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, रामवचन जी ने कहा कि भ्रष्टाचार कृषि गोदामों में है, और खाद ब्लैक में बिक रही है। यह सही है कि कहीं-कहीं से भ्रष्टाचार की शिकायतें जरूर आयी हैं। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये पिछले वर्ष सरकार ने 607 सीड स्टोर इंचार्जों का तबादला किया जो एक ही जगह पर 10–10, 12–12 वर्ष से काम कर रहे थे। सख्ती से इस कानून का पालन करवाया गया। इस प्रदेश में पहली बार सीड स्टोर इंचार्ज जो तीन वर्ष तक एक स्थान पर या छः वर्ष तक किसी एक जिले में, और 12 वर्ष तक एक कृषि मंडल में रहा हो उसका स्थान्तरण किया जाय। इसका सख्ती से पालन किया गया। इसमें माननीय सदस्य चाहे सरकारी पक्ष के हों या विपक्ष के सभी ने सहयोग दिया जिसके लिये हम आप सबके आभारी हैं।

जहां तक खाद के वितरण का प्रश्न है इस वर्ष जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बजट भाषण में कहा खाद की कमी हमार प्रदश में अवश्य थी लेकिन उसके बावजूद भी.....

श्री हिम्मत सिंह—

बफर स्टाक खाद का रखेंगे या नहीं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

पिछले वर्ष यूरिया खाद 1 लाख 10 हजार 362 मीट्रिक टन उठी। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 82 हजार 92 मीट्रिक टन यूरिया उठी। यह बात जरूर है कि खाद की कमी होने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष 141 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई, इस साल 118 प्रतिशत ही पूर्ति कर सके उसके अनुपात में, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस वर्ष खाद हमने ज्यादा बांटी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

असेम्बली क्वेश्चन के जवाब में बताया गया था कि इस वर्ष 1 लाख 40 हजार हेक्टर बोवाई का एरिया बढ़ गया।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

खाद पिछले साल की तुलना में, नाइट्रोजन, पोटाश और फासफोरस ज्यादा बटी है। जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का सवाल है, फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर की तहत में इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 569 नमूने फर्टिलाइजर निरीक्षक द्वारा लिये गये, 428 नमूनों का परीक्षण करवाया गया।

106 केसेज इसमें सब स्टैन्डर्ड पाये गये। उसमें 74 उर्वरक बेचने वालों का लाइसेन्स रद्द किया गया, 20 को निलम्बित किया गया और 12 केसेज को पुलिस में दिया गया और इस तरह से जो ब्लैक मार्केट कर रहे थे अथवा उर्वरक में नमक मिलाकर बेंच रहे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही प्रदेशीय सरकार ने किसानों के हित में की और फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर में सबसे बड़ा प्राविधान यह किया गया कि पहले केसेज जो पकड़े जाते थे तो अधिक समय लगता था सजा दिलाने में, अब उनके लिये समरी ट्रायल का प्राविधान किया गया है ताकि उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाय।

एक सदस्य––

जौनपर के एक विकास खंड में एक लाख रुपये का गबन हुआ, जो एग्रीकल्चर आफिसर श्री गौतम थे वह तो लखनऊ में घूम रहे हैं और एक छोटे कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया। अच्छा हो बड़े अफसरों को निलम्बित किया जाय।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जहां तक पैदावार का सवाल है सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है कि इस विभाग ने कृषि विकास में बहुत बड़ा काम किया है। हम अंडर डेवलप्ड इकोनामी में चल रहे हैं, हमारी पूर्ण विकसित इकोनामी नहीं है। हम इस अंडर डेवलप्ड इकोनामी में विकास की ओर जा रहे हैं या नहीं यह हमको देखना चाहिये। अगर प्रगति की ओर नहीं जाते होते तब आप कह सकते थे कि कृषि विभाग कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन जब अंडर डेवलप्ड इकोनामी को हम डेवलप्ड बनाना चाहते हैं तो बहुत सी अड़चनें भी सामने आती हैं। कुछ मित्रों ने कहा कि पैदावार में कोई वृद्धि नहीं हुई लेकिन इसमें बड़ा क्रांतिकारी काम किया गया है और इस विभाग ने पैदावार बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। जहां तक चावल की उपज का सम्बन्ध है 70–71 में 36 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ, 71–72 में वह उत्पादन 37.8 लाख मीटरिक टन हो गया और 72–73 में जबकि सूखा प्रदेश में पड़ा था, हमने आपात्कालीन स्थिति का मुकाबला किया और चावल की पैदावार 32.5 लाख मीटरिक टन हुई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

आपने खाद तथा बीज का तो इन्तजाम किया, लेकिन सूखे में पानी का भी इन्तजाम किया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

इसी तरह ज्वार में पिछले वर्ष 2.3 लाख मीटरिक टन उत्पादन हुआ और इस साल 4.2 लाख मीटरिक टन हुआ। बाजरे का पिछले साल 5.3 लाख मीटरिक टन उत्पादन हुआ और इस साल 6.9 लाख मीटरिक टन वह उत्पादन हुआ। गहूं का उत्पादन 70–71 में कम हुआ था लेकिन 71–72 में गेहूं का उत्पादन 75.5 लाख मीटरिक टन हुआ और इस साल जबकि बिजली की कटौती की गयी, सूखा पड़ गया, खाद की कमी थी तब भी 78.2 लाख मीटरिक टन गेहूं के उत्पादन होने का अनुमान है। इस तरह से कृषि विभाग ने अपनी योजनाओं के द्वारा कृषि के विकास में निरन्तर वृद्धि की है। पानी की व्यवस्था प्रदेश के अन्दर सरकार क्या कर रही है उसे भी बतला दूं। (व्यवधान)

73–74 में वृहद सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 3.4 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 72–73 में 2.6 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई। 73–74 में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 4.6 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था का प्राविधान सरकार ने किया है निजी नलकूपों के लिये 73–74 में जो प्राविधान किया है उसके अन्तर्गत 30 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई किसानों को उपलब्ध हो सकेगी किसानों को ऋण देकर संसाधन दे कर।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इसी तरह से सिंचाई के सम्बन्ध में भी हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को सिंचाई सम्बन्धी सभी सुविधायें प्रदान कराने के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि कलकत्ता में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि दलहन और तिलहन की फसल का वृहद् कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया जाय क्यों कि यहां पर इसका विकास हो सकता है और उसकी पैदावार बढ़ सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बनाया है। इसी सिलसिले में 25 जिलों में यह योजना बनाई गई है जिसमें कि नई विधियों और नये तरीकों का इस्तेमाल करके इसकी पैदावर बढ़ाई जाय। अन्दाज यह लगाया गया है कि दो लाख क्विंटल दलहन का उत्पादन यहां पर अधिक होगा। इसी तरह से तिलहन की पैदावार बढ़ाने के प्रयास भी हो रहे हैं जिससे प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।

एक बात माननीय सदस्यों ने कही कि हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों के लिये कोई बड़े प्रोग्राम सरकार ने नहीं बनाये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर सूखे की स्थिति होते हुए भी पिछड़ी जाति के लोगों, गरीबों और हरिजनों को, जो कि एक एकड़ से कम के काश्तकार थे, आधा बीज बुआई के लिये मुफ्त दिया गया औरजो आधाएकड़ से भी कम के काश्तकार थे उनको 20 किलो ग्राम बीज मुफ्त बांटा गया जिससे वे भी अपनी खेती-बाड़ी कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस साल यहां पर खाद की कमी रही तो शासन ने आदेश जारी किये कि जो सवा छः एकड़ से नीचे के काश्तकार हैं उनको तकावी पर प्राथमिकता दी जाय। अगर खाद लेने वाले लोग सवा छः एकड़ से कम वाले काश्तकार न हों तो उसी स्थिति में दूसरों को खाद दी जाय। इस प्रकार मैं प्रैक्टिस बन्द करने का प्रयास किया गया। जो लोग नकद रुपया देकर खाद ले लेते थे और गरीबों के लिये नहीं रह जाती थी उनके लिये भी यह नियम बना दिया गया है कि नकद भुगतान पर केवल 2 गट्ठे ही खाद दी जाय। इस प्रकार से यह कानून काश्तकारों, जो कि गरीब हैं, के हितों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है ताकि उनको खाद और बीज कायदे से मिल सके और उनकी पैदावार बढ़ सके।

फसल की सुरक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि पाइरीला रोग का प्रकोप देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में हुआ है। इस सिलसिले में आंकड़ों के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोग के निदान हेतु वार फुटिंग पर प्रयास किये गये। इस रोग को समाप्त करने के लिये प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग वहां पर काम कर रहा है और गन्ना विभाग भी काम कर रहा है। साथ ही 9 जहाजों की व्यवस्था भी वहां पर की गई है जो कि एरियल स्प्रेयिंग के द्वारा छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न जनपदों से 35 आफिसरों को देवरिया जनपद में रखा गया है और इसी तरह से 20/25 आफीसर गोरखपुर में लगा दिये गये हैं जो कि इस रोग को समाप्त करने के कार्य में प्रयास कर सकें। काफी सीमा तक इसका निवारण हो भी चुका है.....

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

यह सब कागज पर ही है। (व्यवधान)

श्री सैयद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)–

जिलों में किसी प्रकार के कोई आर्डर नहीं गये हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पायरीला की रोकथाम के लिये माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि कृषि विभाग से 9 जहाज वहां भेज दिये गये हैं और एरियल स्प्रेयिंग हो रही है।

तो मैं मन्त्री जी यह पूछना चाहता हूं कि यह कार्य एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से हो रहा है अथवा केन डिपार्टमेन्ट वाले इस कार्य को कर रहे हैं? और मन्त्री जी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट करा रहा है । उस दिन सदन में यह बात आयी थी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की ओर से तवज्जह नहीं दी जाती । मैंने इसी सदन में प्रश्न किया था और आज मन्त्री जी कह रहे ह कि जो कुछ कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ही कर रहा है । तो इसका स्पष्टीकरण करा दें कि गन्ना डिपार्टमेन्ट करा रहा है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट करा रहा है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट भी वहां काम करा रहा है और गन्ना विभाग भी काम करा रहा है । गन्ना विभाग एरियल स्प्रेयिंग करा रहा है और एग्रीकल्चर विभाग फूट स्प्रेइंग का काम करा रहा है । (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह गलत इत्तिला है, सही इत्तिला मंगा लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकारी अधिकारियों ने आपको भ्रम में रखा है और गलत इत्तिला दी है । गन्ना विभाग द्वारा एरियल स्प्रेइंग हुई है न कि एग्रीकल्चर विभाग द्वारा ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कृषि विभाग द्वारा देवरिया जिले के 18000 एकड़ में और गोरखपुर के 22000 एकड़ में छिड़काव कराया गया है ।

(व्यवधान)

इसके साथ-साथ जो और जनपदों से शिकायतें आयी हैं पायरिला रोग की, उसके लिये सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि जहां भी पायरिला रोग की शिकायत हो वहां के अधिकारी सतर्क रहें और वार फुटिंग मजर पर इसका निवारण करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब मन्त्री हस्तक्षेप करते हुए किसी बात को कहते हैं तो जो बातें की गयी हैं उनके बारे में वे अपना वक्तव्य देते हैं और यह अन्तिम जवाब नहीं होता । समय नहीं है इसलिये अपना भाषण समाप्त कर दीजिये क्योंकि और भी कार्य आज हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय— (व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लें तो शायद पूछने की जरूरत न पड़े । जिन जिलों से यह शिकायत आयी है वे हैं—बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, बरेली, बदायूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुलतानपुर, सहारनपुर, नैनीताल, आदि वहां पायरिला रोग लगने की शुरुआत है । तो इन जिलों में और पूरे प्रदेश के हर जिले के जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि कहीं से भी इस तरह की शिकायत आवें तो वार फुटिंग पर उसके निवारण के लिये सभी अधिकारी तैयार रहें ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

जौनपुर जिले में भी इसकी शिकायत है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

वहां के लिये भी आदेश हो चुका है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

सूचना देने का कोई अवसर नहीं है । आप मन्त्री जी को बाहर सूचना दे दीजियेगा । अब समय नहीं है, आगे चलना है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

हमारे ब्लाक के अन्दर कहीं भी कोई छिड़काव नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब बोलने का मौका मिलेगा तो इसको आप कह दीजियेगा ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पूरे प्रदेश में लिये जा रहे हैं कि अगर कहीं शिकायत हो पायरिला रोग की तो तत्काल उसका निवारण और निराकरण किया जा सके ।

मैं माननीय श्री रामपाल सिंह जी यादव से उम्मीद करता था कि वे समाजवादी दल के हैं और इसलिये गेहूं की खरीद का समर्थन करेंगे । अन्य प्रक्रियावादी दल हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं । लेकिन आप समाजवादी दल के हैं इसलिये मैं उम्मीद करता था कि हमने क्रांतिकारी कदम उठाया है उसका आप समर्थन जरूर करेंगे । डाक्टर लोहिया जो आपके नेता रहे हैं, वह स्वयं चाहते थे कि सरकार दाम नीति अखतियार करें । गल्ले का व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ।

श्री बांकेलाल---

हम गेहूं की खरीदारी का समर्थन करेंगे लेकिन उसके बदले में सरकार सीमेन्ट, लोहा तथा अन्य चीजें दे । (व्यवधान)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, इस स्कीम से छोटे किसानों, मजदूरों और छोटे कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल---

दाम बांधो नीति अगर सरकार अखतियार कर ले तो सभी चीजें सुलभ हो जायेंगी । गेहूं तो हमारे पायरिला ने खा डाला है ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोहिया के नेतृत्व में यह भी रहे हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि यह उनकी बात भूल गये ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपको वक्त मिले तो अपनी बात कहियेगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, यह भूल रहे हैं । मैं उनको याद दिला दूं

श्री उपाध्यक्ष—

याद दिलाने से काम नहीं चलेगा । उनको कहने दीजिये ।

श्री बांकेलाल—

दाम बांधो नीति यह मान लें तो सारा काम हो जायगा ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जो गेहूं का हमारे यहां कानून है जिससे हम गल्ला वसूल कर रहे हैं । इससे आम जनता का फायदा होगा । दो वर्गों को इससे आघात पहुंच सकता है। एक तो बड़ा व्यापारी जो आपकी जेब पर डकैती डाल कर अपनी तिजोरी भरता था । उसका नुक्सान जरूर है । दूसरा वह वर्ग है जो किसानों में बड़ा किसान था । वह अपने पास गल्ला रखे रहता था और जब उसके दाम 130, 140 रुपये होता था तब बेचता था । इन दोनों पर आघात हुआ है । ये लोग चिल्लायें तो ठीक है । इससे छोटे किसानों को, खेतिहर मजदूरों को, फैक्टरी के मजदूरों को और कर्मचारियों को फायदा है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल की सूचना के अनुसार एक लाख दो सौ चौंतीस टन गेहूं की उगाही हो चुकी है । यह प्रगति पर है । हम उम्मीद करते हैं जो लक्ष्य हमारा 18 लाख टन का है, वह पूरा होगा । समाजवादी दल जो काम करना चाहता था उसको माननीया इंदिरा गांधी कर रही हैं तो आपको हमारी मदद करनी चाहिये । आज 76 रुपये गेहूं का दाम है । आप उन का हित करना चाहते हैं जो बड़े किसान हैं । जनता का हित आप नहीं करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह—

आपने क्या आर० 303 जैसे गेहूं का भी वही भाव रखा है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कल अपना भाषण जारी रखेंगे । तब आप सवाल करें ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने नियम 51 की आज 6 सूचनायें दी हैं । एक है बदायूं जिले की बातागंज तहसील के ग्राम बीकापुर में आग लगने से क्षति । आग के बारे में एक वक्तव्य हो चुका है । वही नीति इस पर भी रहेगी । यह अस्वीकार हुआ है । दूसरा यह कानपुर में कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में है । यह विचाराधीन है, यह मामला विशेषाधिकार समिति को निर्विष्ट है । इसे भी अस्वीकार किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं कहूंगा कि आप का अधिकार है, आप इस पर निर्णय करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यह हमारे निर्णय के लिये आयेगा, यह हमारे सदन का जो न्यायालय है, उसके विचाराधीन है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

तीसरा यह बांदा के सम्बन्ध में है इस पर कार्यवाही हो चुकी है । इसे भी अस्वीकार किया है ।

चौथा यह देवरिया जिले में चेचक के प्रकोप के बारे में है । इस को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

पांचवा मिर्जापुर में महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनसंघ के प्रदर्शनकारियों के जुलूस पर लाठी चार्ज के विषय में है । इन सब पर 11 तारीख को चर्चा हो सकती है । यह अस्वीकृत हुआ ।

एक यह और है बुनकरों के सूत के कोटे के सम्बन्ध में, यह भी अस्वीकार किया है ।

(वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

हमारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसलिये इस पर ज्यादा जोर है, इस पर वक्तव्य करा दें, लोग जेल में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले से इतने स्वीकृत हैं कि 11 तक नहीं आ सकेंगे अब । अब कोई दिन खाली नहीं है, कैसे किया जाय ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हमारी पार्टी के सब से कम स्वीकृत होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके तो बहुत होते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप जांच करा लें, हमारे बहुत कम होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह स्वीकृति दल के हिसाब से नहीं होती, यह विषय को देखकर होती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हमारी पार्टी के लोग बन्द हैं, यह बहुत आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

समय नहीं मिलेगा तो बेकार है, आप असेम्बली का दिन बढ़वा दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

केवल एक बयान की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखेंगे, समय मिलेगा तो हो जायगा, समय आप दीजिये

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

हमारा बहुत महत्वपूर्ण था . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप थे ही नहीं, आप तो अभी आये हैं ।

वार सर्विसेज वाले आशुलिपिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वार सर्विसेज की ओर से सरकारी नौकरियों में जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनके सम्बन्ध में 2 उत्तर मेरे प्रश्न पर सन् 72 और 73 में सरकार की तरफ से दिये गये । 22 सितम्बर, सन् 47 को सरकार की ओर से यह आश्वासन वार सर्विसेज वालों को दिया गया था कि उन की सीनियारिटी पर पुर्नविचार करके उन्हें उन्नति दी जायगी लेकिन जब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया तो उसमें यह बताया गया कि सन् 39 में जब लोकप्रिय सरकार प्रदेश में आई थी तो उसने निर्णय लिया था कि जो आशुलिपिक उन्होंने रखे थे वह बगैर लोकसेवा आयोग की स्वीकृति के रखे थे उनकी सीनियारिटी भी निर्धारित करना उन्होंने स्वीकार कर लिया था लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है श्रीमन्, 7 जून, 1947 ई0 में पहली दफा सरकार की ओर से ऐसा पत्र लोक सेवा आयोग को भेजा गया जिसका एप्रूवल 29 जुलाई, 1947 ई0 में लोक सेवा आयोग ने दिया । शासन का यह कहना कि सन् 1937 में ही उन लोगों को परमानेन्ट कर दिया गया था, उनको सीनियर भी बना दिया था, मुझे सही नहीं लगता है ।

मान्यवर, जहां 22 सितम्बर, 1947 ई0 का आश्वासन था, उसके बाद भी लगातार सरकार की ओर से 20 सितम्बर, 1948 ई0 में सरकार की ओर से फिर यह आश्वासन दिया गया कि वार सर्विस वाले कैन्डीडेट्स की सीनियारिटी का ध्यान रखा जायगा । उसी तरह से 16 अप्रैल, 1955 ई0 को सरकार ने पुनः यह आश्वासन दिया कि इस प्रकार का ध्यान सरकार जरूर रखेगी जो उसने आश्वासन दिया और मान्यवर, श्रद्धेय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा0 सम्पूर्णानन्द जी ने 9 जनवरी, 1958 ई0 को स्पष्ट पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है,उसको कार्यान्वित न करना हमारे लिये एक अनैतिक प्रश्न पैदा करता है । यह बात उन्होंने मानी थी कि कुछ लोग जिन्हें सीनियर होना था वह जूनियर हो गये हैं उनको सीनियर करना पड़ेगा । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस सम्बन्ध में उन लोगों का कोई कसूर नहीं जिनको जूनियर बना दिया गया है और आश्वासन के खिलाफ कुछ लोगों को सीनियर बना दिया । सरकार के 20 सितम्बर, 1948 के आदेश भी स्पष्ट हैं कि जो वार सर्विसेज होंगी वह उस दिन से उनकी सिनियोरिटी मानी जायगी जिस दिन से इनकी नियुक्ति सिविल पोस्ट्स पर की जायगी, शेष आदमियों की सिनियोरिटी उस दिन से होगी जिस दिन से वे किसी भी सबस्टेन्टिव पोस्ट पर एप्वाइंट किये जायेंगे । मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों इन बेचारे आशुलिपिकों ने, जो वार सर्विसेज के कैन्डीडेट्स हैं, सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने पर भी उन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है । 3 जुलाई 1958 को फिर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि उनका रिफिक्सेशन किया जाय, सिनियोरिटी का चाहे कितना भी विलम्ब हो और कितनी ही कठिनाई हो, हम फिक्स करेंगे । सचिव और मुख्य मन्त्री के आदेशों के होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर सके जिसको मैं समझने में असमर्थ हूं । इस प्रदेश के भूतपूर्व एडवोकेट जनरल, श्री के0 एल0 मिश्रा ने भी अपनी एक संस्तुति 6 दिसम्बर, 1965 को सरकार को भेजी थी और उन्होंने कहा था कि

"I agree that, as a rule decisions, taken, should not be repoened after a long lapse of time. But it is also equally true that, where a clear conclusion can be reached about injustice having been done, the la hse of time, or any administrative Inconvenience, should not stand in the way of justice being done."

तो मिश्रा जी ने कहा था कि भले ही देर हो जाय लेकिन अगर अन्याय हो गया हो तो उसको दूर करने के लिय . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप इस पर कह रहे हैं वह सब कह चुके हैं। जो तर्क आप दे रहे हैं, वे सब इसमें लिखे हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, प्रति बार यही उत्तर माननीय राज्य मन्त्री जी की ओर से मिलता रहा है कि जो कुछ किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। मैं जो समय-समय पर जी० ओज० थे, उनकी तरफ ही उनका ध्यान आकर्षित करता रहा मुझे केवल यही उत्तर दिया गया कि हमने जो कुछ किया है, वह नियमानुसार किया है। जब बहुत से माननीय सदस्य उस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, तो माननीय अध्यक्ष ने चर्चा का समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने कहा था कि हो सकता है कि कुछ लोग संतुष्ट न हुए हों और विधान सभा में प्रश्न आता रहेगा और समय नष्ट होता रहेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करूंगा कि जिस दिन मुख्य मन्त्री जी हों, इस डिस्टिंक्शन को (क्या शब्द है, पढ़ने में नहीं आता) समझ लिया जाय। तो ऐसी बात थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसीलिये इस सारे केस को समझा रहा हूं। मामला बिल्कुल क्लियर है। 9-1-58 का माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश का जो पत्र है इस सिलसिले में, वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसी को देख कर सरकार डिसीजन ले, उसको कार्यान्वित करे और आशुलिपिकों की सीनियारिटी तय की जाय।

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, यह आशुलिपिकों का प्रश्न कई बार सदन के सामने आ चुका है....

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी यहां सदन में मौजूद हैं, तो मुख्य मन्त्री जी खुद जवाब दें। मुख्य मन्त्री जी अपने मुख से कह दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

पहला जो उत्तर था वह है कि—

"जी हां। यह सही है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 4339-ई/बीस—47, दिनांक 22 सितम्बर, 1947 के द्वारा संबंधित आशुलिपिकों को यह सूचना दी गई थी कि वार सर्विस अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता संबंधी मामला शासन के विचाराधीन है और उस विषय में लिये गये निर्णयानुसार उनकी ज्येष्ठता पुनः निर्धारित की जायेगी। किन्तु पिछले सत्र के तीसरे गुरुवार को प्रश्न संख्या 67 के उत्तर में दिये गये कारणों से उक्त आशुलिपिक की ज्येष्ठता पुनः निर्धारित नहीं की जा सकती थी और न अब इस मामले में शासन द्वारा कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार है।" यह जवाब था।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ही जवाब दें। अगर हम राज्य मन्त्री जी के जवाब से संतुष्ट हो जाते, तो यह प्रश्न क्यों उठता....

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

अब, मान्यवर, जिसको संतुष्ट नहीं होना है, वह जीवन भर संतुष्ट नहीं हो सकता। आप उनकी बात सुन लें। अगर कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे, तो मैं यहां उपस्थित हूं, उसे स्पष्ट कर दूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, यह जिन आशुलिपिकों का मामला है, 1947 में इनकी नियुक्ति हुई थी वार सर्विस के अभ्यर्थियों से। उस समय जो लोक प्रिय सरकार थी 1936 में, कुछ व्यक्ति उसके द्वारा रखे गये थे। बाद में उसने त्याग-पत्र दिया। फिर 1947 में जो सरकार आई, उसनें 11 आशुलिपिकों को दुबारा नियुक्त करके, उनसे सीनियर डिक्लेयर कर दिया, उनको सीनियर नियुक्त कर दिया, एकतो यह है इसमें कोई अनियमितता नहीं की गयी। वर्मा जी ने कहा कि कुछ लोग इनसे पहले नियुक्त कर दिये गये। खेद है कि मैं उन्हें अपनी बात समझा नहीं पाया। वर्मा जी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि ये जो आशुलिपिक हैं, कुछ लोग जो 1947 में आये, और जो 1946 में आये, इनसे पहले रखा गया। 46 से पहले इनको नहीं रखा जा सकता। 47 में जो आशुलिपिक आये, वे मेरिट के लिहाज से इनसे अधिक नम्बर पाये हैं। उनको इनसे पहले नहीं रखा जा सकता था। तो इसमें कोई बेकायदगी नहीं की गई है, उनको मेरिट के अनुसार रखा गया है। एक आर्डर जरूर था और वह भी एक्जीक्यूटिव---जिसका माननीय वर्मा जी ने रेफरेंस दिया है जिसके अनुसार वार सर्विस वालों को प्रिफरेंस दिया जाय। लेकिन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के 1935 के रूल्स थे जिसके अनुसार इस सम्मानित सदन ने जो रूल्स बनाये हैं वह सर्वोपरि हैं और उन्हीं के अनुसार सीनियारिटी के लिहाज से नियुक्ति की जायेगी। उन्हीं के अनुसार उनको लिया गया है, कोई बेकायदगी नहीं की गई है। गोयल साहब का मामला जिनके सम्बन्ध में माननीय वर्मा जी इतने व्यग्र हैं, यह कई बार उठ चुका है और रिजेक्ट हो चुका है। कई सरकारें आ चुकी हैं---माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार, गुप्ता जी की सरकार, सुचेता जी की सरकार, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार जिसमें वर्मा जी स्वयं गृह मंत्री थे, लिहाजा यह कई बार रिजेक्ट हो चुका है। इसमें तनिक भी बल नहीं है और निरर्थक है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सीनियारिटी कायदे के अनुसार की गई है और कोई अवैधानिकता नहीं बरती गई है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, शासन के जो जी० ओ० हैं जिनका रेफरेंस माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया है उनका इम्पलीमेंन्टेशन नहीं हो रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं सोचें आदेश और नियम की स्थिति में अन्तर है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मान्यवर, वार सर्विस के लिये और जनरल अपाइन्टमेंट के लिये जो आर्डर्स हैं उनमें अन्तर है। वार सर्विस वालों के लिये सीनियारिटी फिक्स होती है 'फ्राम दी डेट आफ अपाइन्टमेंट' और दूसरों के लिये है 'फ्राम दी डेट आफ अपाइन्टमेंट आन दी सब्सटेन्टिव पोस्ट'। यह जो जी० ओ० है अप्रैल 16, 1955 का जो श्री बी० एन० झा चीफ सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ईशू हुआ है उसमें लिखा हुआ है---

'But time and again the complaints have been made to Government that the cases of War Service candidates employed in different departments

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

are not being dealt with in accordance with the terms of various G. O. Cited above. Government take serious view of these comhlaints and expect that their orders on the subject will be carefully followed and fully complied with.

सितम्बर 20, 1948 के जी० ओ० के अनुसार है—

Seniority shall count from the date of order of the appointment to the Civil Post.

वार सर्विस वालों के लिये था—

"Seniority shall be re-fixed tn the light of sueh orders as may be passed for all war service candidates."

यह आर्डर्स होते रहे हैं और उनका इम्पलीमेंन्टेशन नहीं हुआ है । जो लैकुना रह गया है इन आर्डर्स में, जो खामी रह गई है उसको आप कोई एडीशनल पोस्ट क्रिएट करके उस पर एपाइन्ट करके उनको राहत देनी चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि किसी एक सरकारी कर्मचारी साथी का प्रश्न उठा कर कि उनकी सिनियारिटी क्या है बहुत ज्यादा सदन में बहस होना कोई शोभा की बात नहीं है । एक आशुलिपिक हैं जो युद्ध के अभ्यर्थी थे । सन् 37 में कांग्रेस की सरकार बनी । उस समय परिपाटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रोमोशन की थी । 11 आशुलिपिक थे जिनको उस जमाने में स्थायी किया गया । उस समय गोविन्द वल्लभ पन्त हमारे मुख्य मंत्री थे और उन्होंने फाइल पर एक नोट लिखा था । यह सन् 37–38 की बात है । उसमें उन्होंने लिखा कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है । इसके पहले हम इन लोगों को स्थायी किये देते हैं और इनकी ज्येष्ठता स्वीकार की जाय । इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूट होकर लोग आयेंगे । उनकी ज्येष्ठता स्वीकार कर ली जायेगी और भविष्य में इसलिए एतराज नहीं होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और नामीनेशन का तरीका नहीं रहेगा। यह बात सही है कि युद्ध के बाद 46 में नियुक्ति विभाग का एक जी० ओ० निकला जिसमें युद्ध के अभ्यर्थियों को कुछ छूट और रियायत देने की बात थी । एक तो यह था कि आयु की सीमा में छूट दी जाय । एक रियायत यह देने की बात थी कि उन्हें नियुक्ति के आदेश से ज्येष्ठता मिले । जो यह आशुलिपिक हैं उन्हें आयु की सीमा से छूट दी गयी होगी । यह आये और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और चुने गये । 11 अप्रैल से जब से नियुक्ति हुई ज्येष्ठता देनी चाहिए । मैंने सारी फाइलें पढ़ी हैं । उसमें एक बाधा यह पड़ी कि 39 में उस समय की सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 1935 की धारा 245 की उपधारा 5 के अन्तर्गत कुछ आशुलिपिकों को बिना परीक्षा पास किये स्थायी करने का निर्णय लिया । उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया । सन् 46 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आयी और वह गवर्नमेंट थी जिसके अधीन बंशीधर पांडेय काम करते थे और अब वह विरोध करते हैं उस गवर्नमेंट ने उस निर्णय के अनुसार सन् 46 में स्थायी कर दिया । फिर जब परीक्षा हुई तो यह सज्जन भी चुने गये । इनका कहना है कि उनको उन 11 के ऊपर ज्येष्ठता मिलनी चाहिए । इसका आधार यह लेते हैं कि एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट के दो नी० ओ० निकल चुके हैं । यह मानी हुई बात है कि अगर एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट या किसी विभाग का जी० ओ० है और वह विरोध में आता है उस नियमावली के जो सदन ने स्वीकृत की है तो वह जी० ओ० रिडेन्डेंट हो जाता है । नियमावली 1935 के ऐक्ट की धारा 241 के अधीन बनाई गई थी । इस जी०ओ० के मुताबिक कि जिस दिन एप्वाइन्टमेंट हुआ उस दिन से सीनियारिटी होगी तो वह नहीं दी जायेगी इसलिए कि 11 आदमी 1946 में सीनियर और स्थायी कर दिये गये थे । अब इनका यह कहना हुआ कि हमने इम्तिहान दिया है उस प्रतियोगात्मक परीक्षा में जितने लोग चुन कर आये हैं उन सब के ऊपर हमें रख दो । प्रतियोगिता-

त्मक परीक्षा जो होती है उसी पर मैरिट होती है। मैरिट लिस्ट बना ली गयी और उसमें वे नवें नम्बर पर हैं। उसमें थे :

1—सर्वश्री वली उल्लाह सिद्दीकी,

2— ,, तिलक राम शर्मा,

3— ,, शम्भूनाथ चतुर्वेदी,

4— ,, ब्रह्म स्वरूप,

5— ,, केशव प्रसाद,

6— ,, रिछपाल सिंह।

जिस मैरिट पर वे आये वह सीनियरिटी उनको दे दी गयी। प्रोबेशन पर थे 1947-48 में। नियमानुसार इनकी ज्येष्ठता निर्धारित हो गयी। अब सवाल यह है कि इन्हें 11 के ऊपर क्यों नहीं करते ? इसलिए नहीं करते क्योंकि जी० ओ० के अनुसार नहीं हो सकता। नियमावली इस सदन के द्वारा पास हो चुकी है। वही लोग ज्येष्ठ हो गये। फिर कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन जो आया उसमें क्यों नहीं करते ? उसमें आपका मैरिट 9 नम्बर पर आया है। बार-बार पिछले 15-20 सालों में प्रत्यावेदन कर चुके हैं। कोई सरकार नहीं आयी जिसके सामने प्रत्यावेदन न किया हो। लोक सेवा आयोग, एप्वाएन्टमेंट डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट से राय ले ली गयी। सभी ने कहा कि जो विधि बर्ती गयी है वही मुनासिब है। हमारे मित्र दीप नारायण मणि त्रिपाठी और परम मित्र वीरेन्द्र वर्मा सभी सौभाग्य से इन बेंचों पर बैठ चुके हैं। उनकी भी सरकारें बैठ चुकी हैं। उनके सामने भी यह मामला आया होगा। जब जब गवर्नमेंट के सामने आया रिजेक्ट हुआ। क्या यह मौका ऐसा है कि जिसको आप सब पहले रिजेक्ट कर चुके हैं उसे मैं मंजूर करूं। मैंने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि वह उचित नहीं था इसलिए रिजेक्ट कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
3 मई, 1973।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29 (4) के तारांकित प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1009 पर]

दिनांक 1 मार्च, 1971 से 1 मार्च, 1973 की अवधि में राजपत्रित अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा बिस्तरण/पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी विवरण—

क्रम-संख्या	किस सेवा वर्ग के अधिकारी हैं	अधिकारी का नाम तथा पद नाम	60 वर्ष के उपरान्त कितने समय के लिये पुनर्नियुक्ति/सेवा विस्तार किया गया
	पुनर्नियुक्ति		
1	उ0 प्र0 सिविल सर्विस (प्रशासनिक शाखा)।	श्री आनन्द मोहन कुलश्रेष्ठ, प्रभारी अधिकारी, नगर-पालिका, एटा।	5 1/2 माह (लगभग)।
2	जुडीशियल आफिसर्स सर्विस	श्री लक्ष्मण प्रसाद, जुडीशियल आफिसर (राजस्व)।	3 माह (लगभग)
3	तदैव	श्री रामचन्द्र गुप्ता, जुडीशियल आफिसर (राजस्व)।	11 माह ,,
4	तदैव	श्री सूर्य प्रसाद, जुडीशियल आफिसर (राजस्व)।	3 माह ,,
5	तदैव	श्री हीरा लाल गुप्ता, जुडीशियल आफिसर (राजस्व)।	10 माह ,,
6	तदैव ..	श्री ज्ञानेन्द्र चन्द्र चतुर्वेदी, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट।	4 माह ,,
7	राजकीय मेडिकल कालेजों का संवर्ग। ..	डा0 हरीशंकर शर्मा .. लेक्चरर इन ई0 एन0 टी0 सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।	6 माह ,,
8	तदैव ..	डा0 के0 एम0 माथुर, प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, गणेश-शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर।	11 माह ,,
9	चिकित्सा अधिकारी (एलो-पैथिक) श्रम विभाग।	डा0 एस0 सी0 टंडन (एलोपैथिक)	6 1/2 माह ,,
10	श्रम पुनर्गठन आयोग के वैयक्तिक सहायक।	श्री पी0 एन0 मैथानी, भूतपूर्व वैयक्तिक सहायक, श्रमायुक्त।	10 माह ,, 28–2–73 के बाद भी अवधि के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
11	उच्च न्यायायिक सेवा ..	श्री आफताब अहमद, भूतपूर्व पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय (प्रथम), कानपुर।	2 साल 5 माह 15 दिन ये 16–10–69 से 31–3–72 तक पुनर्नियुक्त रहे।

1	2	3	4
12	उच्च न्यायायिक सेवा	श्री प्रयाग नारायण, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, गोरखपुर।	3 वर्ष के लिये 25–2–1974 तक
13	तदैव ..	श्री बी0 बी0 मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (1), लखनऊ।	1 वर्ष 4 माह 28–2–74 तक के लिये।
14	भारतीय प्रशासनिक सेवा ..	श्री वी0 पी0 जोशी, भूतपूर्व पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (3), इलाहाबाद।	1 वर्ष 10 माह, 15–8–69 से 26–6–71 तक।
15	तदैव ..	श्री एम0 एस0 दास, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (1), इलाहाबाद।	3 वर्ष, 17–12–70 से 16–12–73 तक।
16	पी0 एम0 एस0 (पुरुष) ..	डा0 जी0 एस0 नेगी, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अस्पताल, श्रीनगर, पौड़ी-गढ़वाल।	1 वर्ष
17	तदैव ..	डा0 तुलसी प्रसाद, चिकित्साधिकारी, ई0 एस0 आई0, डिस्पेंसरी महानगर, लखनऊ।	6 माह (लगभग)
18	पी0 एम0 एस0 ..	डा0 जे0 एम0 माथुर ..	1 वर्ष
19	तदैव	डा0 पी0 के0 टोपा	1 1/2 वर्ष
20	तदैव ..	डा0 के0 डी0 मलिक ..	7 1/2 माह (लगभग)
21	तदैव ..	डा0 जे0 पी0 सरीन ..	1 वर्ष
22	तदैव ..	डा0 बी0 एस0 भल्ला ..	1 वर्ष
23	तदैव ..	डा0 एम0 आर0 धवन ..	1 माह लगभग
24	तदैव ..	डा0 ए0 के0 राय ..	6 माह लगभग
25	तदैव ..	डा0 जगजीत सिंह ..	1 वर्ष
सेवा विस्तार			
26	पी0 एम0 एस0 (पुरुष) ..	डा0 एस0 एस0 मिश्रा, सिविल सर्जन, बाराबंकी।	8 1/2 माह (लगभग) सेवा विस्तार— 1–4–73 के बाद सेवा विस्तार का प्रश्न विचाराधीन है।

नत्थी "ख"

[देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्र० सं० 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1019 पर]

उ० प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्य समिति की बैठक

स्थान—"शिक्षक भवन", रिसालदार पार्क, लखनऊ।

श्री रणधीर सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 25-2-73 को मीटिंग हुई और निम्न निर्णय लिये गये :—

1—पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2—चौकीदार की नियुक्ति पर विचार—जगराम वर्मा को एक सौ रुपया मासिक पर चौकीदार नियुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

3—प्रेस मैनों के वेतन बढ़ाने पर विचार—प्रेस के दोनों कर्मचारियों के वेतन में 10 रु० मासिक की वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है।

4—विधान संशोधन समिति की आख्या पर विचार—विधान संशोधन समिति की आख्या पढ़ी गई एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत की गयी।

5—व्यय पर विचार—राष्ट्र प्रहरी पत्रिका, परीक्षा समिति, कार्यालय संबंधी तथा भवन मरम्मत एवं रख-रखाव संबंधी व्यय एवं आय का लेखा सितम्बर, 72 से फरवरी, 73 तक का प्रस्तुत किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत किया।

6—सदस्यता शुल्क बढ़ाने पर विचार—उत्तर प्रदेशीय प्रा० शिक्षक संघ की कार्य समिति जिला एवं राज्य स्तर पर आर्थिक झंझावातों से पीड़ित संघों को आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि सन् 73 से संघ की सदस्यता का वार्षिक चन्दा दो रुपया लिया जाय एवं इस धन का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाय :—

क्षेत्रीय संघ 0.50 रु० जिला संघ 1.00 रु० राज्य सघ 0.50 रु०

7—स्थानीय निकायों एव जिला परिषदों में संचित शिक्षकों के अवशेष धनों की प्राप्ति पर विचार—प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों द्वारा अगस्त, 1972 के पूर्व शिक्षकों के अवशेष धनों का भुगतान समुचित राजाज्ञा होते हुए भी नहीं किया है एवं इस धन का उपयोग अन्य मदों के लिए किया जा रहा है। उ०प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति यह अनुभव करती है कि यदि उक्त अवशेष धनों पर सरकार नियंत्रण नहीं करती है तो शिक्षकों को इस धन का भुगतान न हो सकेगा। कार्य समिति श्रीमान् शिक्षा सचिव महोदय से निवेदन करती है कि अगस्त, 72 तक शिक्षा निधि का जो भी धन स्थानीय निकायों या जिला परिषदों के खाते में जमा है उसे अध्यादेश द्वारा तत्काल अधिग्रहीत करने की कृपा करें जिससे अल्प वेतन भोगी शिक्षकों को उनकी गाढ़ी कमाई का धन मिल सके।

8—कार्य समिति के सदस्यों को पैड एवं पोस्टकार्ड तथा लिफाफा देने पर विचार—कार्य समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 50-50 के पैड, 25 लिफाफे, 25 पोस्टकार्ड छपा कर अगली मीटिंग में प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जाय।

9—लखीमपुर खीरी की तदर्थ समिति की पुष्टि—सर्वसम्मति से नगर प्रा0 शिक्षक संघ, खीरी, लखीमपुर में श्री कृष्ण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बनी एडहाक कमेटी को मान्यता प्रदान की गयी। एडहाक में निम्न शिक्षक सदस्य होंगे:—

(1) कृष्ण कुमार शुक्ल, संयोजक; (2) ओम प्रकार त्रिपाठी; (3) अब्दुल लतीफ खां, (4) गुलजारी लाल, (5) गोकरन प्रसाद दीक्षित, (6) बेचेलाल वर्मा, (7) श्रीमती कमला रावड़ा।

रणधीर सिंह,
अध्यक्ष।

भद्रसेन पाण्डेय,
महामंत्री।

उ0 प्र0 प्रा0 शि0 संघ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये ता०प्र०सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1027 पर)

नामजद अभियुक्तों की सूची

1—श्री शिवनन्दन पुत्र श्री गौतम शाह
2—,, हरपाल शाह पुत्र श्री कंचन शाह
3—,, किशन सिंह पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह
4—,, जवाहर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह
5—,, रामस्वरूप पुत्र श्री दुन्नी लाल
6—,, गेंदा गिर पुत्र श्री नरायन गिर
7—,, मुन्ना शाह पुत्र श्री निरन्द शाह
8—,, सुरेन्द्र शाह पुत्र श्री वीरेन्द्र शाह
9—,, श्याम लाल पुत्र अज्ञात
10—,, चन्द्रपाल पुत्र श्री राजाराम

सत्यमेव जयते

नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र०सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1036 पर)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की मांगे----

1--मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम निर्धारित किया जाय।

2--शिक्षकों को सेवा सुरक्षा, लाभत्रयी योजना, प्रावीडेंट फंड आदि की समुचित व्यवस्था की जाय ।

3--वर्षों से कार्य करने वाले अनट्रेंड अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाय ।

4--माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न सभी प्रकार के प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान सरकार करे ।

5--स्वतंत्र रूप से केवल 5वीं कक्षा तक चलने वाले विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का दायित्व नगर महापालिकाओं पर सौंपा जाय।

6--बेसिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में समुचित शिक्षा सामग्री की व्यवस्था की जाय ।

7--चपरासियों, दाईयों और महरियों का भी वेतन निश्चित किया जाय ।

8--जूनियर हाई स्कूलों के वेतन भुगतान की व्यवस्था भी माध्यमिक विद्यालयों की भांति किया जाय और आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने वाले शिक्षकों का एक ही वेतन-क्रम रखा जाय।

9--बेसिक शिक्षा का प्रांतीयकरण किया जाय और उसमें मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी लिया जाय।

10--जो अभी अन्तरिम सहायता सरकार ने सबको दी है उसे मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापकों को भी अविलम्ब दिया जाय ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र०सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1038 पर)

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, मुहमदाबाद, गोहना आजमगढ़ । सेवा में सविनय निवेदन है है कि मैं प्रार्थिनी मंगरी पत्नी श्री नरेश, साकिन कादीपुर, थाना मुहमदाबाद गोहना, जनपद-आजमगढ़ की निवासिनी हूं । दिनांक 21-10-72 को एक मामूली फर्जी झगड़ा को काफी महत्वपूर्ण बनाने के लिये हमारे गांव के श्री रामदेव राय पुत्र दौलत राय द्वारा जब थाने में इत्तला दी गई तो पुलिस जांच करने के लिये घटनास्थल पर पहुंची जिसकी डर से ये लोग घर पर नहीं रहे । इसी दौरान प्रार्थिनी को तबाह एवं परेशान करने के लिये गांव के निम्नलिखित व्यक्ति--कैलाश राम पुत्र बास देव राय, राघव राय पुत्र रामदेव राय, बरम देव राय पुत्र बद्री राय, सुबास राय पुत्र राम अधार राय, बाबू राय पुत्र जगन राय, राम पलट राय पुत्र रामधारी राय वगैरह ने दिनांक 21-10-72 समय 10 बजे रात को नया मकान का खपरैल एवं मड़ई तथा मकान की दीवाल गिरा कर जमीन को बराबर कर दिये तथा सामान उठा ले गये और ट्यूबवेल का पानी ले जाकर भर दिये । धान की फसल 3-4 बिस्वा काट कर चरवा लिये । इसके बावजूद उपर्युक्त मुलजिमान जान मारने के लिये खोज रहे हैं जिसकी वजह से मेरे पति, पुत्र गण एवं अन्य लोग बस्ती छोड़ कर भाग गये हैं । घटना को कतवारू पुत्र अर्जुन सहदेव पुत्र वरखू आदि देखे हैं । इस विवाद परिस्थिति में प्रार्थिनी के जान माल के ऊपर विशेष खतरा है जिसकी सुरक्षा आप क द्वारा अपेक्षित है । अतः श्रीमान् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के परिवार की रक्षा हेतु शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें । प्रार्थिनी मंगरी पति नरेश, ग्राम-कादीपुर थाना महमदाबाद गोहना जिला आजमगढ़ नि०अ० मंगरी ता० 23-10-72 लेखक श्री राजनाथ राय हे०मु०, थाना मुहम्मदाबाद दि० 23-10-72 ।

नोट :--नकल मुताबिक असल के सही है ।

ह० पुलिस अधीक्षक
आजमगढ़ ।

नत्थी "च"

(देखिये अता0 प्र0सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1039 पर)

तालिका

1–4–1971 से 15–3–1973 तक इलाहाबाद जिले के थाना सराय इनायत तथा थरवई में दर्ज डकैती, राहजनी, हत्या तथा बलवा के मामलों के संबंध में सूचना

क्र0 सं0	थाने का नाम	अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जो न्यायालय भेजे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	सराय इनायत ..	डकैती	12	6	71
		राहजनी	22	4	13
		हत्या	7	4	20
		बलवा	35	14	109
2	थरवई ..	डकैती	9	5	37
		राहजनी	5	..	..
		हत्या	6	3	17
		बलवा	23	7	49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—41 एल0 ए0—174—835(हि0)।